Page No 1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ४८वां दिवस [संख्या ३०

शनिवार, ४ अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

कुचामन सिटी के हरिजनों का चढ़ा हुआ वेतन।

८६७. **श्री मानिकचन्द कोठारी** (जायल) : क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी की शहर सफाई के हरिजनों के नगरपालिका बनने से पूर्व के ६॥ महीने के वेतन के १,३५०) रुपये करीबन देने हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि क्लेक्टर नागोर ने सरकार को उक्त वेतन की रकम देने को लिखा था ?

(३) क्या यह सही है कि अभी कुछ समय पूर्व कुचामन सिटी नगरपालिका के अधिकारियों ने इन गरीब हरिजनों को उक्त वेतन न मांगने के लिए मज़बूर किया था और उनमें से कुछ एक के इस प्रकार के हस्ताक्षर भी करवा लिए थे ?

(४) क्या सरकार उक्त हरिजनों का चढ़ा हुआ इतने समय का वेतन अब शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (१) १,३०३ रू० २ आने ६ पाई बकाया देने हैं।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। कुछ हरिजनों का यह लिखित में है कि वे इस वेतन को नगरपालिका से नहीं मांगेंगे।

(४) पत्र संख्या १२६६८ एफ ६:१८४ एल० एस० जी० बी० ५७ तारीख १७-१-५८ द्वारा २,००० रु० की सबसिडी

Page No 2

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

स्वीकृत की जा चुकी है। इस रकम में हरिजनों के वेतन के १,३०३ रु० २ आने ६ पाई भी शामिल हैं।

श्री मानिकचन्द कोठारी : यह बकाया रकम हरिजनों को अब तक नहीं दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट से उसकी संक्शन हो गई है और उसके २,००० रु० सबसिडी के मंजूर कर दिये गये हैं और म्युनिसिपेलिटी से लिखा पढ़ी हो रही है इसलिये जल्दी ही दिला दिये जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या यह आदेश दिये गये हैं कि इस सबसिडी में से ही हरिजनों की तनख्वाह का पेमेन्ट किया जाये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां, यह कहा गया है कि सबसिडी में से तनख्वाह दी जाये।

श्री मानिकचन्द कोठारी : लेकिन फिर भी नगरपालिका वाले नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नगरपालिका एडीशनल अमाउन्ट और चाहती है। उसके लिये उन्होंने दुबारा लिखा है लेकिन हम कह रहे हैं कि इसी में से दे दिये जायें।

श्री मानिकचन्द कोठारी : यह तो पांच साल पहले की रकम बकाया है कब तक दे दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तो यह फाइनली कह दिया गया है कि जल्दी ही पेमेन्ट कर दिया जायेगा।

श्री धर्मपाल पवार (नोहर सु०) यह रकम ब्याज शुदा मिलेगी या मूल मूल ही मिलेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

तहसील उनियारा में लगान की वसूली

८६८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि १५ दिसम्बर, १९५७ से आज तक तहसील उनियारा जिला टोंक के तहसीलदार व तहसील कर्मचारियों ने पटेलान जब चालान लेकर आये तो सरकारी लगान का चालान जमा नहीं करके कांग्रेस की सहायता के नाम से पटेलों से रकम अव्वल वसूल की ?

(ख) यह रकम किन किन व्यक्तियों को दी गई ?

(ग) अगर नहीं, तो क्या यह सही है कि उक्त रकम पटेलों से चन्दा के रूप में जबरदस्ती वसूल की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तो उम्मीद ही थी। क्या यह सच है कि जब

Page No 3

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

माननीय मन्त्री बनेठा पधारे हुए थे, तो वहां के लोगों को जबानी और लिखित प्रार्थनापत्र उन्हें दिये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री का बिना नोटिस बन्द किया जाना।

८६६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Labour Minister be pleased to state:—

1. Is it correct that the factory of the National Engineering Industries (N. B. C.) Jaipur remained closed on the 15th, 16th and 17th September 1958 without any previous notice of closure or lay off ?

2. Is it correct that the workmen used to report for duty every day in the beginning of the shift but instead of being given employment at the commencement of the shift they were asked to present themselves for the purpose during the second half of the shift of the day for the three successive days but no employment was given to them even after such presentation ;

3. Is it correct that as per section 2(kkk) of the Industrial Disputes Act the workmen are entitled for half pay for the first half of the shift and full basic wages and dearness allowance for the second half of the shift on each of these days; but the management has wrongfully paid tnem only half pay for the entire shift for each of these days ?

4. Is it correct that the N. E. I. Labour Union has represented this matter to the factory management as well as to the Government but the Government Conciliation Officer has taken no action in the matter ?

मन्त्री श्रम विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (1) Yes.

2. No. Some workers were called on duty at the begining of second half of the shift on the ? September only and they have been paid full wages for the second half of the shift as provided under the Industrial Disputes Act. On other days and other shifts the workers were asked to report for duty only at begining of their respective shifts and not at the begining of the second half of the same shift.

3. No. The workers are entitled to half pay for the first half of the shift on 15th and full pay for the second half of the shift on this day, but on other days they are entitled to half pay only, as they were not called for the second half of the shift. They have been accordingly paid by the management.

4. Labour Union represented the case before the Labonr officer, Jaipur,

Page No 4

(श्री पी० के० चौधरी)

who has completed an enquiry in the matter. The contention of the Union was not found to be correct.

श्री पी० के० चौधरी: While conducting the enquiry, did the Labour officer contact the Union people ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes, he called both the parties.

श्री पी० के० चौधरी : Has he taken their evidence or simply on the evidence of the Secretary of the management he has given this finding ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That I don't know whether he has taken all the evidence or not, but the called both the parties for conciliation and held an enquiry into the matter and came to the conclusion that stand of the union was not sound.

श्री पी० के० चौधरी : Will the Hon'ble Ministsr find out whether the Labour officer, while couducting the enquiry, has taken the statement of the workers, themselves before arriving at the finding, or he has decided simply on the report of the management.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : My information is that he called both the parties.

श्री पी० के० चौधरी : I am requesting you to find it out from the Labour officer whether while conducting the enquiry he has contacted the labourers, taken their statements etc. or merely on the report of the management he has come to his finding.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I will find it out.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर नगर): दोनों पार्टियों को कन्सीलियेशन के लिये बुलाया गया था तो दोनों पार्टियों के कन्सीलियेशन प्रोसीडिंग पर साइन थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नियमानुसार अगर होने चाहिये तो हुए होंगे। मेरे पास डिटेल नहीं है। कन्सीलियेशन रिपोर्ट नहीं नहीं है मेरे पास अभी। इन्क्वायरी के आधार पर कह रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर दोनों पार्टियों के साइन हैं तो सवाल नहीं है। अगर साइन नहीं हैं तो नहीं बुलाया गया है।

भूप्रबन्ध विभाग के अमीनों का एब्जार्वेशन

८७०. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भू-प्रबन्ध विभाग के कितने अमीनों को जालोर ज़िलाधीश ने एब्जॉर्ब किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उनकी सीनियोरिटी तारीख सेटिलमेंट में एपॉइन्टमेंट

Page No 5

(श्री लक्ष्मीचन्द्र)

से नहीं मानी जाकर जिस तारीख को एब्जॉर्ब किये गये हैं मानी जाती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि उन कर्मचारियों में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको स्टेट मर्ज होने के पहले जो तनख्वाह मिलती थी वह अब नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) भूप्रबन्ध विभाग के ६६ अमीनों को ज़िलाधीश जालोर ने पुनः नियुक्त किया है। उनकी सूचि सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) सब मामलों में ऐसा नहीं हुआ है। जिन लोगों ने पटवारी परीक्षा पास करली है, उनकी नियुक्ति सेटिलमेंट विभाग में नियुक्ति से मान ली गई है, शेष की नहीं।

यह राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम १६४ (ब) व राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकॉर्ड्स) रूल्स १६५७ के नियम ४ (स) के अनुसार किया गया।

(३) जी हां। पुनर्नियुक्ति के मामलों में पहली तनख्वाह देना मान्य नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या पटवार ट्रेनिंग पास करने के लिए जालोर ज़िले में पटवारियों को सहूलियत देने के लिए कोई क्लास खोली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान में जिन और पटवारियों को इम्तिहान की जो सहूलियत है वही जालोर ज़िले वालों के लिए है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जालोर ज़िले में कोई क्लास खोली है क्या आपने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जालोर ज़िले में क्लास खोलने की जरूरत नहीं। हर ज़िले में क्लास नहीं खोली जाती है। गवर्नमेंट की ओर से जहां जहां इस काम के लिए स्कूल चलाये जाते हैं वहां पर जो पास नहीं हो उनको ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो क्या इन पटवारियों को आदेश दिया गया है कि पटवार ट्रेनिंग पास करने के लिए दूसरी जगह जा सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने दो दफा पढ़ कर सुना दिया कि लैण्ड रेवेन्यू रूल्स १६५७ के नियम ४ (स) और राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम १६४ (ब) में सब है। इसलिए इस बात का एलान करने या कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : जिनको एब्जॉर्ब किया है उन दिनों में पटवार स्कूल नहीं थे तो वे ट्रेनिंग कहां से ले सकते थे ? एब्जॉर्ब किया है उसके बाद में अगर वे ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उनकी सीनियोरिटी उस हिसाब से मानना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : पटवार एक्ज़ामिनेशन उनको पास करना चाहिए। सर्विस रूल्स में यह बात है सेटलमेंट के

Page No 6

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अमीन हैं They are purely temporary employees. उनका कोई राइट नहीं है। उनके पर्मानेन्ट होने का सवाल नहीं आता है। पटवार सर्विस में वे लिये जाते हैं तो उनके लिए लाज़िमी है कि पटवार ट्रेनिंग पास करें।

श्री लक्ष्मीचन्द : दो व्यक्ति इस लिस्ट में ऐसे हैं जिन्होंने पटवार ट्रेनिंग पास नहीं की है लेकिन उनकी सीनियोरिटी डेट ऑफ़ सेटलमेंट से मानी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से हैं ?

श्री लक्ष्मीचन्द : सीरियल नं० ६२ व ६३ पर श्री गुलाबसिंह और श्री भवानीसिंह हैं। उन्होंने पटवार ट्रेनिंग पास की है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भालचन्द्र, रघुनाथसिंह और हरिसिंह, इन तीन आदमियों ने पटवार ट्रेनिंग पास की है। आप किसके लिए पूछ रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीचन्द : गुलाबसिंह और भवानीसिंह....

श्री दामोदरलाल व्यास : सीरियल नंबर ?

श्री लक्ष्मीचन्द : ६२।

श्री दामोदरलाल व्यास : ६.४.५८ है। कहां माना सेटलमेंट की सीनियोरिटी ?

श्री लक्ष्मीचन्द : सीनियोरिटी मान कर डेट ऑफ़ एपॉइन्टमेंट की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ६.४.५८ नियुक्ति की तिथि है। जिन आदमियों के लिए मैंने अर्ज़ किया है इनके अलावा किसी और की सर्विस नहीं मानी गई है क्योंकि वे पटवार ट्रेनिंग पास नहीं थे।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, कमिश्नर साहब के ऑफिस से एक सर्कयूलर निकला है ४.६.५८ को जिसमें श्री गुलाबसिंह और श्री भवानीसिंह, की डेट ऑफ़ एप्पाइन्टमेंट सेटलमेंट से मानी गई है। वे पटवार ट्रेनिंग में लिये गये नहीं और न उन्होंने पटवार ट्रेनिंग पास की है। यह सर्कयूलर है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Date of appointment in the Patawar Service. है। इनके सवाल पूछने का मतलब है कि सेटलमेंट की सर्विस गिनी गई है या नहीं ? मैंने अर्ज़ किया कि उन लोगों की गिनी गई है जिन्होंने पटवार ट्रेनिंग पास कर ली है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरा प्रश्न सीधा सा है कि इन्होंने पटवार ट्रेनिंग पास की है या नहीं ? जब पटवार ट्रेनिंग पास नहीं की है तो डेट ऑफ़ एपॉइन्टमेंट सेटिलमेंट की क्यों मानी गई है ?

श्री दामोदरलाल : मैं अर्ज़ कर रहा हूं जिनके खिलाफ़ आपको शिकायत हो वह मुझे नोट करवा दें। उसकी जांच कर लूंगा। जो मेरी जानकारी में था वह मैंने अर्ज़ कर दिया कि इन तीन आदमियों ने पटवार ट्रेनिंग पास की है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो पटवार ट्रेनिंग पास नहीं हैं अगर वे ट्रेनिंग को पास कर लें तो क्या सेन्टलमेंट की उनकी सर्विस को आप काउन्ट करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज़ किया कि राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम १६ ४ (ब) और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रूल्स १६५७ के नियम ४ (स) के अन्डर में जो प्रोविज़न्स हैं उनके मुताबिक कार्यवाही की जायगी।

श्री अनोपसिंह : इसके बाद में जो पटवार ट्रेनिंग पास कर लेगें उनकी पहले की सर्विस क्या मानी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर दे दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already submiitted, Sir.

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं क्या मानूं कि जो कमिश्नर ने सर्क्यूलर निकाल है....

श्री अध्यक्ष : आप बता दें उन्हें ऐसे नाम तो जांच करेंगें।

श्री लक्ष्मीचन्द : श्री गुलाबसिंह और श्री भवानीसिंह है।

श्री अध्यक्ष : उनको कॉपी दे दें।

श्री मुरलीधर व्यास।

कमिश्नर व असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर के दौरे

८७१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान के लेबर कमिश्नर व असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर ने सन् १६५७ से ५८ अगस्त तक कुल कितने दौरे कहां कहां तथा किस कारण से किये ?

मन्त्री श्रम विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): विवरण की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें इस प्रकार से आया है कि लेबर कमिश्नर किसी जगह उद्घाटन करने गये। क्या इस प्रकार के उद्घाटन करने के दौरों का खर्चा मान्य किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किस चीज़ का उद्घाटन करने गये।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई केन्द्र का उद्घाटन करने गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह उनकी ड्यूटी में है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें मैंने कमिश्नर और असिस्टेन्ट कमिश्नर दोनों के लिए प्रश्न में इस तरह के दौरों की सूची मांगी थी। लेकिन मुझे सिर्फ कमिश्नर की दी गई है, दूसरी नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, सूची दोनों की है। दो सूचियां हैं। पहली सूची

Page No 8

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

श्री नरेन्द्र कुमार जोशी की है और दूसरी उनकी है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे पास जो सूची आई है उसमें लिखा है श्री चन्द्रधर इस्सर लेबर कमिश्नर के दौरे का कार्यक्रम।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं तो सूचियां दोनों की हैं। मेरे ख्याल से कहीं कोई रह गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी सूची में कुल कितना खर्चा हुआ है वह बता दें।

श्री अध्यक्ष : खर्चा कितना हुआ है आपके सामने इनफॉर्मेशन रख दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २,७५३)रु०।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ लिया है और खर्चा क्या हो सकता है?

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : यह टूर किस उद्देश्य से किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह सूची में दर्ज है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्सपेक्शन के लिए जाने की जरूरत है। सूची में दर्ज है।

श्री मुरलीधर व्यास : कहां तक उचित समझते हैं कि उद्घाटन कार्य के अन्दर इस प्रकार का दौरा किया जाता है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

हाड़ौती खादी ग्रामोद्योग संघ, बारां

८७२. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) हाड़ौती खादी ग्रामोद्योग संघ, बारां (ज़िला कोटा) कब से स्थापित है तथा इसके संचालक कौन कौन हैं।

(२) खादी ग्रामोद्योग की दृष्टि से इस संस्था को किस किस वर्ष में कितना कितना रुपया दिया गया है? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या इस रकम के उपयोग के सम्बन्ध में कभी इसकी सरकारी स्तर पर जांच की गई है?

(४) क्या यह सही है कि उन्होंने रकम का उपयोग स्वीकृत ग्रामोद्योग में नहीं करके घरेलू कामों में कर लिया है?

उपमंत्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : इस संस्था की स्थापना सोसाइटीज़ एक्ट १८६० के अन्तर्गत ११.६.५५ से हुई है। इस संस्था के अध्यक्ष व मंत्री निम्न हैं :

१. श्री पी० बी० श्री कंटराव, अध्यक्ष

२. श्री रतनसिंह भाटिया, मंत्री

(३) श्री कृपानाथ तिवारी, मंत्री (वर्तमान में)

(२) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उक्त संस्था को कुल रकम १,५०,५१६-६७ न० पै० दी गई है। इसकी

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

विगत की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं, खादी बोर्ड द्वारा की गई है।

(४) स्वीकृत रकम घरू कार्य में नहीं ली गई है, केवल एक उद्योग के बदले दूसरे उद्योग में उपयोग की गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : यह जो १,५०,५१६–६७ न० पै० जो दिये गये हैं उसमें से क्या कुछ रकम वापिस जमा कराई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो किस तरीके से रखा गया है उसका पूरा व्यौरा मेरा पास में नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि कितनी रकम वापिस हुई या क्या हुई। यह हो सकता था कि कितनी सहायता दी गई है उसका व्यौरा दिया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार अनुदान या ऋण देते समय इस बात के आंकड़े अपने पास रखती है कि इस प्रकार के जो एस्टीमेट बनते हैं कि जितनी रकम जिस उद्योग के लिए दे रहे हैं वह उनमें खर्च की जायेगी या नहीं, इस पर विचार करती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार सहायता नहीं देती है। स्पष्टतया इसमें कह दिया गया है कि खादी बोर्ड द्वारा दिया गया है। खादी बोर्ड ऋण या सहायता के रूप में जिस वक्त जो कुछ रकम देता है अलग अलग इन्डस्ट्रीज के लिए जिस तरीके से देता है अलग अलग उद्योग के लिए रकम देता है, उनकी सारी जांच करने के बाद में वह देता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या खादी बोर्ड एक सरकारी संस्था है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राजस्थान खादी बोर्ड राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग एक्ट द्वारा अपाइन्टेड बोर्ड है और ऐसी सूरत में उनके तहत सारा कार्य करता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार उचित समझती है कि जो रकम अपने पास से देती है उसकी जांच गैर सरकारी संस्था से करवाई जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : गैर सरकारी संस्था का प्रश्न नहीं है। खादी बोर्ड की तरफ से सारी रकम इस संस्था को दी गई थी। सरकार के द्वारा एक पैसा भी नहीं दिया गया है इसलिये हिसाब किताब की जांच वगैरा खादी बोर्ड के द्वारा होती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने (४) के उत्तर में बताया था कि उन्होंने घरू काम के लिये नहीं खर्च करके एक उद्योग के बदले दूसरे उद्योग में खर्च की थी तो मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे किस उद्योग के लिए काम में ली गई थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है लेकिन कई तरह की इन्डस्ट्री हो सकती है जैसे लैदर इन्डस्ट्री,

Page No 10

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

पोटरी और अन्य दूसरी इन्डस्ट्रीज़ । एक इन्डस्ट्री के बदले दूसरे के लिये काम में ले ली होगी लेकिन इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने किस आधार पर यह सूचना दी है कि एक के बदले दूसरे में लगाई गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : खादी बोर्ड से सूचना मंगाई गई है, उन्होंने सूचना दी है कि घरू काम में नहीं लगाई गई है बल्कि एक उद्योग के बदले दूसरे में लगाई गई है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक के बदले में दूसरा कौनसा उद्योग है, यह तो बताइये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन यह निश्चित है कि घरू काम में नहीं ली गई है ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह कैसे कहते हैं कि घरू काम में नहीं ली गई हैं, जब सूचना ही नहीं है इस बारे में खादी बोर्ड के पास ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is no reason to disbelieve Khadi Board.

श्री जनार्दनराय नागर : खादी बोर्ड ने जानकारी दी उससे सरकार को निश्चय हो जाता है ! क्या सरकार ने निश्चय पूर्णतः कर लिया है कि स्थिति ऐसी ही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : माननीय सदस्य के लिये दलील नहीं हो सकती लेकिन हमारे लिये दलील है । उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वह करेक्ट है । यह मान कर चलिये कि घरू काम में पैसा नहीं आया है, एक उद्योग के बदले दूसरे में लगा है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो आरोप लगाया गया है कि यह रकम जिस उद्योग के लिये दी गई थी उसके काम में नहीं लगाई गई, उसके बारे में आपने क्या जानकारी की ?

श्री अध्यक्ष ; वे कहते हैं कि इसकी जानकारी उनके पास नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा आरोप है कि घरू काम में खर्च की गई जब तक आप तहकीक नहीं करेंगे तब तक मेरा आरोप स्टेन्ड करता है ।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये वे निश्चित तौर से मना कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक्ट बना है उसके अनुसार लोन की स्वीकृति पूरे बोर्ड के द्वारा दी जाती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इससे उसका क्या ताल्लुक हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : आप इसका उत्तर दीजिये ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : खादी कमीशन बालाबाला भी देता है और राजस्थान खादी बोर्ड के द्वारा भी सबसिडी देता है ।

श्री भैरोसिंह : राजस्थान खादी ग्रामोद्योग एक्ट बना है उसके अंतर्गत बोर्ड बना है और मंत्री महोदय भी उसके सदस्य हैं। क्या उसके द्वारा कोई लोन दिया जाता है वह पूरे बोर्ड द्वारा स्वीकार होता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसकी बैठक होती है; उसमें रखा जाता है, दिया जाय या नहीं इस बारे में कार्यवाही होती है।

श्री भैरोसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार का लोन पूरे बोर्ड ने स्वीकार किया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यही मान कर चलना चाहिये।

श्री भैरोसिंह : क्या यह सही है कि लोन और सबसिडी अलग अलग समय में दिये गये हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अलग अलग तारीख में दिया गया है, यह सूची में दर्ज है।

श्री भैरोसिंह : क्या सरकार ने यह स्वीकृति दी थी कि जिस काम के लिये लोन या सबसिडी दी गई थी उसके बजाय दूसरे उद्योग के लिये काम में लाई जा सकती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो बोर्ड ही तय कर देता है कि एक उद्योग के बदले दूसरे उद्योग के काम में आ सकता है, सरकार के सामने आने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोसिंह : यह बात बोर्ड के सामने आई या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल मेरे पास जानकारी नहीं है कि बोर्ड के सामने रखी गई थी या नहीं

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : प्रश्न संख्या (४) के जवाब में जो कुछ कहा गया है क्या उस संबंध में सरकारी स्तर पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई कि कौनसे उद्योग के काम में लिया गया ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिये जानकारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे कह रहे हैं कि एक उद्योग के बदले दूसरे उद्योग के लिये देने में कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।

श्री भैरोसिंह : कानून का उल्लंघन होता है, प्रेस्काइब्ड इन्डीस्ट्रीज में न लगा कर दूसरे में लगाते हैं तो।

श्री अध्यक्ष : प्रेस्काइब्ड नहीं है तो बोर्ड कैसे दे सकता है ? एक के लिये सेंकशन दिया बाद में दूसरे में परिणत कर दिया।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जो रकम दूसरे उद्योग में लगाई गई थी उसके लिये कोई पर्मिशन नहीं ली गई ?

ग्राम धनवा, तहसील बड़ोद में खाते की जमीन का सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा पड़त में निकालना

८७३. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा-सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

Page No 12

(श्री रामनारायण वर्मा)

(क) क्या यह सही है कि रामकल्याण आत्मज जगनाथ ब्राह्मण, ग्राम धनवा, तहसील बड़ोद की ज़मीन नं० ८४ जो लगभग ५० वर्ष से उसके कब्जे में चली आ रही है तथा नं. २८७ जो उसके खाते की है सैटलमेन्ट अधिकारियों ने पड़त में निकाल दी है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस जमीन को शीघ्र ही सरकार नीलाम करने की सोच रही है ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

हीगोटा पंचायत के सरपंच का चुनाव

८७४. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार द्वारा बैलट सिस्टम पंचायत चुनाव के लिए लागू किया गया है ?

(२) क्या तहसील बसवा, हीगोटा पंचायत के सरपंच का चुनाव तारीख १०.६.५८ को बैलट सिस्टम के तहत नहीं हुआ, किन्तु सरकार ने बावजूद डिपार्टमेंट के लिखने के भी शपथ ग्रहण करने का आदेश जारी कर दिया ? अगर हां, तो क्यों ?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) जी हां, परन्तु निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो निर्वाचन का परिणाम घोषित किया जाता है उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वह चुनाव याचिका द्वारा ही तय हो सकता है।

डॉ. चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : जब बैलेट सिस्टम से चुनाव होता है तो इस अमुक चुनाव में बैलेट सिस्टम क्यों नहीं काम में लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ८ तारीख को गज़ट निकला था और १० को चुनाव था। चुनाव अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इसको रद्द माना गया या वैसे ही चल रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह वेलिड है लेकिन किसी को ऑब्जेक्शन हो तो इलेक्शन पिटिशन दायर कर सकता है।

ग्राम दासपा, जिला जालोर के पटवारी के खिलाफ रिश्वत की शिकायत

८७५ श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ज़िला जालोर के ग्राम दासपा के पटवारी श्री शौकतअली के खिलाफ वहां की पंचायत व जनता ने रिश्वतखोरी, भेड़-पालकों को तंग करने, नाजायज़ रकम वसूल करने व बदचलनी की शिकायत कलेक्टर जालोर, कमिश्नर जोधपुर व राजस्व विभाग जयपुर को की है ?

Page No 13

(श्री अनोपसिंह)

(ख) क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने इस विषय में कोई जांच अभी तक नहीं करवाई और न कोई उत्तर ही दिया ?

(ग) अब कब तक जांच करवा कर रिपोर्ट दी जायगी व क्या जांच के समय पटवारी को बदला जाकर जांच करनी जरूरी नहीं होगी ?

राजस्व मन्त्री (दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जांच खत्म होने पर रिपोर्ट की जायेगी। यदि जांच के दौरान में पटवारी की बदली आवश्यक प्रतीत हुई तो की जायेगी ?

श्री अनोपसिंह : उस पटवारी का अभी तबादला करके जांच नहीं करवायेंगे तब तक असली सार नहीं मिल सकेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तरीका गलत है। सरकारी अफसरों के खिलाफ शिकायत होते ही उनका तबादला कर दिया जाय। जब तक उनके खिलाफ प्रेमा फेसी केस नहीं बनता तब तक तबादला नहीं किया जा सकता।

श्री अनोपसिंह : जनता के द्वारा जो लिखत रूप में शिकायत की गई है उसके कितने दिन बाद जांच शुरू करवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि जांच में देरी हुई है। १८ अगस्त, ५८ को शिकायत आई और उसी वख्त जांच करवाने के लिये ऑर्डर दिया गया। जिस नायब तहसीलदार को जांच करने का काम दिया गया था वह छुट्टी चला गया इसलिये जांच करने में देरी हुई।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : वह नायब तहसीलदार अब छुट्टी से वापिस आ गया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह छुट्टी से वापिस आया या नहीं, इसका पता नहीं है लेकिन इन्क्वायरी दूसरे के सुपुर्द करदी गई है।

श्री अनोपसिंह : मुझे मालूम हुआ था उससे चार पांच महीने पहले लिखा पढ़ी हुई थी। शिकायत लिखित रूप में दी थी लेकिन मन्त्रीजी कहते हैं कि इन्क्वायरी शुरू करदी है, चार पांच महीनों बाद भी इन्क्वायरी नहीं हो सकी क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा जवाब सुनते तो मैंने उसमें कहा था कि १८ अगस्त को शिकायत आई थी, तुरन्त जांच का आदेश दिया गया परन्तु नायब तहसीलदार छुट्टी पर चला गया इसिलिये इन्क्वायरी नहीं हो सकी, अब दूसरे के सुपुर्द करदी गई है। इसमें देरी हुई है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : यह आदेश राजस्व विभाग से जारी हुआ था या कलेक्टर के यहां से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर के यहां से ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : जब एक बहुत जरूरी काम के लिये एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है तो उसे पूरा किये बिना उसको छुट्टी क्यों दे दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका कोई जवाब नहीं होता ।

श्री जनार्दनराय नागर : जवाब जरूर होना चाहिये । जब उसको किसी काम के लिये मुकर्रर किया जाता है तो बीच में छुट्टी क्यों दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य जानते नहीं हैं कि इसी काम के लिये नियुक्ति नहीं थी । उसके सुपुर्द और भी कई मुकदमे होते हैं, कई तरह के काम होते हैं । लेकिन उसको चाहिये था कि छुट्टी चला गया तो दूसरों को देने का इन्तज़ाम करता ।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, यह चलता मामला था । आपके जवाब से मालूम होता है कि चलता मामला था । नायब तहसीलदार से कहा गया कि जांच कर ले, उसने ध्यान नहीं दिया । चिन्ता के साथ सरकार ने जांच के आदेश नहीं दिये थे ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अनोपसिंह : करीब छः महीने हो गये जांच करते हुए, कब तक अन्दाज़ किया जा सकता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द

गांव जानवी, तहसील सांचोर का औषधलय

८७६. श्री लक्ष्मी चन्द (सांचोर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

क्या ज़िला जालोर की सांचोर तहसील के गांव जानवी में कोई आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया था ? यदि हां, तो कब और वह अभी तक चालू है या बन्द कर दिया गया ? यदि बन्द कर दिया तो क्यों और क्या उसे बन्द करने के मुताल्लिक स्थानीय पंचायत से पूछा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखा भाई) : जी हां, भूतपूर्व जोधपुर रियासत के समय २ अप्रेल ४६ में खोला गया था परन्तु मकान की व्यवस्था औषधालय के लिये ग्रामवासियों द्वारा समुचित नहीं की गई । यहां तक कि किराये पर भी मकान नहीं मिला इसलिये बन्द कर दिया गया । ग्राम जानवी स्वयं ग्राम पंचायत का केन्द्र नहीं है । यद्यपि सम्बन्धित ग्राम पंचायत सरवाण से पूछा गया था । सरपंच सरवाण ने प्रत्युत्तर में ग्रामवासियों की ओर से भवन व्यवस्था होने में असमर्थता प्रगट की ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या उसके लिए भवन बिल्कुल नहीं मिला ?

Page No 15

श्री भीखाभाई : जी नहीं, नहीं मिला।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, भवन दिया गया था, और तीन साल तक डिस्पेन्सरी चली, लेकिन डॉक्टर नहीं है। पहले था, उसके बदले जाने के बाद दूसरे डॉक्टर को भेजा गया, लेकिन वह डॉक्टर पहुंचा नहीं। तनख्वाह सांचोर से उठाई, सेन्टर के शफाखाने से उठाई। आप कहते हैं कि भवन नहीं मिला। भवन की जांच किसने की ?

मंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) औषधालय का सवाल है, औषधालय के लिए मकान नहीं मिला।

श्री लक्ष्मीचन्द : मकान था, उसमें पहले औषधालय खोला गया था, और तीन साल तक चला।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : औषधालय के लिए किराये का मकान नहीं मिला। आप मकान बता दें।

श्री लक्ष्मीचन्द : मकान बिना किराये के दिया, तीन साल तक डिस्पेन्सरी चली। वह मकान अभी तक खाली पड़ा है। उसमें कुछ दवा पड़ी हुई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप शफाखाने के लिए फर्मा रहे हैं या औषधालय के लिए ?

श्री लक्ष्मीचन्द : नहीं, नहीं, औषधालय के लिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मकान उपलब्ध होगा तो अब खोल दिया जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : मकान जनता देने के लिए तैयार है, सरकार औषधालय खोल दे।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि मकान उपलब्ध होगा तो खोल देंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : मकान है।

श्री अध्यक्ष : आप कनविन्स कर दिजिये कि मकान इस चीज़ के लिए उपयुक्त है, सरकार खोल देगी।

श्री भीमसेन।

पटवारियों द्वारा इन्सपेक्शन दूर की पंचायतों को सूचना

८७७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) क्या पटवारियों द्वारा इन्स्पेक्शन टूर की सूचना सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को दी जानी चाहिए ?

(ख) अगर हां, तो बीकानेर तथा लूणकरणसर तहसीलों की ग्राम पंचायतें क्रमशः बड़ा बास, मूंडसर, सिंथल, शेरपुरा, कपूरीसर की किन किन तारीखों में सूचना दी गई ?

(ग) अगर नहीं दी गई, तो सम्बन्धित पटवारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

Page No 16

राजस्व मन्त्री (दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक, १५.८., १३.१ व ६ अक्टूबर १६५८ को।

(ग) प्रश्न नही उठता।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं मिला, अगर नहीं दी गई तो सम्बन्धित पटवारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि १५ अगस्त, १३ जनवरी व ६ अक्टूबर को।

श्री अध्यक्ष : दयाकृष्ण विजय।

कोटा की एक फर्म पर दफा ४२० का मुकदमा।

८७८. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) क्या नागरिक रसद मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि गत बजट सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि बारां की एक फर्म शिवजी माधवीजी के विरुद्ध जिसमें लाइसेन्स के विरुद्ध गेहूँ जोन्स में बाहर भेजना चाहा था दफा ४२० का मुकदमा सरकार चलायेगी?

(२) यह ४२० का मुकदमा किस अदालत में चलाया गया है तथा इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही हो रही है?

मन्त्री, नागरिक रसद विभाग (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : (१) हां यह सही है।

(२) जी नहीं, अभी तक यह मुकदमा कोटा पुलिस के हाथ में है। वह इसकी (इन्वेस्टीगेशन) जानकारी कर रही है। जानकारी होने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : इतने समय हो जाने के बाद भी पुलिस जानकारी करती रहेगी? कितना समय अन्दाज़न इसमें और लगेगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिए पुलिस विभाग कुछ कह सकता है। केस इन्क्वायरी के लिए रजिस्टर कर लिया गया है।

श्री भैरोसिंह (श्री माधोपुर) : पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया, इन्क्वायरी कर रही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : केस रजिस्टर कर लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : केस रजिस्टर किया है तो क्या पार्टी को गिरफ्तार किया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्वेस्टीगेशन चल रहा है, उसके बाद जैसी जरूरत होगी वैसी कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : सदन में आश्वासन दिया गया था कि ४२० का काम हुआ है, केस रजिस्टर होगा। उस दृष्टि से बात की कि

Page No 17

(श्री भैरोंसिंह)

प्राइमा फेसी एवीडेन्स है और केस रजिस्टर किया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलेज किया गया कि बिना लाइसेन्स के गेहूं बाहर भेजा गया। यह पुलिस के देखने की बात हैं कि ४२० का केस बनता है या नहीं। उसके बाद वह चालान कर देगी we can report the matter to the police. It is for them to see whether there is a prima facie case or not.

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

चाडवास का उत्तराधिकारी

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि क्लेक्टर चूरू ने जो २. ३. ५७ को श्री रामसिंह को चाडवास का उत्तराधिकारी घोषित करने का फैसला दिया वह रेवेन्यू बोर्ड से मंसूख कर दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि चूरू कलेक्टर ने श्री रामसिंह को १३,००० रु० रेवेन्यू बोर्ड में अपील पेश होने व सम्बन्धित मिसल तलब करने के बाद दिये ?

(ग) क्या यह सही है कि १३,००० रु. वापिस वसूल करने का हुक्म जागीर कमिश्नर ने दिनांक ११. ७. ५७ को दिया और जिसके बाद कई मरतबा राजस्व मन्त्री, जागीर कमिश्नर व कमिश्नर बीकानेर ने आदेश दिये लेकिन क्लेक्टर चूरू ने इन आदेशों का अभी तक पालन नहीं किया ?

(घ) क्या यह सही है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स मंसूख नहीं किया जावे ऐसा आदेश रेवेन्यू बोर्ड का होते हुए भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स नहीं रखा गया ?

(ङ) क्या यह सही है कि अय्याम कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जो रुपया ठिकाने का था व जो सामान ठिकाने का था वह तहसील राज में न रखा जाकर खुर्द बुर्द किया गया ?

(च) क्या यह सही है कि क्लेक्टर चूरू ने १३,००० रु० दिये उस वक्त जो जामिन थे उनसे रुपया वसूल नहीं किया और न कुंवर श्री रामसिंह की हवेली जो कि घीटाल में है कुर्क की ?

(छ) क्या यह सही है कि क्लेक्टर चूरू ने वसूल न करके जामिनों की जमानत जब्त किये बगैर श्री रामसिंह की जायदाद गैर मनकूला व मनकूला को जब्त किये बगैर राजस्व मन्त्री को रिपोर्ट पेश की कि कुंवर श्री रामसिंह के पास जायदाद नहीं है इसलिए रुपया वसूल नहीं हो सकता ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी हाँ।

(ख) जी नहीं। रेवेन्यू बोर्ड से मिसल तलब करने के पूर्व ही चुकारा किया जा चुका था।

(३) जी हां। इस वसूली के आदेश दिये गये लेकिन कुंवर श्री रामसिंह की जायदाद नहीं होने से वसूली अभी तक नहीं हो सकी है।

Page No 18

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं ।

(च) जी हां । जामिन से अभी तक रुपया वसूल नहीं हुआ, कार्यवाही जारी है । कुंवर श्री रामसिंह की कोई हवेली घीटाल में नहीं है जो कुर्क की जाती ।

(छ) जी नहीं ।

श्री मदनसिंह : क्या श्री रामसिंह की हवेली नहीं है, ऐसी सूचना आई है क्लेक्टर से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, यह कलेक्टर के पास से सूचना आई है कि कोई चल और अचल सम्पत्ति श्री रामसिंह के खुद के नाम से नहीं है ।

श्री मदनसिंह : ऐसी बात थी तो उसका जामिन था उससे वसूली क्यों नहीं हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जामिन से वसूली की कार्यवाही चल रही है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : किस स्टेज पर है, वह जो कार्यवाही चल रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्टेज़ तो अर्ज नहीं कर सकता, मगर कार्यवाही चल रही है । उसे डिमान्ड नोटिस दिया है, या कुर्की की कार्यवाही की जा रही है, इसके जवाब के लिए इन्तजार है ।

श्री मदनसिंह : आपको कैसे तसल्ली हो कि श्री रामसिंह की जमीन है, हवेली है, वह उसमें रहता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य सूचना देवें और वह सूचना सही हो तो तसल्ली हो ।

श्री मदनसिंह : मैंने लिखित रूप में आपको सूचना दी है, मकान पर रचना दी है, सबूत पेश किया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सूचना दी, वह क्लेक्टर को भेजी और साथ में लिखा कि कुर्क करके जायदाद नीलाम की जाय, वह जायदाद मुस्तहक नहीं होती है । मैं आभारी होऊंगा कि अगर उस जायदाद को मुस्तहक कर दिया जाय ।

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय मानते हैं कि उसे नाजायज रुपया दिया, उस रुपये की वसूली करनी चाहिए । लेकिन कलेक्टर को क्या सजा दी जिसने नाजायज जागीरदार मान लिया और उसे रुपया दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्लेक्टर ने फैसला दिया, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑर्डर्स जारी कर दिये । इसलिए क्लेक्टर को सजा देने का प्रश्न नहीं है ।

श्री मदनसिंह : क्लेक्टर ने ऑर्डर दिया वह उचित दिया, उसने किसी को जागीरदार बना दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उचित अनुचित के लिये नहीं कह सकता जब तक कि अन्तिम निर्णय न हो जाय । अभी यह इन्क्वायरी स्टेज पर है कि कलेक्टर ने

Page No 19

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऑर्डर दिया वह सही था या नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसला नहीं किया।

श्री मदनसिंह : राजस्थान रेवेन्यू मिनिस्टर यह नहीं कह सकते कि जागीरदार बनाने का किसको अधिकार है, मुझे अफसोस होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून में तरमीम बाद में हुई है। जब फैसला हुआ था तब तरमीम नहीं हुई थी।

श्री मदनसिंह : उससे पहले अधिकार था फैसला देने का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, उसे अधिकार था।

श्री मदनसिंह : उस समय अधिकार था फिर रुपया मांगने का क्या मतलब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप वाकयात सुनिये। जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसला नहीं किया, रिमाइन्ड कर दिया है, लिख दिया है कि इन्क्वायरी की जाय और फैसला कर दिया जाय। अब फैसला हो गया है तो पेमेन्ट को कार्यवाही हुई है।

श्री मदनसिंह : फैसला नहीं हो गया तब तक अनावश्यक चेष्टा की और १३५ जागीरदार बना दिये हैं। उसे सजा यह मिली है कि एजूकेशन का डाइरेक्टर बना दिया है। उस केस के बाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : आपने फर्माया कि चुकारा कर दिया है। रेवेन्यू बोर्ड से समन्स आये उसके पहले कर दिया गया है या बाद में जरा डेट बता दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास २-३-५७ को श्री रामसिंह के नाम से जो प्रमाण-पत्र जारी किया गया, उसकी मिसल कमिश्नर कोर्ट ऑफ वार्ड टिकाने की भेजी गई, २४-३-५७ को टिकाने कोर्ट ऑफ वार्ड से इतला कर दी गई। उसके बाद अपील को रिजर्व किया गया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह नहीं पूछ रहा कि रेवेन्यू बोर्ड के समन्स कब आ गये थे, पेमेन्ट किस दिन कर दिया गया था। मैं दो डेट्स चाहता हूँ। Actual date of payment and date of receipt of summons from the Revenue Board.

श्री दामोदरलाल व्यास : Date of summons is not with me. लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मिसल तलब करने के पूर्व चुकारा कर दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह कौनसी तारीख को आई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप किस आधार पर कहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस आधार पर कि मेरे पास सूचना है। जिस वक्त मिसल तलब हुई, उससे पहले पेमेन्ट कर दिया गया है।

श्री मदनसिंह : बात यह है कि माननीय मन्त्रीजी के एडमिनिस्ट्रेशन में घोटाला

Page No 20

(श्री मदनसिंह)

हुआ है और उसकी जांच ठीक तरह से नहीं हो रही है। मैं नहीं कह सकता कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को अच्छी तरह मालूम है या नहीं पर नीचे से घोटाला हुआ है। मैं समझता हूँ जब तक यह दुरुस्त नहीं होगा तब तक सवालात होते रहेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने उनको सूचना दे रखी है और वे जानते हैं कि जब जब यह केस सदन में आया है, मैंने अर्ज किया है कि मैंने आॅर्डर्स लिख दिये हैं कि १५ रोज में रिपोर्ट आवे। १५ रोज में प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, वसूली की रिपोर्ट आती है। मैंने माननीय सदस्य को बताया है और वे जानते हैं कि जो वसूली होगी वह जायदाद से होगी मैंने उनसे अर्ज किया है कि आप जायदाद बतावें। आप जो जायदाद बताते हैं उसके लिए सबूत मिलता है कि वह जायदाद उसकी नहीं है। आप जायदाद को मुस्तहक कर दें तो कुर्की करके वसूली की कार्यवाही करेंगे।

श्री मदनसिंह : मैंने यह नहीं कहा कि अब ढ़िलाई कर रहे हैं। ढ़िलाई तो पहले हो चुकी है। पर आपकी तरफ से कलेक्टर के पास हर हफ्ते इन्स्ट्रक्शन्स जाती हैं, कलेक्टर के यहां से आपके पास रिपोर्टस आती हैं तो फिर क्या बात है कि आप वसूल नहीं कर सकते आप उसके जामिन से वसूल कर सकते हैं। अगर जामिन के भी जायदाद नहीं है तो उस जामिन की जमानत लेना ही कानून के खिलाफ था, उस जामिन की जमानत ही कैसे ली गई ? पहली बात तो यह है कि जिस जागीरदार की जायदाद नहीं, उसको कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहिये था। यह सब घोटाला क्यों हुआ, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचंद डागा।

प्रश्न संख्या ८८०।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित

जिला जयपुर के टेम्प्रेरी नायब तहसीलदार

८८१. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जयपुर में कितनी तहसीलें हैं और उनमें ऐसे कितने नायब तहसीलदार हैं जो २० साल से भी ज्यादा सर्विस में होते हुए भी अभी तक टेम्परेरी हैं व इसके क्या कारण हैं ?

(ख) उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जयपुर जिले में १५ तहसीलें हैं उनमें ऐसा कोई नायब तहसीलदार नहीं जिसकी २० साल से अधिक सर्विस हो और अभी तक टेम्प्रेरी हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रभूलाल पुरोहित : चाकसू नायब तहसीलदार है।

Page No 21

श्री दामोदरलाल व्यास : आप किसके लिये परमाना चाहते हैं ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : चाकसू नायब तहसीलदार ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन हैं, जिसको आप परमानेन्ट बनाना चाहते हैं ? नाम बता दीजये ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : वह एक ही तहसीलदार हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : नाम बता देंगे तो मुझे भी सहूलियत रहेगी जांच करने में और आपको मदद करने में ।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ८८२

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८८३

श्री ब्रिजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८८४

श्री उम्मेदीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल ।

नोखा के हरिजनों के जमीन खरीदने हेतु प्रार्थना पत्र

८८५. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि आज से करीब तीन साल पहले टाउन इम्प्रूवमेंट कमेटी (नोखा) के मार्फत स्थानीय हरिजनों ने ज़मीन को सस्ते भाव में लेने हेतु सरकार से कोई लिखा पढ़ी की थी ? अगर हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां । टाउन इम्प्रूवमेंट कमेटी, नोखा ने अपनी मीटिंग में २ आना की दर से कन्सेशन रेट पर जमीन देने का तय किया पर किसी हरिजन ने ज़मीन नहीं खरीदी । इस पर १ आना वर्ग गज पर देने के टाउन एम्प्रूवमेंट कमेटी के समक्ष कागज़ात विचाराधीन हैं ।

श्री गिरधारीलाल : कागज़ात कब से विचाराधीन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले २ आना रेट तय की थी फिर भी किसी ने नहीं ली अब एक आना वर्ग गज़ के हिसाब से देने के कागज़ात विचाराधीन हैं ।

श्री गिरधारीलाल : कब तक इसका फैसला हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : यह सरकार के हाथ में फैसला करना थोड़े ही है ।

Page No 22

श्री गिरधारीलाल : इम्प्रूवमेंट कमेटी को सरकार लिख दे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार उसे बाध्य थोड़े ही कर सकती है कि फलां तारीख तक फैसला कर दो।

प्रश्न संख्या ८८६

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारी लाल।

ग्राम पंचायत जसरासर का चुनाव

८८७. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम जसरासर, तहसील नोखा की ग्राम पंचायत का चुनाव किस तारीख को हुआ व इसके सरपंच का क्या नाम है ?

(२) चुनाव के बाद उपरोक्त पंचायत का निरीक्षण कितनी बार व किन किन अधिकारियों द्वारा किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त पंचायत ने चार्ज संभालने के बाद निर्माण सम्बन्धी जो भी काम शुरू करवाये हैं उनके हिसाब में हज़ारों रुपयों का गोलमाल है ? अगर हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पंचायत को भंग कर हिसाब की जांच करवाने का विचार रखती है ?

(४) उपरोक्त पंचायत के कोष में इस वक्त कितनी धन राशि है और वह कहां जमा है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) ३०.१.५८ को निर्वाचन हुआ है, सरपंच श्री रामप्रताप हैं।

(२) दो बार निरीक्षण हुआ है। १६.६.५८ तथा ३०.११.५८ को पंचायत प्रसार अधिकारी, बीकानेर नोर्थ, द्वारा।

(३) जी हां। इस प्रकार की शिकायत अवश्य की गई है कि पंचायत भवन ग्राम सेवक हैड क्वार्टर व नोरंजन केन्द्र भवन उपयुक्त स्थान पर न बनवा कर नाजायज़ खर्च किया गया है। जांच जारी है व हिसाबात का ऑडिट भी करवाया जायगा।

(४) निरीक्षण के समय ३०११-५८ को २,३६८ रुपये पोस्ट ऑफिस में एवं ७८० रु०-५६ नये पैसे सरपंच के पास थे।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या यह सही है कि कार्यवाही पंजिका में निरीक्षण-कर्ताओं द्वारा नोट दिया गया है कि रुपये का दुरुपयोग किया गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : निरीक्षण करने वालों ने लिखा है कि ७८० रु०, ५६ न० पै० सरपंच ने अपने पास रखे थे वह उसे नहीं रखने चाहिये थे। २५० रु० से ज्यादा सरपंच के पास नहीं रहने चाहिये। इस बारे में सरपंच से पूछा गया है कि क्यों इतने रुपये उसने अपने पास रखे।

श्री गिरधारीलाल : क्या नियमानुसार तहसील पंचायत किसी भी समय अपने अधीन पंचायत का निरीक्षण कर सकती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि नौला तहसील पंचायत के उप–सरपंच उक्त पंचायत का निरीक्षण करने गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : मैं आपको जानकारी देता हूँ कि गये पर उक्त पंचायत ने कागज़ात नहीं दिखाये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं दिखाये तो यह शिकायत करनी चाहिये थी, सी. पी. ओ. या गवर्नमेंट के पास। पर ऐसी शिकायत मेरी जानकारी में है।

प्रश्न संख्या ८८८

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीबावा।

जिला पाली के भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों की नियुक्तियां

८८६. **श्री मोतीबावा चौधरी** (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाली ज़िले के कितने भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों की दरख्वास्तें राज्य सरकार को नौकरी दिलाने हेतु प्राप्त हुई।

(ख) उनमें से कितनों को नौकरी पर लगा दिया गया और कितनों को नौकरी नहीं दी गई।

(ग) जिनको नौकरी अभी तक नहीं मिली है उनको कब तक नौकरी पर लगा दिया जायगा। कितनी दरख्वास्तें नामन्जूर कर दी गई हैं और कितनी पेंडिंग हैं।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (क) ४३० दरख्वास्तें प्राप्त हुई।

(ख) ६६ को नौकरी दे दी गई है, शेष को नहीं।

(ग) जागीर सेवा काल का रेकॉर्ड प्रेषित होने पर व उनके जागीर कर्मचारी होने का मालूम हो जाने पर नौकरी पर लगा दिया जाता है। ३५५ कर्मचारियों की दरख्वास्तें नामंजूर कर दी गई हैं व ६ की दरख्वास्तें पेंडिंग हैं।

श्री मोतीबावा : नामंजूर किस कारण से की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : नामंजूर किस आधार पर की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीर कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेने के रूल्स बने हुए हैं, उनमें, कवर नहीं होती थीं इसलिये नामंजूर कर दी।

प्रश्न संख्या ८६०

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

Page No 24

(श्री अध्यक्ष)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।

झोटवाड़ा में औषधालय व डिस्पेन्सरी का अभाव

८६१. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-सु०) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील जयपुर के अन्तर्गत कस्बा झोटवाड़ा में कोई औषधालय या डिस्पेन्सरी नहीं है ।

(ख) सरकार यहां पर यह सुविधा प्रदान करने का विचार कब तक रखती है ?

उपमंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई): (क) झोटवाड़ा में कोई एलोपेथिक डिस्पेन्सरी व आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है ।

(ख) डिस्पेन्सरी या औषधालय खोलने का कोई प्रश्न निकट भविष्य में नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार महसूस नहीं करती कि वहां के लोगों को स्वास्थ्य की आवश्यकता है ?

श्री भीखाभाई : महसूस करती है पर डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी ने वहां के लिये सिफारिश नहीं की है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : वह ब्लॉक का हैड क्वार्टर है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्राईमरी हैल्थ सेंटर डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी की सिफारिश पर ब्लॉक हैड क्वार्टर्स पर खोले जाते हैं पर वहां के लिये डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी ने सिफारिश नहीं की है । ब्लॉक्स में प्राईमरी हैल्थ सेंटर खोलने का है, इसका नम्बर आयगा तब वहां भी खोलने के बारे में विचार किया जायगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री: झोटवाड़ा तीन चार मील की दूरी पर है और लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल पड़ती है ।

श्री अध्यक्ष : तब तो बहुत नज़दीक है ।

श्री मंगलसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष, ८६२ नं० के प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय ।

तहसील जसवन्तपुरा में हरिजनों व आदिवासियों को मकान बनाने हेतु दी गई धन राशि

८६२. श्री मंगलसिंह (रानीवाड़ा, श्री अनोपसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

तहसील जसवन्तपुरा, ज़िला जालोर में किन किन हरिजनों व आदिवासियों को मकान बनाने हेतु सरकार द्वारा कितना कितना रुपया दिया गया ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

उपमंत्री समाज कल्याण विभाग (श्री भीखाभाई) : तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालोर में १९५६–५७ में १० भील परिवारों को ३५० रु० प्रति परिवार के हिसाब से मकान बनाने हेतु सहायता दी गई। परिवारों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री अनोपसिंह : क्या कोई ऐसी भी अर्जियां हैं जो पेन्डिंग है ?

श्री भीखाभाई : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अनोपसिंह : कुल कितनी अर्ज़ियां आई ?

श्री भीखाभाई : दस दर्खास्तें थीं उनमें से १० को ही सहायता दी गई।

श्री अध्यक्ष : श्री लालूराम टटवाड़िया।

देवली तहसील में नल व बिजली लगाने की योजना

८६३. **श्री लालूराम टटवाड़िया** (टोंक–सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देवली तहसील, ज़िला टोंक में नल व बिजली लगाने की योजना कब से चालू है व कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि देवली में नल हौज़ आदि भी लग गये हैं तथा वहां नल व बिजली का सामान भी पड़ा है ? यदि हां, तो वह कार्य कब चालू होगा ?

(ग) देवली तहसील में नल बिजली लगाने में कितने खर्च का एस्टीमेट है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) देवली की नल योजना इसी मास से चालू हुई है व उसके पूरा होने में करीब एक डेढ़ साल लगेगा।

(ख) देवली में कोई नये नल हौज़ आदि नहीं लगे हैं और न इस विभाग का कोई सामान ही पड़ा है।

(ग) देवली वाटर सप्लाई स्कीम का एस्टीमेट १,७६,६०० रु० का है जिसकी मंजूरी अभी गत मास में दी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या देवली में बड़ा भारी पॉवर हाउस ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से बना हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सेंट्रल पी. डब्ल्यू. डी. का बना हुआ था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या कुआ खोद कर बनास से लेकर देवली कन्टोन्मेंट तक तमाम नल लग चुके हैं पहले ही ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लगे हुए हैं। दूसरे १,७६,००० रु० मंजूर हुए हैं वह वहां पर कर रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कोशिश पूरी नहीं होगी तब तक नल लगाना क्या काम देगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पॉवर हाउस बिजली डिपार्टमेंट ले रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं पॉवर हाउस की नहीं वाटर वर्क्स को लेने की बात कर रहा हूँ। उसी इंजिन से काम लिया जायगा या दूसरा लगाना पड़ेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो पी. डब्ल्यू. डी. तय करेगा।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह योजना सारी तहसीलों के लिये है या तहसील हैड क्वार्टरों के लिये ही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो देवली कस्बे के बारे में है। यह जो काम पी. डब्ल्यू. डी. सेन्ट्रल की तरफ से पूरा नहीं हुआ तो उसको पूरा कराने के लिये है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बेगूं सब-डिविज़न में नाजायज़ तरीके से पेड़ काटने के मामले

८६४. श्री सुगनचन्द जैन (बेगूं) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बेगूं सब-डिविजन (चित्तौड़गढ़) में कितने नाजायज़ तरीके से पेड़ काटने के मामले सन् '५७ से '५६ तक दर्ज हुए हैं ?

(२) कितने मामलों में सज़ा या जुर्माना हुआ, कितने खारिज हुए व कितने पेंडिंग है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) ५० मामले।

(२) ६ में जुर्माना, ११ खारिज, ३० पेन्डिंग हैं।

श्री सुगनचन्द जैन : कौन कौन सी तारीख को और किन किन व्यक्तियों पर, यह इसमें दर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कौन कौन से व्यक्तियों पर से आपका क्या मतलब है ? इन्होंने जनरल जवाब दे दिया है।

श्री सुगनचन्द जैन : मेरा मतलब जनरल से नहीं था। कौन कौन सी तारीख को और किन किन से, यह मेरा मतलब था ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने व्यक्तिगत मामलों पर उत्तर देना उचित नहीं समझा।

श्री सुगनचन्द जैन : एक एक व्यक्ति पर मामला चला है।

श्री अध्यक्ष : इससे क्या फर्क पड़ता है।

श्री सुगनचन्द जैन : मुझे व्यक्तिगत में दिलचस्पी थी। अलग अलग केसेज़ हुए थे।

श्री अध्यक्ष : ये बता रहे हैं कि ३० मामले पेन्डिंग हैं।

श्री सुगनचन्द जैन : कौन कौन से मामले पेन्डिंग हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

पंचायत विरांटियां खुर्द के कुछ पंचों को पंचायत की मीटिंग्स में सम्मिलित होने से रोकना

८६५. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत विरांटिया खुर्द, तहसील रायपुर, ज़िला पाली में श्री फकीर मोहम्मद, श्री तेजाराम, श्री देवाराम पंच चुने गये थे और पंचायत की बैठकों में भी भाग लेते थे ?

(ख) क्या यह सही है कि इन तीनों पंचों को सरपंच व पंचायत के मुन्शी और चपरासी द्वारा पंचायत की बैठकों में नहीं आने दिया जाता है ?

(ग) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत विभाग के मुख्य पंचायत अधिकारी द्वारा कई बार इन तीनों पंचों को पंचायत की बैठकों में भाग लेने से न रोकने की आज्ञा भी जारी की गई थी परन्तु उसका कोई पालन नहीं हुआ ?

(घ) पंचायत विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) सरपंच का उत्तर प्राप्त हो चुका है। उचित कार्यवाही शीघ्र की जावेगी। सरपंच को हिदायत कर दी गई है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि पंचायत के पंचों को पंचायत की पंचायत के काम में भाग लेने में बाधा डालने का काम क्रिमीनल ऑफेन्स नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्रिमीनल ऑफेन्स तो बनता है या नहीं, यह पंचायत का काम नहीं है। पंच एक कोई बोडी नहीं है। सरपंच ने पंचों को नहीं बैठने दिया ?

श्री भैरोंसिंह : जब कोई पंच पंचायत में जाता है और उसको पंचायत के काम में जाने के लिये रोक लिया जाता है तो यह क्रिमीनल ऑफेन्स तो है ही।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो एक्सप्लेन करने की बात है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने उस चपरासी और क्लर्क के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है उसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरपंच ने रोका था। उसने कहा कि वे गाली गलौच करते हैं और हमको पंचायत का काम नहीं करने देते हैं। गाली गलौच करते हैं इसलिये उनको रोका था।

श्री भैरोंसिंह : इसमें पंचायत के अधिकारियों की शिकायत है कि पंचों को पंचायत में जाने से रोकते हैं। जब किसी को पंचायत के काम में जाने से रोकते हैं तो यह क्रिमिनल ऑफेन्स की तरह से ही ट्रीट करना चाहिये।

Page No 28

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चपरासी और मुंशी दोनों में ही उनको सरपंच के हुक्म से ही रोका था।

श्री भैरोंसिंह : इसमें यह नहीं है। इसमें यही है कि मुंशी और चपरासी रोकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरपंच के हुक्म से रोकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या चपरासी और मुंशी ने यह लिख कर दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन सरपंच ने यह लिख कर दिया है कि पंचायत के काम में बाधा पहुँचाते हैं और गाली गलोच करते हैं इसलिये रोका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या यह उनका लिखा हुआ है कि उन्होंने मुंशी और चपरासी को रोकने के लिये हुक्म दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरपंच का लिखा हुआ है। हमने उनको मना किया कि ऐसा नहीं होना चाहिये तो उन्होंने कहा कि गाली गलोच करते हैं और बदनाम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

तहसील कोटपूतली में लगान के साथ बट्टे की वसूली

८६६. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील कोटपुतली के कुछ गावों से लगान के साथ बट्टा भी वसूल किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो यह बट्टा किन किन गावों से वसूल किया जाता है तथा किस दर से ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि कोटपुतली के गांवों में झाड़शाही बट्टा वसूल नहीं किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस समय झाड़शाही लीगल टेन्डर था उस समय उस हिसाब से लिया जाता था और अब वह उसमें शामिल कर दिया गया है ?

श्री रामकरणसिंह : क्या झाड़शाही लगान का बट्टा लगान मे शामिल किया जाता है और उसको मिला कर लगान लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या भूतपूर्व सारे जयपुर स्टेट में यह लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां कलदार में वसूल नहीं किये जाते थे और बट्टा लिया जाता था वह अब उसमें शामिल कर दिया गया है। जहां रिवाइज्ड सेटलमेंट नहीं

Page No 29

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हुआ है वहां कलदार में झाड़शाही का बट्टा शामिल कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में कूड़ा डालने की व्यवस्था

८६७. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर शहर में कूड़े की गाड़ियां कहां कहां खाली की जाती हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सच है कि शहरपनाह के बाहर नॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल के पास जालूपुरा बस्ती के निकट भी ऐसा ही कूड़ा डालने का स्थान है ?

(ग) क्या इस प्रकार के स्थान किसी योजना के अनुसार डम्पिंग ग्राउन्ड आदि तैयार करने के उद्देश्य से निश्चित किये जाते हैं ?

(घ) क्या इस प्रकार के कूड़ा डालने के स्थान बस्ती के आसपास होने से वहां की जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं ? यदि हां, तो क्या अब योजनाबद्ध तरीके से कूड़े की गाड़ियां खाली करने के स्थान निर्धारित किये जावेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) (१) ट्रेंचिंग ग्राउन्ड घाट दरवाजे बाहर।

(२) ट्रेंचिंग ग्राउन्ड चांदपोल दरवाजे बाहर।

(३) ट्रेंचिंग ग्राउन्ड हवाली शहर गर्बी जालूपुरा।

(४) ट्रेंचिंग ग्राउन्ड चौकड़ी रामचन्द्र जी राधाकिशन का कुंड।

(ख) जी हां।

(ग) इस प्रकार के स्थान स्थाई डम्पिंग ग्राउन्ड तैयार करने को निश्चित नहीं किये गये हैं। केवल अस्थाई डम्पिंग ग्राउन्ड बनाया जाता है। शहरपनाह के बाहर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाने के कारण उस भूमि को समतल करने के लिये कचरा डलवाया जा रहा है।

(घ) कन्ट्रोल्ड डम्पिंग ग्राउन्ड बनाने से नुकसान नहीं पहुँचता है। शहर से बाहर स्थाई ट्रेंचिंग ग्राउन्ड बनाने के लिये स्थान निर्धारित किये जा रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जहां पर ऐसे गड्ढे दिखाई देते हैं उसका एक मात्र यही साधन दिखता है क्या कि उनको इस प्रकार गंदगी से भरा जाए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह भी एक साधन है कि हम गड्ढों को भर दें।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह नहीं देखा जाता कि वहां पर गांव वाले लोग बसते हैं और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये कोई ज़मीन तलाश हो रही है।

Page No 30

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि कूड़े की गाड़ियें जयपुर से चन्दपोल के बाहर श्मशानों में डाली जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे ख्याल से वहां श्मशान तो नहीं हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जब तक इसके लिये कोई योजना न बन जाए तब तक क्या नगर पालिका ऐसा ध्यान रखेगी कि बस्तियों के आस पास इस प्रकार कूड़ा न डाला जाए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शहर में चारों तरफ मुकर्रर होते हैं। इसके लिये नई व्यवस्था कैसे हो ?

डॉ० चन्द्रकला : जैसा प्रश्न के भाग ३ में आया है आप अस्थाई डम्पिंग ग्राउन्ड बनाते हैं। आप इस तरह से कहीं भी बना सकते हैं। आप जो भी बनावें, कहीं भी बनावें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि लोगों के स्वास्थ्य पर उसका असर न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द जाटव।

ग्राम बरबाड़ा, तहसील गोविन्दगढ़ में शरणार्थी परिवारों का बसाना तथा उनको भूमि का अलॉटमेंट

८६८. श्री गोकुलचन्द जाटव (लछमणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बरवाड़ा, सब-तहसील गोविन्दगढ़ में सरकार कुछ और शरणार्थी परिवारों को बसाना चाहती है ? यदि हां, तो कितने परिवार बसाये जायेंगे और वे कहां से आ रहे हैं ?

(२) ग्राम बरवाड़ा में पहले से कितने शरणार्थी बसे हुए हैं ?

(३) यदि वहां और शरणार्थी परिवार बसाये गये तो क्या उनको काश्त की जमीनें भी दी जायेंगी ?

(४) यदि हां, तो क्या इसके लिए वहां के हरिजनों को बेदखल किया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं।

(२) ५७।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

तहसील पंचायत सीकर द्वारा अधिकारों का दुरूपयोग

८६९. श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तहसील पंचायत सीकर के विरुद्ध ग्राम कोलीडा के निवासियों ने अधिकारों के दुरूपयोग की शिकायत की है ?

(ख) क्या यह सही है कि पंचायत कोलीडा के निर्णय किये बिना ही तहसील

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पंचायत ने बाड़े उठवाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है ?

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही हुई है ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) तहसील पंचायत से उत्तर लिया जा रहा है और उत्तर प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस बाड़े को हटाने के लिये गवर्नमेंट ने निर्णय लिया या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : बाड़े को हटाये ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : तहसील पंच कौन से हैं जिन्होंने इस प्रकार के आदेश दिये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो जगदीशजी से पूछें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डिपार्टमेंट थोड़ा ही है ।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उनके नाम बता दें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नाम नहीं बता सकते ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

१२. ८ म० प०

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आज का दिन गैर सरकारी कार्य के लिये रखा गया है ।

(श्री पी. के. चौधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : इसका निर्णय बाद में दिया जावेगा । अभी सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मेरा भी एडजोर्नमेंट मोशन है ।

श्री अध्यक्ष : उसका भी यही हाल है ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने चार विभागों के लिये बताया है । उनमें सामान नहीं खरीदा गया है और स्टॉक रजिस्टर में सब दर्ज है । मगर सामान अभी नहीं आया है । आप एन्टीकरेप्शन विभाग के किसी अधिकारी को भेज कर तुरन्त जांच करवाइये ताकि रेड हैन्डेड लोग पकड़े जावें ।

श्री अध्यक्ष : आपकी माननीय मंत्री महोदय से बात भी हो चुकी है ।

श्री भैरोंसिंह : ऑफिसियल कोई बात नहीं हुई है । मैं तो यह चाहूंगा कि वे यहां

(श्री भैरोंसिंह)

पर करें। मैं यह चाहूंगा कि तुरन्त स्टॉक को चैक किया जाए। मैंने चार विभागों के लिये कहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और कृषि इन चारों विभागों की तुरन्त जांच होनी चाहिये। तुरन्त जांच नहीं की जावेगी तो कल रविवार होगा और कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : जांच करने के लिए तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे यहां कहें और मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : We will just find out.

श्री भैरोंसिंह : कल सन्डे (रविवार) है और असेम्बली में मैं कुछ नहीं कर सकता। परसों मन्डे (सोमवार) आजावेगा। रजिस्टरों में जो एन्ट्रीज़ हैं उनको काटेंगे। एक मामले में तो मैं कहता हूं कि अभी माननीय मंत्रीजी मेरे साथ जीप में बैठ कर चलें। मैं उनको वे सब पकड़वा सकता हूँ कि सामान आया नहीं हैं, पेमेन्ट हो गया है, रजिस्टरों में एन्टरी नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : असेम्बली को छोड़ कर चला जाऊं तो यहां पर गैर हाजरी हो जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : वहां सरकार के हज़ारों रुपयों का सवाल है लेकिन आपकी गैर हाज़री से तो १२॥ रु० का ही सवाल है। यहां सदन में जब कभी सवाल आता है तो आप कहा करते हैं कि मामला रखो सरकार जांच कराने के लिए तैयार है। लेकिन जब मामला रखते हैं और चल कर जांच के लिए कहते हैं तो चलने के लिए तैयार नहीं होते। हजारों रुपयों का सवाल है। बजट की रकम कहीं लैप्स न हो जाय इस दृष्टि से हजारों रुपयों का सामान खरीद लिया है, पेमेन्ट कर दिया है बिल्स का, सामान आया नहीं है। आप अभी चल कर इसको चैक कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : जांच का आश्वासन दे दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जांच ही का सवाल नहीं है। मन्त्री महोदय के द्वारा सदन में बार बार कहा जाता है कि कोई मामला लाओ जांच कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब इस प्रकार सीरियस मेटर्स सदन में लाये जाते हैं और कहा जाता है कि जाकर मौके पर चैक करो तो उसके लिए तैयार नहीं होते। इसका मतलब यह होता है कि जान-बूझ कर ऐसे सीरियस मामलों में भी ढ़िलाई लाई जाती है और जाने के लिए भी तैयार नहीं होते जब कि कहा जा रहा है कि अभी जीप में बैठ कर उनके साथ जाइये और ऑन स्पोट चैक करिये, तो कह देना कि जांच करा लेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको फिर टाइम निकलने से कॉग्निजेन्स मिल जाता है और आप कॉग्निजेन्स मिल जाय इस प्रकार का चान्स दे देते हैं। अभी जीप में बैठ कर उन तमाम मेटिरियल को आप, जो कि पकड़वाना चाहते हैं, अपने पजेशन में लीजिये।

श्री अध्यक्ष : क्या आप यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपने जो बातें कही हैं वे सही हैं।

Page No 33

श्री भैरोंसिंह : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। अभी चल कर स्टॉक रजिस्टर आदि को अपने पजेशन में ले लीजिये। क्या फिजिकल वेरीफिकेशन होता है। इसका आप को पता लगेगा। हजारों रुपयों का सामान खरीदा गया, सामान आया नहीं, पेमेन्ट हो गया, एक आइटम भी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : डिटेल्स बता दीजिये। किस तरह की जांच कराना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने चार विभाग बताये हैं। आप जांच कराना चाहते हैं, मैं चाहता था कि इसको कॉन्फिडेन्शियल रखूं, लेकिन फिर भी यदि आप इसको हाउस में कहलवाना चाहते हैं तो मैं हाउस में भी कहने के लिए तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष : हाउस में कहने के लिए तैयार नहीं होइये। किस किस चीज़ की जांच करवाना चाहते हैं ? उन्हें आप कह दीजिये जांच करा लेंगे।

(विराम)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री की ओर से संकल्प था और सरकार द्वारा अब उसका उत्तर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं चार नाम बताना चाहता हूं। एक तो सांगानेर के बी०डी०ओ० ऑफिस को चैक करिये, दूसरा जयपुर एजूकेशन इन्स्पेक्टोरेट ऑफ ईस्ट को चैक करिये, तीसरा जयपुर शहर के हॉस्पिटल्स को चैक करिये और चौथा एग्री कल्चर डिपार्टमेंट की परचेजेज़ हैं उनको चैक किया जावे, उन सबका आपको अभी पता लग जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चलें तो सही, तब उनको पता लगेगा।

श्री अध्यक्ष : इन्स्पेक्टोरेट से मतलब आपका इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स से है ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मतलब डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के दफ्तर से है ?

श्री भैरोंसिंह : एग्रीकलचर ऑफिस का। डाइरेक्टोरेट एग्रीकलचर न आये।

श्री अध्यक्ष : स्टोर्स जुदा २ होते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्टोर्स रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : साथ चलें। मैं अभी बताने के लिए तैयार हूं कि कौनसा रजिस्टर कहां पड़ा है। जगह बताऊंगा कि इस जगह पड़ा है और इस आदमी को पेमेन्ट किया गया है।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प पर . .

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दीजिये। संकल्प पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने जो चार बातें कहीं फिर उनका क्या हुआ ? जब हाउस में इस प्रकार की बातें रखी जांय और मंत्री महोदय कहा करते हैं कि मामला बताओ जांच कराने के लिए तैयार हैं लेकिन जब बताते है तो चलने के लिए तैयार नहीं होते। इस प्रकार से हाउस में जो चार्ज लगाये जाते हैं उन सब

Page No 34

(श्री भैरोंसिंह)

बातों को देख कर तुरन्त गिरफ्तारी करनी चाहिये, कागजात को पजेशन में लेना चाहिये। मंत्री महोदय स्वयं न जा सकें तो कम से कम एन्टीकरप्शन विभाग को भेज कर इन सब कागजात को पजेशन में लेना चाहिये था किन्तु जब इस प्रकार से लाखों रुपयों के सामान की खरीद हो जाती है, पेमेन्ट हो जाता है और सामान पहुँचता है ही नहीं, यों के यों आइटम खड़े रहते हैं, जांच करते नहीं। हाउस में कहा जाता है कि जांच करेंगे और उसमें देरी हो जाती है तो एक प्रकार का कॉन्फिडेन्स मिल जाता है।

श्री अध्यक्ष : इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और नोट किया है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे साथ लेकर चलें तब मैं समझ सकता हूँ कि सरकार ने इसको गम्भीरता से लिया है। सरकार फेक्ट्स फाइन्डिंग में लगेगी तो सरकार के ऑफिशियल्स ज्यादा चतुर हैं, वे उन सबको ठीकठाक कर देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): सरकारी ऑफिशियल जांय न जांय लेकिन सरकार के एन्टीकरप्शन विभाग को तो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बातें कह दी हैं। उन बातों को नोट कर लिया है सरकार ने और वो उनकी जांच कर लेगी। कुछ तो समय दिया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) जाकर जांच करना चाहिये।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : सही तौर पर जब कहा जाता है तो फिर उसमें जांच कराने में हिचकिचाहट क्यों होती है ?

श्री अध्यक्ष : हिचकिचाहट का क्या प्रश्न हुआ ? वे कहते हैं कि बाकायदा जांच करायेंगे।

श्री होतीलाल : तब तक तो एन्ट्री हो जायगी।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आपने जिस चार विभागों के बारे में जानकारी दी है कि वहां इस प्रकार की कार्यवाही की गई है, कि असल में, बाकई खरीददारी नहीं हुई है किन्तु खरीददारी दिखायी गई है। रसीदें दे दी गई हैं किन्तु सामान एक्चुअली नहीं आया है। आपने कहा कि ठीक बातें हैं। इसकी हम जरूर एन्क्वायरी करेंगे और इमिजियेटली करेंगे। आज ही नसेसरी ऑर्डर्स जारी करेंगे। आपने सूचना दी है उसके लिए सरकार जो भी कार्यवाही कर सकती है करेगी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ऐसी कोई चालाकी करता है तो गुन्जाइश जरूर रखता है। चालाकी मालूम करना चाहते हैं लेकिन एक दो दिन में तो उनमें करेक्शन हो सकता है। नतीजा इसका यह होगा कि यह कहा जायगा कि ऐसा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : आपने जो यह बातें कहीं उनको नोट कर लिया गया है। मंत्री महोदय खुद जांय या न जांय या किसी विभाग द्वारा जांच करायें। मैं समझता हूं कि उनके आश्वासन को हमें स्वीकार करना चाहिये।

Page No 35

१२,१६ म० प०

अशासकीय संकल्प

(१) अस्पृश्यता निवारण हेतु जिला समितियों का निर्माण

(दिनांक २७ फरवरी १६५६ क्रम में)

संकल्प पर एक बजे तक बहस होगी और फिर सरकार की ओर से उत्तर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें तो उप मंत्री महोदय का जवाब हो जाय वह ही काफी है।

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम बोलना चाहते हैं।

श्री गोकुलचन्द जाटव (लछमनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर पिछले अशासकीय कार्य के लिए जो दिवस रखा गया था उसमें काफी बहस चली थी। सदन के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की थी और वास्तव में अस्पृश्यता के सम्बन्ध में जो दर्द है वह, तो असल में वे ही जान सकते हैं जो शोषित हैं, बहिष्कृत हैं और अपमानित हैं। यह प्रश्न वैसे थोड़े दुःख का विषय भी है क्योंकि सन् १६४७ में देश आजाद हुआ और आज १२ वर्ष के बाद भी अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वास्तव में यह दुःख और चिन्ता का ही विषय है। मैं इस सम्बन्ध में आप से कुछ निवेदन करना चाहूँगा और वह यह है कि वास्तव में इस तरह की कमेटी का क्या महत्व है? यह कि हमारे कहने से नहीं बल्कि गत वर्ष राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया था कि वास्तव में हरिजनों को रियायत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पा रही है और उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है एवं जो तरीके इस सम्बन्ध में अपनाये जांय उनका संकेत किया था कि जिसमें ऐसे विभाग की स्थापना की जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है। चूंकि इस विषय में कोई इन्ट्रेस्टेड नहीं है इसलिए दूसरा विषय लिया जाय।

(गण पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री गोकुलचंद जाटव : तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन यह करना चाहता हूं कि वास्तव में इसमें दो राय नहीं सकती कि अस्पृश्यता निवारण का कार्य अभी बाकी है, अधूरा है इसलिये इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव उपस्थित करता हूं।

हरिजनों के सम्बन्ध में वैसे कार्य करने को तो बहुत हैं लेकिन खास तौर से मेरा यह निवेदन है कि सरकार वास्तव में हरिजनों को समानता के स्तर पर लाना चाहती है तो पहली बात यह होनी चाहिये कि लड़कों को छात्रवृत्ति देने का जो प्रावधान रखा है उस सम्बन्ध में सतर्कता से काम लिया जाना चाहिये। इसमें कुछ अधिक रुपया रखे और चाहे चौथी या पांचवी कक्षा से ही यह छात्रवृत्ति दी जाय, पर सबको दी जानी चाहिए। क्योंकि दसवीं से ऊंची कक्षा के लिए तो केन्द्र से छात्रवृत्ति मिलने का निश्चय हो चुका है वैसी हालत में चौथी या पांचवी कक्षा जो पास कर लेता है उस हरिजन छात्र को छात्रवृत्ति अवश्य मिलनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जब हरिजन

Page No 36

(श्री गोकुलचन्द)

विद्यार्थ पढ़ लिख कर इस योग्य हो जाय कि नौकरी कर सके तो उसको नौकरी देने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वे केवल एक डिपार्टमेन्ट में अपना नाम दे सके और वहीं के ज़रिये उपयुक्त स्थान पर उसको रोजगार मिल सके। इसके लिये मैं चाहता हूँ कि समाज कल्याण विभाग बहुत उपयुक्त विभाग है। समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि कितने छात्र मैट्रिक, इन्टर ग्रेजुएट हैं और कितने नौकरी के उम्मेदवारी हैं, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो। उपयुक्त स्थान पर नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को लेनी चाहिये। वैसे हमें यह मालूम पड़ा है कि इस विभाग का विस्तार हो रहा है इसके ऑफिसेज़ जिलों में भी बन रहे हैं। दर असल जिला लेवल पर यह हो जायगा तो बहुत कुछ हरिजनों को राहत मिल सकेगी।

खास तौर से नौकरियों के बारे में हमें एक शिकायत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में हरिजनों को नौकरी नहीं मिल पाती एक दो को मिल गई तो कोई मतलब नहीं। ज्यादातर हम देखते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो नियुक्ति की जाती है उसमें हरिजनों को बहुत कम लिया जाता है। हरिजनों को ऑफिसर लोग लेने के लिये तैयार नहीं होते क्योंकि चपरासी से तो वे घर का भी काम ले लेते हैं वह काम हरिजनों से नहीं करवा सकते इसलिये हरिजनों को वे चपरासी के स्थान पर भी लेने के लिये तैयार नहीं हैं। इस कारण भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में हरिजनों को स्थान नहीं मिल पता।

दूसरी बात यह है कि म्यूनिसिपल बोर्ड में ज्यादातर हरिजन लोग काम करते हैं। उसमें जमादार भी कुछ हरिजन हैं। लेकिन इससे ऊपर के केडर में सेनीटरी इन्सपेक्टर या क्लर्क हरिजनों में से लेने चाहिए। जहां तक मुझे अलवर म्युनिसिपैलिटी का पता है वहां एक भी मेहतर सेनीटरी इन्सपेक्टर या क्लर्क की जगह पर नहीं है। ऐसी बात नहीं कि हरिजनमें योग्य आदमी नहीं हैं। मैं आपको बताऊं वह दो छात्र ऐसे हैं जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और एक सेकिन्ड ईयर में पढ़ रहा है वे बारबार इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि उन्हें म्युनिसिपल बोर्ड में सेनीटरी इन्सपेक्टर बना दिया जाय लेकिन अफसोस है कि एक साल हो गया पीछा कर रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की जिम्मेदारी भी समाज कल्याण विभाग की होनी चाहिये।

नौकरी के अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ज़मीन से सम्बन्ध रहता है। गांवों में बहुत से लोग हैं वे काश्त करते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त ज़मीन नहीं है। उसके लिये सरकार को चाहिये कि काश्त के लिये उनको भूमि दे ताकि वे इज्जत के साथ अपना पेट भर सकें और ठीक प्रकार से रोटी खा सकें। रहने के लिये जो ज़मीन उनके पास है उसके लिये मेरी हमेशा शिकायत रही है। मैंने इसके लिये पिछली बार भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। गांवों में क्या शहरों में क्या हरिजनों को ज़मीन की बहुत कमी है। जिस ज़मीन पर वे रहते हैं वह पर्याप्त नहीं है आजकल ज़मीन का जो

(श्री गोकुलचन्द)

ऑक्शन होता है उसके कारण वे नीलामी बोली नहीं लगा सकते । राजगढ़ तहसील के अन्दर जहां पर मैंने जाकर देखा है एक एक घर ऐसा है जहां एक में मवेशी रखे जाते हैं और एक घर में सारा कुटुम्ब रहता है । ज़मीन जब मांगी जाती है तो कहा जाता है कि यह गांव बिस्वेदार के अन्दर में है....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय कोरम नहीं है । बार बार कोरम नहीं रहता इससे तो हाउस को एडजर्न कर दिया जाय ।

(गणपूरक घंटी)

श्री गोकुलचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना वक्तव्य थोड़ी देर में ही खत्म किये देता हूं । वास्तव में दुःख का विषय है कि कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न आता हैं तो विरोधी सदस्यों से तो हम क्या आशा करें कांग्रेस के सदस्य भी यहां उपस्थित नहीं रहते ।

मैं निवेदन यह कर रहा था मकान बनाने के लिए जो ज़मीन हो उसके लिये गांवों में तहसीलदार को यह हिदायत दे दी जाय कि जो हरिजन अपने निवास स्थान के लिए ज़मीन लेना चाहे तहसीलदार को यह हिदायत दे दी जानी चाहिये कि वह उनके लिये ज़मीन का इन्तज़ाम करे । मकान बनाने के लिये समाज कल्याण विभाग से सहायता दी जाती है, वह नई बस्तियों के लिये दी जाती है । उसमें दिक्कत यह आती है कि अलग मकान बनाने के लिये ज़मीन लेना चाहे तो वह मुश्किल हो जाती है । उसे कर्जा या सहायता इस विभाग से नहीं मिलती है । काश्त के लिये ज़मीन नहीं मिलती है तब तक उनका गांवों में रहना मुश्किल होता है । मकान चाहे गावों में बनाया जाय या शहरों में बनाया जाय उसके लिये बजट में जितनी गुंजाइश हो उतनी सहायता दी जानी चाहिये और थोड़ा बहुत कर्जा भी दिया जाना चाहिये ताकि वह रहने के लिये, अपने गुजारे के लिये, मकान बना सकें ।

चर्म उद्योग का भी बहुत बड़ा काम है । सरकार को-ऑपरेटिव को यह काम देती है तो चर्म उद्योग काफी सफलता पूर्वक चल सकता है । मेरी निगाह में दो को-ऑपरेटिव हैं । एक तो गोविन्दगढ़ को-ऑपरेटिव जिसको ढाई हज़ार रुपया मिला है जिसके बीस सदस्य हैं, दूसरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी हैं गन्दीका गांव की जिसके सोलह सदस्य हैं और जिसको एक हज़ार रुपया मिला हैं । वास्तव में को-ऑपरेटिव को चलाना चाहते हैं तो यह रकम बहुत कम है, ज्यादा रकम मिलनी चाहिये ।

एक निवेदन मेरा यह भी है कि मुझे अभी रेवाड़ी जो पंजाब राज्य की एक तहसील है रैदास जयन्ती के अवसर पर जाने का मौका मिला । मैंने जब वहां यह बात कही कि मैं विधानसभा का कार्य छोड़ कर आया हूं तो उन्होंने यह कहा कि क्या रैदास जयन्ती की आपके यहां छुट्टी नहीं होती जब कि पंजाब के अन्दर छुट्टी होती हैं ? स्वामी रैदासजी हरिजनों के उत्थान में पिछड़े वर्ग को उठाने में काफी ऊंचा स्थान रखते हैं । वे एक अच्छे सन्त हुए हैं । उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिये व समाज में समानता पैदा करने के लिये अपना जीवन का बलि-

Page No 38

(श्री गोकलचन्द)

दान किया है । पंजाब में जो हमारा पड़ौसी राज्य है वहां गजेटेड छुट्टी होती है इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि रैदास जयन्ती की गजेटेड छुट्टी यहां भी होनी चाहिये ।

एक निवेदन और है । मैं इस राज्य के बाहर जहां कहीं भी गया हूं मुझे ऐसा सुनने में आया है कि जयपुर की प्याउओं में अब तक नालियां लगायी जाती हैं । समाज कल्याण विभाग को, यदि इस प्रकार की नालियां कहीं लगी हुई हों तो उनको हटाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये । कानून बन जाने के बाद भी किसी प्याऊ पर इस प्रकार की नालियां लगी रहती हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि अस्पृश्यता अभी तक बनी हुई है । सरकार से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की नालियों को हटाये जाने का तुरन्त प्रबन्ध किया जाना चाहिये ।

एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान और दिलाना चाहता हूं सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सब डिपार्टमेंट्स के लिये खादी को अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है । आम तौर पर सरकारी दफ्तरों में खादी पहनना सब के लिये अनिवार्य कर दिया गया है । अगर आप सरकारी दफ्तरों में हरिजन चपरासियों को नियुक्त करने का आदेश दें और यह अनिवार्य कर दें तो अस्पृश्यता हट कर काफी समानता आ जायगी ।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब कभी किसी गांव में या शहर में मन्त्रीगण जाते हैं या राज्य अधिकारी जाते हैं तो उनको कम से कम हरिजन बस्ती में तो जरूर जाकर जलपान करना चाहिये, इससे भी काफी असर पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : यह तो बहुत महँगा पड़ेगा ।

श्री गोकुलचन्द जाठव : केवल ठंडा पानी ही पिला देंगे चाय वगैरह कोई जरूरी नहीं हैं । मैंने जो कुछ बातें कही हैं मैं समझता हूं उन पर सरकार ध्यान देगी और इस प्रस्ताव के महत्व को समझ कर इस प्रकार की कमेटी बनाने के लिये कदम उठायेगी ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अस्पृश्यता के बारे में माननीय सदस्य लाये हैं मैं उसके पक्ष में कुछ बोलना चाहता हूं । अस्पृश्यता समाज के अन्दर आज से नहीं बहुत अर्से से है । यह पहला मौका है हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद, डेमोक्रेसी के आने के बाद कि कांग्रेसी सरकार ने इस अस्पृश्यता को दूर करने के लिये अनटचेबिलिटी एक्ट पास किया है और इस प्रान्त में भी वह सन् १९५५ से लागू किया गया है । इसके बाद हर जिले में ऐसी समितियां बनी और उसके देखभाल के लिये कलेक्टर को उसका अध्यक्ष बनाया गया । कानून के बनने के बाद समाज से अस्पृश्यता का निवारण होना चाहिये था लेकिन उतना नहीं हुआ, उसके लिये यह प्रस्ताव है । समाज के अन्दर मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव रखा गया है उसको दूर किया जाना चाहिये । इस के भी दो पहलू हैं । एक सामाजिक और दूसरा आर्थिक । खास तौर से यह प्रश्न आर्थिक हालत पर निर्भर करता है । समाज में उसी व्यक्ति की हालत बिगड़ती है जिसकी आर्थिक

Page No 39

(श्री मोतीलाल चौधरी)

स्थिति गिर जाती है। हिन्दुस्तान के सामाजिक ढांचे को यदि हम देखें, जाति पांति के भेदभाव को देखें तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि यह केवल आर्थिक विषमता के कारण ऐसा हुआ है। हरिजनों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अस्पृश्यता का निवारण नहीं हो पाया हैं। आज जो हरिजन सदस्य हैं, इस हाउस में बैठते हैं उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होता। यहां उनके साथ बड़े से बड़ा पंडित, उनके साथ बैठता उठता हैं, केन्टिन में खाता पीता है, इसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता। हरिजन बस्तियों में जाना चाहिये। कहा गया है कि उनके यहां जाकर चाय पान करना चाहिये। मैं इसे स्वीकार करता हूं। सरकार को इसके लिये प्रोग्राम बनाना चाहिये और अगर इसमें सरकारी पैसे भी खर्च हो तो किया जाना चाहिये। आखिर हमने हरिजन उद्धार का प्रोग्राम लिया है। सरकारी हलकारे, अधिकारी उनके पास में आने वाले ऊंचे और छोटे आदमी जो भी जावें हरिजन बस्ती में जावें।

दूसरा दृष्टिकोण है आर्थिक। वह दो तरफ से हल हो सकता है। एक तो राज में कर्मचारी रखकर। सरकार की तरफ से एक नोटिस निकला कि दस या साढ़े बारह पर्सेन्ट नोकरियां उनको दी जावेंगी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट को इस काम को हाथ में लेना चाहिये। उन्होंने अब तक इस दिशा में कोई अधिक काम नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ किया जावे अगर मैं यह कहूं कि राजाओं के समय जागीरदारों का आन्दोलन हुआ था अभी भी हुआ था और इस के लिये राज्य सरकार ने जागीर कमिश्नर नियुक्त किया उनकी शिकायतें दूर करने के लिये। पर हरिजनों के दुःख सुख को दूर करने के लिये इस तरह का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया हालां कि वे उनसे भी भारी गरीब और अशिक्षित हैं। तो इनके भी दुःख सुख को अच्छी तरह जान कर दूर करने के लिये हरिजन डाइरेक्टर रखा जावे तो ठीक है। अगर इस विभाग में पचास प्रतिशत भी कर्मचारी हरिजन रखे जावें तो अच्छा होगा क्योंकि वे अपनी तरह के भाइयों के दुःख सुख को अधिक समझ सकेंगे।

अभी मेरे एक भाई पूर्ववक्ता ने कहा कि सरकार की तरफ से पानी पिलाने की प्याऊ रखी हुई है उनमें हरिजनों को पानी पिलाने के लिये रखा जावे। मन्दिरों में जिनका अधिकतर खर्चा सरकार देती है हरिजनों को रखा जावे। इतना करते हुए भी अनटचेबिलिटी पूरी तरह से समाप्त हो जावे यह मुमकिन नहीं है। पर अगर ऐसा किया गया तो रुपया में चार आना अनटचेबिलिटी दूर हुई है, कानून का असर भी हुआ है। अबबारह आना बाकी है। वह कुछ तो आर्थिक दृष्टिकोण से और कुछ दूसरी तरह से काम करने से ठीक हो सकेगा।

इसके लिये सरकार सहयोग दे सकती है। सरकार की तरफ से नया नारा लगाया गया है सहकारी खेती का। इसमें इनको स्थान देना चाहिये। उनको लोन दिया जावे, लैंड अलॉट किया जावे और उनको सबसे पहले स्थान दिया जावे। पीढ़ियों से वे बराबर पीछे रहे हैं। पर आज भी

Page No 40

(श्री मोतीलाल चौधरी)

अगर उनको बिजनस में नौकरियों में, खेती में हिस्सा दिया जावे तो अगली पीढ़ी सुधरेगी और धीरे धीरे वे बराबर हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इस के लिये कम्पलसरिली एक सोशल अफसर अलग रख दिया जावे। सोशल वेल फेयर अधिकारी जाकर उनकी सहकारी समितियां बनावे, उनको लोन दे, अलाटमेन्ट करावें लेंड का। जिस तरह पहले जागीरदारों को लोन दिलाने के लिये हर डिस्ट्रिक्ट में जागीरदार अफसर थे। उनके लिये जागीर वेलफेयर अफसर बनाये गये। उनके लिये इतना हो सकता है तो इस तबके के लिये इसकी तरक्की के लिये डवेलपमेन्ट का काम तो होना ही चाहिये।

एक एक इलाके में तीन तीन चार चार लाख पिछड़े लोग हैं। सरकार को पूछा गया, बोर्डिंग हाऊस खोला गया उनके लिये कितने लड़के हैं तो जवाब दिया जाता है १३, २० लड़के हैं। हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट में हरिजन छात्रावास है। वहां की जनसंख्या ८ लाख की है। उनकी ढ़ाई लाख के आस-पास की होगी जो बैकवर्ड क्लास के हैं। उसमें एक बोर्डिंग हाऊस दिया है। पर उसके लिये भी शर्त रखते हैं; उसके लिये मकान बनावेंगे तब होगा। मगर दूसरों के लिये बोर्डिंग के लिये पैसा देंगे, हरिजन बोर्डिंग बनाने के लिये पैसा नहीं देंगे। उनके लिये कहते हैं पहले बिल्डिंग बनाओ तब ग्रान्ट-इन-एड मिलेगी। मकान की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। जिनके खुद के मकान नहीं हैं, जो पड़े रहते हैं खुले में वे पहले मकान की व्यवस्था करें और फिर आप ग्रान्ट-इन-एड दें, यह उनके साथ मजाक सा है। फिर भी मकान की व्यवस्था की। फिर भी २॥ लाख की बस्ती है, उनमें एक एक बच्चा भी आवे पढ़ने एक घर से तो काफी संख्या उनकी होती है तो उनके लिये एक होस्टल आप बनावें तो इससे क्या हो सकता है? तो वे आज न अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, न नौकरी में भेज सकते हैं। यह स्थिति है।

तो नौकरी का जो सवाल है वह तो जब वह पढ़ेंगे तब होगा लेकिन जो पढ़ते हैं उनको भी तो नौकरी पूरी तरह से नहीं मिलती है। जो कोटा उनका साढ़े बारह परसेंट का है वह भी पूरा नहीं होता। ऐसी स्थिति में राजस्थान के अन्दर ११ साल तक डेमोक्रेसी चलाने के बाद यह कहें कि हरि-जनों का एक भी हमारे यहां पर एस० पी० नहीं है तो फिर क्या डेवेलपमेन्ट हुआ है? मैं तो समझता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ जब कि उनकी जनसंख्या राजस्थान के अन्दर मैं समझता हूँ चौथाई या तिहाई हिस्से की है। यह तबका तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है और उसको ऊपर उठाने के लिए आपने एक विभाग भी खोल रखा है परन्तु मैं देखता हूँ कि इस तबके का एक भी आदमी आज तक आई० ए० एस० में नहीं आ सका है। खैर, आर० ए० एस० में तो दो आदमी आये हैं पर देखिये पुलिस के अन्दर एक भी एस० पी हरिजन जाति का नहीं है। आप ही बतायें क्या कोई डाइरे-क्टर, डिप्टी डाइरेक्टर या असिस्टेन्ट डाइरे-क्टर है किसी विभाग में? अगर नहीं है, तो फिर आप ही बतायें कि आपके इस महकमे ने क्या काम किया है? फिर भी आप कहते हैं कि हम सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेन्ट के नाम लाखों रुपये का खर्च

Page No 41

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कर रहे हैं । आपको एक भी सोशियल वैलफेयर ऑफिसर हरिजन नहीं मिलेगा । मेरे ख्याल से आपको एक भी दाई हॉस्पीटल्ज में हरिजन नहीं मिलेगी । कम से कम कोई भी अनपढ़ महिला दाई तो छः महीने में बन सकती है फिर क्यों नहीं इस जाति की कोई महिला दाई बनाई जाती है और उसको ट्रेन्ड किया जाता है ? मान लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं मिलते हैं लेकिन जो गिरा हुआ तबका है उसको क्लास फोर सर्वेन्ट तो बनाइये । वैसे इस प्रकार के आदेश हैं कि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी क्लास फोर सर्वेन्ट से घर पर काम नहीं ले सकता है । इसके बारे में कई बार यहां पर भी शिकायत होती है कि फलां ऑफिसर ने, फलां एस० डी० ओ० ने, फलां तहसीलदार ने क्लास फोर सर्वेन्ट को घर पर रख रखा है और उससे सारा काम कराते हैं....

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री (आमेर-सु) : हरिजनों से खाना बनवा लीजिये, कोई बात नहीं है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरे ख्याल से कोई भी हरिजन इसके लिए इन्कार नहीं करेगा । मेरे ख्याल से सबसे सीधा तरीका यह होगा कि क्लास फोर सर्वेन्ट हैं, स्कूल की चपरासिनें हैं या हॉस्पीटल्स के अन्दर नर्सेज़ से नीचे जो लेडी वर्कर रहती हैं इन सब को हरिजनों में से लिया जाना चाहिए । इससे सभी तरह की शिकायतें भी दूर हो जायेंगी और हरिजनों को नौकरी भी मिल जायेगी । जो छोटे मोटे काम हैं उनमें साढ़े बारह पर्सेन्ट लिया जाना चाहिए । आज हम देखते हैं कि पंचायत और म्युनिसिपलिटीज़ में क्या काम हरिजनों को मिलता है, ज्यादा से ज्यादा स्वीपर का । मैं आज के युग में इसको अच्छा नहीं मानता हूं कि वैलफेयर स्टेट के अन्दर हम इसको मानें । वैलफेयर स्टेट की नीति हमारी स्पष्ट है । चाहे किसी भी कौम का आदमी हो, हो सकता है कि किसी जमाने में कुछ कौम वाले ऊंचे कहलाते थे, धर्म के और नीति के ठेकेदार कहलाते थे पर आज की दुनियां में कोई भी कौम के नाम के आदमी ऊंचे नहीं हो सकते हैं । सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि जो ऑफिसेज़ में पानी पिलाने वाले होते हैं वह हरिजन होने चाहिये । अपने यहां असेम्बली में हरिजन महिला पानी पिलाने के लिए रखी जानी चाहिये । यहां जो जन-प्रतिनिधि आते हैं वह सोशियल वैलफेयर स्टेट के नाम से आते हैं । इस केन्टीन का ठेका हरिजन सहकारी समिति को दिया जाना चाहिए । गवर्नमेंट के सेक्रेटेरियट के अन्दर जो केन्टीन है उसको हरिजनों के हाथ में दिया जाये । तो माननीय अध्यक्ष, इतना ही मेरा निवेदन है और दोनों दृष्टिकोणों को रखते हुए सामाजिक और आर्थिक, मैं फिर कहूंगा कि हरिजनों का उत्थान शीघ्र ही किया जाना चाहिए । आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए उनको नौकरियों के अन्दर, इन्डस्ट्रीज़ के अन्दर और ज़मीन आदि देकर या दूसरे काम करके उनको ऊंचा उठाने के लिए कोई व्यवस्था की जाये । सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट के जो मन्त्री महोदय हैं उनसे निवेदन है कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर कम से कम पचास पर्सेन्ट तो हरिजन रखें और रहा सामाजिक दृष्टिकोण, तो हमारा अनटचेबिलिटी एक्ट

(श्री मोतीलाल चौधरी)

पास किया हुआ है और उसके तहत हमने कमेटी बना रखी है। सरकार को चाहिए कि अगर उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तो फिर देखा जाये कि वह कमेटी क्या काम करती है। आपको अभी भी ऐसे कई सोशियल वैलफेयर ऑफिसर मिलेंगे जो कि दूसरों का पानी तक नहीं पीते हैं। हरिजनों की बात तो दूर रही वह किसी दूसरे के घर का पानी तक नहीं पीयेंगे क्योंकि वह उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। तो जिनके हाथों में हम डवेलपमेंट-वर्क देंगे इस तरह से बने रहेंगे तो हम अपने दृष्टिकोण से बहुत पीछे रह जायेंगे और इस भावना से बहुत दूर चले जायेंगे। इसलिए मैं माननीय संबंधित मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से एक एक कमेटी जिलों में बनाई जाये और वह कहे कि डिपार्टमेंट वाले एक्शन लें। हर कलेक्टर से रिपोर्ट ली जाये और जो कमेटी के मेम्बर बनें हरिजनों की कठिनाइयों को दूर करें। आज भी कलेक्टर या अधिकारी शिथिलता करते हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाये। फिर देखते हैं कि हरिजन उत्थान होता है या नहीं। इसके अलावा जहां भी जो मन्त्री जाये, बैकवर्ड क्लास के मन्त्री जाये तो उनका एक प्रोग्राम होना चाहिए कि बस्ती में जायेंगे। जिस प्रकार वे अपना प्रोग्राम दूसरी जगह भेजते हैं उसी प्रकार हरिजन संघ के नाम से पत्र आना चाहिए कि मैं बस्ती में आऊंगा, इससे लोगों का आकर्षण बढ़ेगा।

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर-सु) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है। मैं उसका-समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हरिजन समस्या देश में ऐसी समस्या है जिसको जटिल समस्या कहा जा सकता है। क्योंकि हमारा देश बहुत लम्बे अर्से से इस रूप में रहा है कि हरिजन और दूसरे जन एक दूसरे से दूर दूर रहे और जिसकी वजह से आज इस बदलते हुए वातावरण में उनके सम्पर्क में जब हम लोग आते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि यह अनर्थ हो रहा है। ऐसी घटनायें काफी घटती रहती हैं। इस दिशा में सरकार जितना चाहती है करती है लेकिन उससे संतोष नहीं होता है क्योंकि आखिर सरकार भी कहां तक करे। सरकार के कर्मचारी हैं वे दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो सभी प्रकार से ऐसी समस्यायें खड़ी हो जाती हैं जिसमें अस्पृश्यता वाली समस्या अभी तक काफी हद तक ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। अभी जैसे नालियों का जिक्र किया कि यहां जयपुर शहर के अन्दर ही प्याउओं पर नालियां लगी हुई हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी प्याऊएं खोलने की इजाज़त ही नहीं दी जाये जिनके ऊपर नालियां लगाई जायें। अब चपरासियों की बात देखें। एक दो चपरासी हमारे यहां सेक्रेटेरियट के अन्दर हैं। पिछली बार जिन्हें यादव साहब ने अपने दफ्तर में रखे थे और इस मामले को प्रगति पर पहुँचाने की कोशिश की थी और काफी प्रोत्साहन दिया था लेकिन ज्यों ही यादव साहब मंत्रीपद से अलग हुए उस चपरासी के साथ ऐसी बीती कि कहीं ठौर नहीं मिली और वह भटकता फिरा, क्योंकि उसको रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह हरिजन था। चपरासी रखने वालों के सामने कई समस्यायें होती हैं, जैसे घर का काम कराना, घर में सफाई कराना, या केन-टीन से चाय लाना जब यह बातें सामने आती हैं। हरिजन लोगों को बहुत ही संकीर्णता

Page No 43

(श्री धर्मपाल पंवार)

की दृष्टी से देखा जाता है, उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है और भेद भाव रखकर कई प्रकार से तंग भी किया जाता है। दूसरी घटनाएं कुछ अच्छे कर्मचारियों के साथ भी घटती हैं। जैसे कुछ अच्छे ग्रेजुएट पढ़े लिखे हरिजन भी आज के इस युग में काफी हद तक मिलते हैं। मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ। श्री गरीबूराम नाम के एक प्लाटून कमाण्डर आर. ए. सी. में थे जो कि बाड़मेर ज़िले में काम करते थे। बोर्डर पर रहते थे। अभी थोड़े दिन पहले जिनकी शिकायतें आती थीं। हम सब लोगों को उन्होंने बताया था कि उनके साथ बड़ा बदसलूक होता है। आर. ए. सी. के कुछ जवान राजपूत जाति से सम्बन्ध रखते हैं और दूसरे स्वर्ण तबके के भी हैं। श्री गरीबूराम क्योंकि वे एक छोटी जाति के हैं इसलिए उन्हें हर प्रकार से, सेल्यूट देने में क्या और अनुशासन को पूरी तरह मानने में क्या, हर प्रकार से ऐसा वर्ताव करते थे जो अभद्र था। केवल इतना ही नहीं बल्कि उनकी पीठ के पीछे....

श्री श्री भानसिंह (बयाना) यह आपने सदन को क्लियर नहीं किया है कि कमेटी बना दें तो सेल्यूट कैसे मिल जायगी ?

श्री धर्मपाल पंवार : मैं इसके बारे में कुछ संशोधन दूंगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनको ज़लील किया गया क्योंकि उनका बहुमत था। सेल्यूट देना तो दूर रहा लेकिन उनको ज़लील किया गया। यहां तक किया गया कि उनके दिमाग में उससे बड़ी ठेस लगी। उनके सम्मान को धक्का लगा तो वे पागल जैसी स्थिति में हो गये। उनकी यह भी शिकायत मिली कि ऐसी अवस्था में किसी ने कुछ खिला पिला दिया। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटती हैं। हम बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि अभी पुराने युग के विचारों के आदमी मौजूद हैं। कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, कुछ लोगों में जातीयता का अभिमान है क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं सहन कर जाते हैं। लेकिन आखिर इसकी भी हद होनी चाहिए। इस समिति का गठन नहीं करेंगे, इस किस्म का सरकार कदम नहीं उठायेगी तो यह समस्या ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी।

मैं एक और मिसाल दूँ कि हमारे कई लोग पुलिस के अन्दर गये हैं, ट्रेनिंग पाकर गये हैं। उनके साथ में और भी आदमी ट्रेनिंग लेकर गये थे उन सब लोगों को, पता नहीं पक्षपात से फौरन ट्रेनिंग काल के बाद इन्चार्ज बनाया गया या कुछ तरक्की दी गई, लेकिन हमारे लोगों में से गये हुए थे उनको तरक्की देना तो दूर रहा उनको ज़लील किया जाता है। हर प्रकार से उनको अपदस्थ करने के लिए, गिराने के लिए षडयन्त्र की रचना की जाती है। किसी प्रकार से ज़लील किया जाय, किसी प्रकार से बदनाम किया जाय और अपने पद से गिराया जाय, तरक्की तो दूर रही। तो यह रवैया है अभी तक। तो इस रवैये को रोकने के लिए सरकार कदम अवश्य उठा रही है, लेकिन उसमें थोड़ी वृद्धि हो। हमारी सरकार धर्म निरपेक्ष सरकार है। वह जितना कर सकती है उतना करती है लेकिन हमें इस बात से संतोष नहीं होता है। हम चाहते हैं कि कुछ सख्त कदम उठाये जायं इस मामले में तब जाकर कुछ लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। विचार परि-

(श्री धर्मपाल पंवार)

वर्तन और हृदय परिवर्तन का तरीका बहुत सुन्दर तरीका है। लेकिन इसके साथ और कदम उठाये जायं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अन्दर कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाय कि वे तो कम से कम अपने साथियों के साथ समानता का व्यवहार करें। तो मैं समझता हूं कि यह कमेटी बनाने का जो प्रस्ताव है, इस किस्म की समिति गठन की जाय। वैसे तो समितियां हर ज़िले में बनी हुई हैं और कलेक्टर उनके अध्यक्ष हैं। वे कार्य भी करती हैं लेकिन उनको इतने अधिकार नहीं दिये गये हैं इसके बारे में कि यदि कोई घटना हो जाय तो कोई एक्शन ले सकें, उनका जवाब तलब कर सकें। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह एक सुझाव भी देता हूं कि समिति का होना बड़ा लाज़िमी है। हो जाय तो बहुत अच्छा होगा। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मेरा सुझाव है कि समिति के सदस्यों में ज़िले के सदस्य होने चाहिए। उसमें न केवल हरिजन होने चाहिए बल्कि अच्छे विचारवाले आदमियों को मौका देना चाहिए।

दूसरी यह बात है कि समाज कल्याण विभाग ऐसे आदमियों को ज्यादा पसन्द करता है जो कोई डिग्री लिये हुए हों या कॉलेज़ की शिक्षा प्राप्त किये हुए हों। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी रखा जाय जिन लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है। जिनका इस मामले में तजुर्बा है जिन्होंने इस मामले में अनुभव किया है। ऐसे अनुभवी लोगों का विभाग फायदा नहीं उठा रहा है। तो मैं यह भी सुझाव दूंगा कि विभाग के अन्दर ऐसे आदमी भी लिये जायं जिन्होंने स्कूल कॉलेजों के अन्दर जाकर कोई डिग्री प्राप्त नहीं की है लेकिन सामाजिक कार्य में अव्वल हैं। ऐसे लोगों को मौका मिले तो अस्पर्श्यता निवारण में काफी लाभदायक हो सकते हैं। मैं अधिक न कह कर इतना ही कह कर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नारायणलाल (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उनके समर्थन में बोलना चाहता हूं। हमारी लोकप्रिय सरकार ने हरिजनों के लिए बहुत से कानून बनाये हैं। उन कानूनों के बहुत हरिजनों को हर तरह से सहूलियत मिलती है। लेकिन आज तक छुआछूत के मामले में हम देखते हैं तो अभी तक कोई फर्क मालूम नहीं होता है। गांवों के अन्दर हर देहात में हम घूमने के लिए जाते हैं। वहां देखते हैं कि सार्वजनिक कुओं पर पानी भरने के लिए जाते हैं तो हरिजनों को बहुत सताया जाता है। अभी दो, तीन रोज पहले मेरे पास ३, ४ गांवों के आदमी आये हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गांव के अन्दर टीन के डोल से पानी नहीं निकालने देते हैं। इस प्रकार की शिकायतें जब हमारे सामने अब भी आती हैं तो बड़ा दुःख होता है। टीन के डोल से पानी नहीं निकाल सकते हैं और चमड़े के डोल से पानी निकालने में कोई हर्ज नहीं होता है यह कहां तक न्याय की चीज़ है, इसका बड़ा दुःख होता है। जहां पर सार्वजनिक तालाब हैं तो तालाबों के अन्दर भी यही हालत है कि जहां मवेशी पानी पीते हैं वहां से उनको पानी लेने देते हैं। यह गांवों में हम देखते हैं आज ऐसी स्थिति बर्दाश्त के लायक नहीं है।

दूसरी बात, नौकरियों में साढ़े बारह और

(श्री नारायणलाल)

१५ परसेन्ट का जो रिजर्वेशन रखते हैं और नौकरियों में भाग दौड़ करने पर जो दो चार आदमी लिये जाते हैं उनको भी बहुत बुरी तरह से तंग करके नौकरी से निकालने की कोशिश की जाती है। हमने हमारे ज़िले के अन्दर ४,५ आदमियों को नौकर रखाया कि ४,५ महीने नहीं रहने दिया और मैंने देखा है कि बड़ी दुर्दशा करके निकाला जाता है। अभी का एक किस्सा है कि दांता रामगढ़ तहसील के एक गांव में एक रैगर टीचर बन कर गया था। वह वहां जाकर धर्मशाला में अपना सामान रख देता है। उसको सुबह पानी की जरूरत पड़ी तो पानी निकालने के लिए सार्वजनिक कुंए पर गया तो सवर्णों ने पूछा कि कौन सी जाति के हो तो उसने बताया कि वह रैगर जाति का है। तो उसको पानी निकालने देना तो दूर रहा पब्लिक की तरफ से बुरी तरह से पीटा गया और मार कर उसका सामान निकाल दिया, सामान और बिस्तर उसका धर्मशाला के बाहर फेंक दिया। उसने सीकर इन्सपेक्टर के पास जाकर शिकायत की तो उसका मामला अभी तक पेंडिंग है और उस मामले की सुनाई नहीं हुई। यहां विधान सभा में भी एक सवाल रखा था वह ज्यों का त्यों रखा हुआ है।

इसके अलावा जयपुर शहर में प्याउओं पर जाकर हरिजन नाम से पानी पीना चाहें तो नहीं पिलाया जाता है। हमारे सामने यह सबूत मौजूद रहता है। इस तरह से आज तक हमारे मिनिस्टर साहब भी दौरा करते हैं तो वे करोड़पतियों और लखपतियों के बंगलों में ठहरते हैं। वे गरीबों की झोंपड़ियों में नहीं जाते हैं, हरिजनों की झोंपड़ियों में नहीं जाते हैं। एक भी राजस्थान के मिनिस्टर का उदाहरण बता दिया जाय कि उन्होंने हरिजन के हाथ का पानी पिया हो।...

श्री दौलतराम सारण (उप मन्त्री) : आपके यहां पिया था।

श्री नारायणलाल : इस तरह की चीजें आज भी राजस्थान में चलती रहेंगी तो राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता है। आज भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार समाज का रहेगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरिजनों के लिए एक कमेटी नियुक्त करने का मौका आया है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कमेटी हर ज़िले में नियुक्त की जाय, और कमेटी के मार्फत जो भी सुझाव आये उन पर अमल किया जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़ के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष (उप मन्त्री, समाज कल्याण विभाग, से) : आप उत्तर दे दें।

१ म० प०

श्री भैरोसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक बजे तक का ही समय निर्धारित था।

श्री अध्यक्ष : एक बजे तक का ही समय रखा गया था।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : ३६५ दिन में से ५ मिनिट का समय इस काम के लिये और मिल जांय, अध्यक्ष महोदय।

Page No 46

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) ; अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने पेश हुआ है वह यह है कि व्याप्त अस्पृश्यता को दूर करने के हेतु प्रत्येक ज़िले में सात प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाय। मैं निवेदन करूं कि अस्पृश्यता का रोग हमारे यहां सदियों से है। आज वह यहां इस प्रकार का संक्रामक है जैसे थाइसिस का बीमार होता है। इस प्रकार का हमारे यहां यह रोग है कि इसका इलाज यदि हम यह सोचकर करें कि एक महीने में, दो महीने में या साल भर में हो जायगा लेकिन यह कदापि नहीं हो सकता बल्कि बीमार को चाहिये कि वह पथ्य से रहे और उपचारक को चाहिये कि उपचार ठीक तरह से करता रहे इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हरिजन भाई जिस प्रकार से चाहते हैं कि अस्पृश्यता का निवारण हो तो सारे भारतवर्ष में भी कोई नागरिक यह नहीं चाहता है कि इसका निवारण न हो। लेकिन मैं साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि हरिजन भाई भी अपनी जाति वालों को समझाने की कोशिश करें कि जिस तरह से दूसरी जाति के लोग रहते हैं उसी तरह से वे लोग भी रहना सीखें। आज मैं देखता हूं कि हरिजन लोग दूसरों की झूंठी रोटी उठाते हैं और मुर्दों का कफन उठा कर उपभोग में लाते हैं और फिर वे दूसरी जाति वालों से यह कहें कि हमारे घर का पानी पीयो तो यह कदापि नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : आपने ही तो कहा था कि इनको बोलने दीजिये।

(हंसी)

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा : सरकार ने इस बीमारी के लिये दवा बनाई, यानी कानून बनाया लेकिन कानून का पालन करने के लिये उपचारक का भी पूरा फर्ज है कि कानून को पूरे तौर से लागू करने का प्रयत्न करें और जो इसकी अवहेलना करते हैं उनको दण्ड दिलवाने की कोशिश करें। लेकिन साथ ही यह निवेदन करूंगा कि क्या कानून पास करने से या इस तरह की कमेटी की स्थापना करने से ही काम चल जायगा? यदि समझलें कि इससे अस्पृश्यता का निवारण हो जायगा तो मैं मानता हूं कि कदापि नहीं होगा। हरिजन भाइयों को अपनी जाति का उत्थान करने के लिये अग्रसर होना चाहिये और जाति में व्याप्त कुप्रथाओं को मिटाने के लिये उनको पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिये। यदि ये कुप्रथाएं हरिजन जाति में बनी रहीं और कानून बनाया भी गया तो मैं समझता हूं फायदा नहीं होगा। इसलिये अस्पृश्यता निवारण के लिए हरिजन भाइयों से निवेदन है, कि कमेटी बनाने में मेरा पूरा पूरा सहयोग है, बना देनी चाहिए इसमें दो राय नहीं हो सकती लेकिन कमेटी बनाने के बाद आप सोचेंगे कि ये सात आदमी क्या करेंगे, तीन महीनों में बता देंगे कि क्या प्रगति हो रही है, क्या सात आदमी सब गावों में जायंगे? और यह भी लिखा है कि इस कमेटी में प्रतिष्ठित आदमी होंगे, अब प्रतिष्ठित आदमी कौन होंगे? हरिजन होंगे या ब्राह्मण होंगे इसलिये निवेदन है कि ७ आदमियों की कमेटी बनाई जांय लेकिन साथ ही सरकार ने जो कानून बनाया है उसके लिये हरिजन भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में जावें और अपनी जाति में कानून का प्रचार करें। बच्चों को पढ़ाने का प्रबन्ध करें, और कुप्रथाओं का नाश करने का प्रयत्न करें तभी अस्पृश्यता का निवारण हो सकता है। मेरे पास भी किशनगढ़

Page No 47

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

में हरिजन भाई आये और कहने लगे कि हलवाई हमें हाथ नहीं लगाने देते। मैंने कहा आप कैसे हाथ लगा सकते हैं हलवाई तो मुझे भी हाथ नहीं लगाने देते। किसी होटल में आप लोग गये हों और उन्होंने आप लोगों को खाना नहीं खिलाया हो तो बतावो। आपको तो हमने अब गुरू बना दिया है, आज तो मेहतर हमारे बच्चों के गुरू है। पहले कालेज में या पाटशालाओं में सिर्फ ब्राह्मण गुरू होते थे आज तो कालेज में मेहतर भी गुरू है फिर हाथ लगाने से ही अस्पृश्यता निवारण हो जायेगी यह कोई बात नहीं है। मैंने हलवाइयों से पूछा कि आप लोग इनको क्यों नहीं हाथ लगाने देते तो उन्होंने कहा कि सर के ऊपर तो मैले की छबड़ी रखे हुए हैं और मिठाई के हाथ लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाने दें। मैंने उनको शिक्षा दी कि आप ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हम झूंठा नहीं खायेंगे या सफाई का काम करते हैं उस समय किसी से रोटी नहीं लेंगे। म्युनिसिपैलिटियों को चाहिये कि हरिजनों को रोटी देना बन्द करें और उसके बदले ५ रु० या ७ रु० माहवार लोगों से देना मंजूर करावें। पानी भरने वालों को १० रुपया माहवार देते हैं तो क्या वजह है कि ऐसा सफाई का काम करने वालों को एक आना या दो आना महीना देते हैं। म्युनिसिपैलिटी का फर्ज होना चाहिये कि वे उनका जरूरी खर्चा देखते हुए घिरतें वालों के रुपये मुकर्रर करावें। रोटियें देना लेना बन्द करें और दूसरे काम जैसे मुरदों का कफन लेना वैगरा भी बन्द करें। यह सब गलत सिस्टम है। आपको अपनी जाति में सुधार करना चाहिये। जब तक जाति में सुधार नहीं करेंगे, अच्छी तरह से रहना नहीं सीखेंगे तब तक कदापि दूसरे आदमी हाथ लगाना उचित नहीं समझेंगे। यदि मान लिया जाय कि हरिजन नहीं दूसरे ब्राह्मण या महाजन भी ऐसा काम करते हैं व साफ नहीं रहते हैं तो उनको भी गन्दे हाथ नहीं लगाने देते हैं। हम लोग तो जाते हैं हरिजनों के साथ जैसे हमारे यहां प्रोफेसर था ....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मरे हुए का कपड़ा तो ब्राह्मण भी लेते हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह भी एक ज़माना था, जिस ज़माने की बात आप कहते है वह अब नहीं रहा। उस जमाने में तो राजाओं के यहां रोने वाले भी ब्राह्मण ही थे ...

श्री मदनसिंह दांता : पहले राजाओं के यहां रोने वाले ब्राह्मण थे अब नेताओं के यहां रोने वाले ब्राह्मण हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अब तो देश में जितने नागरिक हैं वे सब नेता हैं और सब ही नागरिक हैं, सबको समान अधिकार है। कानून भी प्रजातंत्र के अनुसार ही बने हैं। कानून के मुताबिक मना नहीं कर सकते फिर भी यदि हरिजन समझते है कि ७ आदमियों की कमेटी से ज्यादा भला होता है तो समिति जरूर नियुक्त करनी चाहिये लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि हरिजन जब तक अपनी जाति उत्थान के लिये प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक उत्थान कदापि नहीं होगा....

श्री गोकुलचंद जाटव (लछमनगढ़) : उसके लिये तो आपका सहयोग चाहते हैं।

Page No 48

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : हमारी तरफ से हम जितना सहयोग दे सकते हैं उतना देने के लिए हम तैयार हैं लेकिन जब तक बीमार दवाई ही नहीं लेगा तब तक उपचारक क्या करेगा इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज मैं देखता हूँ यहां तक हो गया है कि जो काम हमेशा से करते थे वह काम करना भी उन्होंने छोड़ दिया या इसी कारण से बहुत से हिस्सों में उन पर अत्याचार होते हैं····

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : on a point of order आपने दूसरी बातों पर तो प्रकाश डाला पर शादी विवाह पर प्रकाश नहीं डाला ?

श्री गोकुलचंद जाटव : एक तरफ तो आप कहते हैं कि थाइसिस जैसा रोग हो गया है लेकिन थाइसिस हो जाता हैं तो तुरन्त डॉक्टर को बुलाते हैं उसी तरह से इसके लिए साल भर का समय क्यों लगाते हैं तुरन्त ही इसका उपचार क्यों नहीं करते ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : मेरे एक मित्र ने कहा कि शादी विवाह के बारे में कुछ नहीं कहा। आजकल अन्तर्जातीय विवाह होने लगे है। हरिजन भी पढ़ लिख जायेंगे तो कोई बात नहीं रहेगी। हम अपनी जाति में भी अच्छा लड़का देखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बालोतरा के सदस्य हरिजन नहीं है, शायद आपको मुगालता हो गया है उनके हरिजन होने का।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं हरिजनों में सवर्णों में कोई भेद नहीं समझता हूं। इसमें कोई बात नहीं है।

(हंसी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शादी ब्याह के लिए भारतवर्ष में कानून बने हुए है, अन्तर्जातीय शादी विवाह के लिए कानून बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा हो तो शादी कर सकते हैं, और सबके साथ समाज में रह सकते हैं। फिर भी मैं निवेदन करूंगा सदन से, मैं निवेदन करना चाहता हूं हर एक एम०एल०ए० से कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में इस रोग को मिटाने का यथाशक्ति प्रयत्न करें और इसमें सहयोग करें। इसके साथ ही मैं हरिजन भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी जाती में इस प्रकार के नियम बनायें और हरिजन भाइयों में जो कुप्रथायें है, उनके मिटाने में सफल हो। इन शब्दों के साथ मैं इसका अनुमोदन करते हुए इसका समर्थन करता हूं।

श्री अनोपसिंह : ऐसी स्थिति में पहुंच जायें तो सवाई माधोपुर वालों को भूलना मत।

श्री भीखाभाई (उपमन्त्री समाज कल्याण विभाग) : माननीय अध्यक्ष, २७ फरवरी से आज तक लगातार इस विषय पर, जो संकल्प श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ने टेबल किया है, उस पर चर्चा हो रही है। वैसे उसका मूल उद्देश्य देखा जाय तो उस संकल्प में केवल एक कमेटी बनाने की ही बात है और उसमें जो उद्देश्य बताया गया है, वह राजस्थान में व्याप्त अस्पृश्यता को दूर करने हेतु है। दरअसल में अस्पृश्यता का जो विषय है, वह विषय बहुत बड़ा विषय है, इस विषय पर बहुत बहस मुबाहिशा हो सकता है लेकिन सदन के सामने अगर इस संकल्प को ठीक ढंग से देखा जाय तो इसको दो भाग

Page No 49

(श्री मीनाभाई)

होते हैं, एक भाग तो है, अस्पृश्यता को दूर करने की बात का और दूसरा भाग है, जिसमें सात प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति के निर्माण करने का। जहां तक अस्पृश्यता को को दूर करने का सवाल है, भारतवर्ष की सरकार ने इसके लिए एक अधिनियम बनाया है और इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को आदेश दे दिया गया है और राज्य सरकारों में भी वह अधिनियम प्रचलित है। लेकिन अस्पृश्यता एक भावना है, एक सामाजिक बीमारी है, एक संक्रामक रोग है।

(हंसी)

उसको दूर करने की चेष्टा अगर सरकार केवल करे तो मैं समझता हूं कि उसमें सरकार सफल नहीं हो सकती और इस ज़माने में हम कहें कि दरअसल में जनतांत्रिक युग में से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं एक बात कहना पसन्द करूंगा, राष्ट्रपतिजी ने भी किसी भाषण के दौरान में एक बार कहा था कि हम केवल यह कल्पना करें कि अस्पृश्यता निवारण हो जाय तो मैं समझता हूँ वह गलत है। केवल भाषणों से और विचार प्रगट करने से मैं समझता हूं अस्पृश्यता का निवारण नहीं हो सकता है। हमें आत्म निरीक्षण के विचार से देखना होगा कि दर असल में हम कितने सच्चे हैं और हमारे मन में किस प्रकार की भावना उन लोगों के प्रति है जो सदियों से इस सामाजिक असमानता का व्यवहार सहते चले आ रहे हैं। अगर इस तरह की भावना लेकर हम भाषण न दें और एक मिनट इस प्रकार चिन्तन करें तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ चीजें दूर हो जायेंगी। मैं धर्म शास्त्रों के बारे में, उपनिषद् और गीता के बारे में बात नहीं करना चाहता। वैसे हमारे धर्म शास्त्र इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि दरअसल में मानव मानव के अन्दर किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए और मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूँ कि दरअसल में जहां तक हमारे धर्म शास्त्रों के

१.१५ म०प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पीठासीन)

प्रत्यक्ष प्रमाण का सवाल है और जो महर्षी और विचारक, इस देश में पैदा हुए हैं, कहा कि दरअसल में जो कुछ हुआ है, अब तक देश में कार्यक्रम होता रहा है, उससे उनको संतोष नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से प्रयत्न किये गये हैं, बराबर प्रयत्न किये गये हैं कि दरअसल में हरिजनों के उत्थान के लिए किस प्रकार प्रवृत्ति आ सकती है। आज तक जो कार्यक्रम किये गये हैं, उनके बारे में मैं आपके सामने कुछ मुद्दे, कुछ चन्द बातें रखना चाहता हूं। उनमें से एक बात जो है, वह यह है कि दरअसल में जहां तक सरकार का सवाल है, जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है, जहां तक भारत सरकार का सवाल है, उन्होंने दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत काफी प्रावधान रखा है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान सरकार ने पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग १३ लाख, १७, ८४, १४२ रुपये प्रथम पंच वर्षीय योजना में खर्च किये। दूसरी पंच वर्षीय योजना में

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : १३

(श्री भैरोंसिंह)

लाख और १७ लाख दोनों का जोड़ है, या अलग अलग है? एक १३ लाख प्लस १७ लाख है या १३ लाख गलती से बोल गये और बाद में सही किया।

श्री भीखाभाई : हां, १७, ८४, १४२ रुपये है। दूसरी पंच वर्षीय योजना में २५,५२ ५६६ रुपये खर्च हुए हैं। मैंने अर्ज किया कि दरअसल पिछड़ी हुई जातियों के लिए सरकार की तरफ से काफी खर्च होता है। मैं आपको बताऊं कि दूसरी पंच वर्षीय योजना देखी जाय, जो भारत सरकार ने बनाई है, तो उसमें ६० करोड़ रुपये का प्रावधान शिड-यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखा गया है और शिड्यूल्ड कास्टस के लिए भी उसी प्रकार प्रावधान रखा गया है। इस वक्त क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स की बात हो रही है इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट्स तक मैं सीमित रहना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, राज्य सरकार ने कई प्रकार की योजनायें कार्यान्वित कर रखी हैं। उनमें से एक यह है, गृह योजना। आज तक राजस्थान सरकार ने लगभग १२३४ परिवारों को बसाया है। जहां तक दूसरी बस्तियों का सवाल है, जहां तक जयपुर का सवाल है, नौ आदर्श बस्तियों का निर्माण हुआ है, दो जयपुर खास में हैं, जिनमें स्कूल पंचायत, क्रीडा स्थल आदि की सुविधायें कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिकाओं का, पंचायतों का सवाल है, जहां कि हरिजन बस्तियां हैं, उनके अन्दर रोशनी और पानी की सुविधा प्राप्त कराने की दृष्टि से १२२ पंचायतों को सहायता दी गई है। इसके अति-रिक्त जहां तक उनको औद्योगिक शिक्षा देने का सवाल है, उनके लिए औद्योगिक प्रशि-क्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। मैं बता सकता हूँ कि लगभग १२ केन्द्र चल रहे हैं और प्रत्येक छात्र को १५ रुपये माहवार दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को आग और बाढ़ से नुकसान पहुँचा है, उनके परि-वारों को सहायता दी गई है।

छात्रावासों का जहां तक प्रश्न है, सरकार का शिक्षा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, अनेकों छात्रावासों के अलावा, हज़ारों छात्रों को सरकार छात्रवृत्ति देती है, इसके अलावा सरकार बहुत सी श्रम सेवी संस्थाओं को जो हरिजनों के उत्थान का कार्य करती हैं, हरि-जनों की भलाई के लिये कार्य करती हैं, हरिजनों में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करती हैं, या जो संस्थाएं स्वयं ही हरिजनों की हैं उनको सरकार प्रति वर्ष सहायता देती है और यह सहायता की रकम १,६४,७०५ ६० की है।

इसके अतिरिक्त कई संस्कार केन्द्र खोले गये हैं और एक नया वातावरण पैदा हुआ है, जिनके द्वारा नये जीवन का हरिजनों में और लोगों में संचार किया जाता है और एक नई भावना पैदा की जाती है और इस तरह शिड्यूल्ड कास्टस और दूसरे लोगों को नज़दीक लाने का प्रयास किया जाता है। तो जो कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाये जा रहे हैं वे काफी हैं।

इसके अलावा अस्पृश्यता निवारण के प्रचार के लिये सरकार की तरफ से काफी कार्य किया जा रहा है, इसके लिये पब्लिसिटी विभाग जो है उसकी ओर से काफी कार्य किया जा रहा है। साथ ही सरकार की तरफ

(श्री भीखाभाई)

से प्रति वर्ष सामाजिक सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें सरकारी अधिकारी और अन्य लोग इकट्ठे होते हैं, तो इस प्रकार सरकार की तरफ से काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जहां तक सहायता देने का प्रश्न है, परामर्श देने वाली कई कमेटियां सरकार की तरफ से बनाई गई हैं। भारत सरकार ने भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये एड्वाइज़री बोर्ड बनाया है और उस बोर्ड में हरिजन सदस्य भी कई हैं। राजस्थान सरकार ने भी राज्य स्तर पर एक बोर्ड, एड्वाइजरी बोर्ड बनाया है, उसके लगभग १५, २० एम. एल. एज. सदस्य हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी, आई. जी. पी., होम सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, जिनका कि सम्बन्ध हरिजनों की समस्या से है वे भी इसमें सदस्य हैं। तो इस प्रकार के एड्वाइजरी बोर्ड के गठन के बाद में आवश्यक नहीं रहता कि दूसरी जगह बोर्ड बनाये जांय। इसके अलावा ज़िला स्तर पर भी बोर्ड बनाये गये हैं तो माननीय सदस्य जो आमेर से आये हुए हैं जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, वे यह सब जानते हैं, वे खुद इसके सदस्य हैं। तो इनका प्रस्ताव काबिल एड्मिट होने के नहीं था और जो इस पर सदन में बहस हुई वह भी जरूरी बहस नहीं थी। अच्छा यह होता कि खुद मेम्बर थे, इसकी जानकारी इनको थी, वे इस प्रकार का प्रस्ताव सदन में नहीं लाते तो इस पर जो चर्चा हुई और सदन का समय नष्ट हुआ वह नहीं होता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु०) : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ज़िला वाइज़ बोर्ड बनाये गये वे कब बनाये गये किस सन् में बनाये गये और इनकी मीटिंगें हुई कि नहीं ? बोर्ड बन कर ही रह गये, वर्क किया या नहीं किया। किस सन् में हुआ ?

श्री भीखाभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दरअसल जो प्रश्न पूछा, उसका उत्तर वैसे अपने दिल में वे पा चुके हैं क्योंकि शुरू से ही इसके मेम्बर मुकर्रर हुए थे....

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : किस सन् में बना ?

श्री भीखाभाई : उनको मालूम है कि कब बना पर मैं आप सब की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि २८ मई १६५५ में इस बोर्ड का निर्माण हुआ था और निर्माण के बाद में सब ज़िलों में ये बोर्ड बने और कई जगह जहां ज्यादा सक्रियता रही सदस्यों में, वहां काफी बैठकें हुई पर मैं समझता हूँ, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, सक्रिय नहीं रहे, इसलिये बैठक नहीं कर सके। सीकर में ७ बैठकें हुई, झुंझनूं में २, उदयपुर में ८, डूंगरपुर ३, बांसवाड़ा २ कोटा, बूंदी, जोधपुर ३, बाड़मेर ७ जालोर, ७। पाली में १ जैसलमेर ४, सिरोही ३ बीकानेर १, चुरू १, गंगानगर ६ और अजमेर में १।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मंत्री महोदय बतायें कि मीटिंगें कौन बुलाता है ! संयोजक बुलाता है ?

श्री भीखाभाई : चेयरमैन को ही नहीं, हर सदस्य को अधिकार है वह लिख कर दे

(श्री भीखाभाई)

कि मीटिंग बुलाई जाय। माननीय सदस्य लिख कर भेजते और फिर भी मीटिंग नहीं बुलाई जाती तो सरकार को लिख कर भेजते। पर खास बात देखने की यह है कि हम कितनी दिलचस्पी लेते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : बोर्ड की रिकमन्डेशन पर क्या क्या काम हुए यह भी बता दें ?

श्री भीखाभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना पूछे ही मैं माननीय सदस्य के उत्साह को देखते हुए, जिज्ञासा को जानते हुए, पढ़ ही रहा था पर बीच में ही पूछ लिया कि बोर्ड के क्या कर्तव्य हैं, क्या चीज़ की है, तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रस्तावित समिति बनने वाली है उसमें क्या है। बोर्ड के निर्माण में जो इसके फंक्शन्स हैं, बड़े व्यापक फंक्शन्स हैं, जो इसका कम्पोज़िशन है, इसका गठन है वह प्रस्तावित समिति से बहुत ज्यादा है। हर जिले में दो प्रकार के बोर्ड काम करते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लिये एड्वाइज़री बोर्ड और दूसरा महिलाओं और उनके बच्चों के लिये सोशियल वेलफेअर बोर्ड प्रोजेक्ट्स में बनते हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं और बच्चों की भलाई का और देखभाल का काम करते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के निमित्त राजस्थान के हर जिले में बोर्ड बने हुए हैं जो २८ मई, १९५५ के आर्डर के अन्तर्गत बनाये गये। इनकी जो मीटिंगें हुईं उनका जिक्र मैंने कर दिया है पर जो इनके फंक्शन्स हैं, पर्सोनल्स हैं, उनको बताना चाहूंगा। बोर्ड बने हैं, वहां कलेक्टर इनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, उनको अधिकार दिया हुआ है कि इस बोर्ड के मेम्बर्स को नोमिनेट करें और डिविज़नल बैकवर्ड क्लासेज़ ऑफिसर और जहां वे नहीं हों एस. डी. ओज. इनके सेक्रेटरी बनाये गये हैं। कई शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का मेम्बर हैं जो एम. एल. एज. हैं वे सब इनके सदस्य बनाये गये हैं। जब कि मौजूदा प्रस्ताव में देखेंगे तो रोशन होगा कि उन्होंने लिखा है कि ७ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति बनाई जाय जिसमें एम. एल. एज. भी हों। तो सरकार ने जो पहले अधिकार दिया हुआ है वह ज्यादा कारगर है या प्रस्ताव में जो दिया गया है वह ज्यादा कारगर है ?

इसके अलावा बताना चाहता हूं One representative from each sub-division, from backward classes will be nominated. In case of a district where the headquarters of Collector & Inspector of Schools coincides, the Inspector of Schools will be nominated as member.

इसके माने यह हुए कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट है और चार सब डिविज़न्स हैं तो चारों में से एक एक मेम्बर बनेंगे। एक माननीय सदस्य ने बताया कि हरिजन मेम्बर नहीं बनाने चाहिये, तो सरकार ने पहले से ही इसको अस्वीकार कर दिया है। हमने समाजिक कार्यकर्त्ताओं को रखा है, अधिकारियों को रखा है, इसमें भी चेष्टा की गई है कि राज्याधिकारियों को रखा जाय, जैसे, Collector, Inspector of Schools इसके बाद में District Superintendent of Police. President or Chairman of the Municipal Board, etc.

(श्री मीणाभाई)

Functions of the Board इस प्रकार हैं।

1. To provide information regarding the grievances and needs of backward classes.

2. To form a channel of communication between the Directorate of Backward Classes and the backward classes.

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि उनकी उत्सुकता ज्यादा है, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो फंक्शन्स हैं वे ज्यादा व्यापक हैं और महत्वपूर्ण हैं बनिस्बत उनके जिसकी तस्वीर अभी तक उनके सामने नहीं है और जो उन्होंने बताये हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई तस्वीर उनके सामने नहीं है जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होंगी, क्या उनका माप दंड होगा और क्या मैथड होगा इन सब के लिए मैं समझता हूँ कि यह प्रस्ताव उदार सा लगता है। जिस समय हम जो काम करने जा रहे हैं उनके मुकाबिले में जब इस प्रस्ताव को देखें तो यह प्रस्ताव ऐसा लगता है जैसे किसी लंबे आदमी के सामने छोटा सा आदमी खड़ा हो।

(हंसी)

3. To take suitable measures for removal of untouchability and other disabilities.

4. Removal of harmful social customs among various backward classes.

यह जो क्लॉज़ है इतना सुन्दर है मैं समझता हूँ.....

The Board will meet atleast once in four months.

इतना व्यापक है उसके बावजूद भी कोई यह कहे कि किसी प्रकार की कमेटी बनाई जावे तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। सिर्फ कमेटी की बात है वह कोई बोर्ड भी नहीं है। उस कमेटी में भी जो पर्सनल्स हों वे एसेम्बली के सदस्य हों। जिस समय यह कमेटी मुकर्रर कर दी जावेगी और सदस्यों को मुकर्रर कर दिये जायेंगे तो उस समय यह कहा जावेगा कि शैड्यूल्ड कास्ट के सदस्य इसमें नहीं आये हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि इसमें भी और क्लाजेज़ हैं दू फेरी यह अर्ज किया है कि हर चार महीनों में बोर्ड मीट करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अर्ज करना चाहता हूँ कि दरअसल में हमने यह तय कर दिया है और ऑर्डर जारी कर दिये हैं लेकिन मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलाई जावे। मैं माननीय सदस्य से यही निवेदन करूंगा कि जब वे अपने क्षेत्र में जावें उस समय वे यह देखें कि दर असल में सोशियल वेलफेअर बोर्ड जो काम कर रहा है वास्तव में काम कर रहा है या नहीं। वे इस बात को देखें कि कि जो हमारे सामने शैड्यूल्ड कास्ट की समस्या है वह सारे देश की समस्या है, मानवता की समस्या है और मानव मानव के नाते में हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम सब मिल जुल कर काम करें और स्वतन्त्रा के युग में जो तबका नीचे पड़ा हुआ है उसको ऊंचा उठावें और उसको समूचे देश के साथ आगे बढ़ावें। मैं यह कहूंगा कि किसी राजनैतिक उद्देश्य की नीति से या

(श्री भीखाभाई)

किसी और कन्सी ड्रेसन से बात नहीं करनी है। इसलिये मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जो वर्क हो रहे हैं उनको वार मेजर की तरह से सफल बनावें और इस समस्या पर विचार करना चाहिये इस तरह से कि यह सारे देश की समस्या है और जब तक हम इस सम्बन्ध में कोई नया आन्दोलन लड़ाई संघर्ष खड़ा नहीं कर देते हैं तब तक यह समस्या मिटने वाली नहीं है। क्योंकि यह सामाजिक बीमारी है। राज्य की तरफ़ से हम इसको दूर करने के लिये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस संबंध में पिछले दो वर्षों में काफ़ी कोशिश की गई है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का यहां पर भाषण हो रहा है वह अगर हरिजन बस्तियों में देते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री भीखाभाई : ठीक है मैंने आपकी बात सुन ली।

सर्विसेज के बारे में जैसा कि १२॥ प्रतिशत बताया गया है १५ प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है और इसके लिये गये साल फरवरी में नये ऑर्डर जारी किये गये और उसमें काफी प्रगति हुई है। और कितने ही लोगों को स्पेशल सेक्रेट्री के मार्फ़त रिक्रूट कराने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूं कि लगभग एक हजार हरिजनों को रिक्रूट किया गया होगा।

जहां तक आर. ए. एस. और आर. पी. एस. का सवाल आता है, मैं यह कहूँगा कि उनको अधिक से अधिक अवसर दिया जावे। अभी ५ ऑफिसर शैड्यूल्ड कास्ट के हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : आप कृपया उनके नाम तो बता दें और यह भी बता दें कि कहां कहां पर हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप नाम बता दें कि कहां कहां पर कौन कौन हैं ?

श्री भीखाभाई : हुकुमरामजी एक हैं। एक अजमेर में मजिस्ट्रेट हैं। उसके बाद में दो तीन आदमी और हैं जिनके नाम मैं आपको बता सकता हूँ। उनको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि हरिजनों के उत्थान की बात है अच्छा हो कि वे हरिजनों के कितने छात्र पढ रहे हैं और उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है यह बता दें ?

श्री भीखाभाई : लड़के तो बहुत से पढ़ रहे हैं। मगर एक हज़ार तक दो हज़ार होंगे। एक हज़ार से दो हज़ार तक छात्रवृत्ति दी जाती है। क्योंकि तमाम छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। इसलिए मैं अन्दाजा लगा सकता हूं कि लड़के तो काफ़ी पढ़ते होंगे।

इसलिये अंत में सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूंगा कि इस पर कई बातें कही जा सकती हैं। लेकिन जितनी कमेटियें बनाई जानी चाहिये नहीं बनती हैं तो काम नहीं हो पाता। इसलिए जब हमारे [illegible]

Page No 55

(श्री भीखाभाई)

बना हुआ है तो फिर किसी प्रकार की कमेटी कायम की जावे यह कहां तक उचित होगा और उनके क्या फंक्शन्स होंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो असरे नये ? ढंग से आॅर्डर देने होंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो सोशियल वेलफेअर बोर्ड है उनमें ही तीव्रता लाई जावे। मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उनको देखते हुए जो प्रस्ताव आपने रखा है उसको वापस ले लेंगे और अगर ले लेते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हरिजनों के हित में होने वाली चीज़ है और मैं समझता हूं कि जो सोशियल वेलफेअर बोर्ड बने हुए हैं उनमें तीव्रता लाई जावेगी तो मुझे विश्वास है कि वह अच्छी गति से चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Whether withdrawing or not ?

विथ ड्रा करते हैं तो कहने का कोई मतलब नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : संतोष हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : संतोष का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से भाषण दिया गया उसको सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि वे एक मिनिस्टर की हैसियत से बोल रहे हैं अगर मेरी तरफ होते और बोलते तो मेरे से भी ज़्यादा उनकी भलाई के लिए बोलते।

(हंसी)

लेकिन खुशी इस बात की है कि वे खुद उसी तबके मे हैं जिनका कल्याण हम करना चाहते हैं। और इसलिए मैं यह विश्वास करता हूँ कि इस मामले में मेरे से अधिक चिन्ता उनको है और मेरे संकल्प के बारे में माननीय सदस्यों की ओर से और सरकार की ओर से जो कुछ कहा गया है उसके लिए मैं आप सब को बधाई देता हूँ। यह जो संकल्प था वह भारत की आजादी के ११ वर्ष के बाद में एक अलार्म के रूप में था। जिस प्रकार अलार्म बेल सोते हुए हों या जागते हुए हों, उनको सचेत कर देता है, एक चेतना पैदा कर देता है उसी प्रकार यह संकल्प है। भारवतर्ष में ११ वर्ष के बाद भी बताया जाता है कि लाखों रुपया बहाया गया, बजट आता है, लेकिन हरिजनों को लगाने का सवाल है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्वालिफिकेशन्स नहीं होंगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्वालिफिकेशन्स मौजूद हैं लेकिन उनको टहलाया जाता है। सरकार ने इन ११ वर्षों में ११ गजेटेड ऑफिसर्स नहीं बनाये। नायब तहसीलदार बना दिया लेकिन वे डोलते फिरते हैं उनको कोई पूछता नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से रिजर्वेशन दिया गया है। अब तक तो कम से कम पांच हज़ार एल. डी. सीज़, और यू. डी. सीज. होने चाहिये थे लेकिन इतने भी नहीं हैं और मंत्री महोदय ने एक दफा प्रश्नोत्तर के समय बताया था कि ५०० के करीब हैं। आज दिन तक कोई डॉक्टर नहीं बना, पी. डब्ल्यू. डी. में, एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर या ओवर सीयर तक नहीं बनाया

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

गया किसी को, छोटा, मोटा डॉक्टर, बी. ए. एल. एल. बी. कुछ नहीं बनाये ।

(हंसी)

किसी प्रकार से हरिजनों को बढ़ने का मौका ही नहीं दिया, न स्कोलरशिप दी हाई ट्रेनिंग के लिए । मंदिर में स्कूल खोल देते हैं, और मंदिर में शिड्यूल्ड कास्ट को जाने नहीं देते । अभी थोड़े दिनों पहले केन्द्र के मंत्री महोदय श्री दातार साहब ने बताया था कि हरिजनों की अवस्था जितनी सुधरनी चाहिये थी नहीं सुधरी है । उन्होंने बताया कि आर्थिक दशा को सुधारने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिये । उनके शब्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं कि उन्होंने कहा था कि कम से कम फोर्थ क्लास के जो सर्वेन्ट्स हैं उनका कोटा बढ़ा देना चाहिये और कम से कम ५० परसेन्ट कर दिया जाय । चपरासी की जगह के लिए कहा जाता है कि लम्बा नहीं, मोटा नहीं, छोटा है, तेज़ नहीं है । इसके हाथ से तो पानी नहीं पीयेंगे । ऐसी बात है तो फिर कुश्ती लड़ा कर देख लीजिये ।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : २५ परसेन्ट भी नहीं मिल रहे हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मिल रहे हैं । चार हज़ार आदमी तो आप चाहें तो कल ही असेम्बली के सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ ।

आपने कानून बनाया कि १२॥ परसेन्ट उनको जगह दी जावेगी । और वह भी खाली स्थानों पर दी जावेगी । लेकिन वह मिलती है नहीं परसेन्टेज़ उतना खाली होता नहीं । १२॥ परसेन्ट कोई मरे और जब खाली हो तो एक हरिजन का नम्बर आता है । इस तरह से सब को तो जगह मिलने वाली नहीं है और न ही जगह खाली होने वाली है । सो जगह हो तो १२॥ लिये जाते हैं और उसमें हरिजनों का पूरा नम्बर नही आता । इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी कमेटियां बनाई जाय जो कि वास्तव में काम कर सकें । मुश्किल से एक दो जगह खाली होती हैं और उसमें हरिजन नहीं जा सकते क्योंकि उनका नम्बर ही नहीं आता है । यह कब होगा यही एक विचारणीय बात है । सो का दें तब भी हरिजनों का नम्बर नहीं आ सकता । मंत्री महोदय इसमें सख्त कदम उठायेंगे तब ही हो सकता है । मुझे मालूम है कि सन् ५५ में एक बोर्ड बनाया गया और उसकी मीटिंग केवल एक ही हुई । मीटिंग बुलाने वाला ही कोई नहीं है । बोर्ड बनाया, अच्छा किया, रुपया सैक्शन किया, अच्छा है । लेकिन बोर्ड की मीटिंग बुलाने वालों में उनको रखा गया है जो कि बुलाना चाहते ही नहीं । जो हमारा कल्याण करना ही नहीं चाहते हैं । दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि दूध की रखवाली के लिये बिल्ली को बनाया गया तो आखिर बिल्ली क्या दूध की रखवाली करेगी ? इसी तरह से वे क्या हमारी रखवाली करेंगे ? मैं कहता हूं कि मुझे ही बना दीजिये बोर्ड का डाइरेक्टर फिर

(हंसी)

देखिये कि कैसे काम नहीं होता है । एक हरिजन भाई के मन में पीड़ा है, दर्द । जैसी

Page No 57

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

कहावत है 'जिसके पैर न फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पराई'। इस तरह से हरिजन भाई के मन में जो पीड़ा है दूसरे उसको कैसे जान सकते हैं। ऐसा दिया जाता है जैसे हमारे माई बाप नहीं।

श्री शिवचरणदास (मांडल): बैरवा जाति के सुधार का काम आपने किया था ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : बैरवा जाति के लिए सदन के सामने सवाल नहीं है। यहां हरिजनों का सवाल है। कोई जाति हो, शिड्यूल्ड कास्ट हो।

श्री शिवचरणदास : हिमायत का सवाल है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : सब जातियां हैं, किसी एक जाति का सवाल नहीं है। हरिजनों का सवाल है।

मैं केवल बैरवा जाति के लिए ही नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो खास तौर पर हरिजनों को ज़मीन देने के लिए कहना चाहता हूं कि जो आपका पखाना उठाते हैं, मुफ्त ज़मीन तो उनको दे दें। दस फीट जमीन की बात है कोई माइल, दो माइल का सवाल नहीं है। लेकिन आप देना नहीं चाहते। आपने बोर्ड बनाया उसके लिए धन्यवाद लेकिन बोर्ड की मीटिंग जल्दी २ कराई जाय और उसको पॉवरफुल बनाया जाय। मैं खुद जानता हूँ कि सरकार अधिक से अधिक कार्य करेगी। आप सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सपोर्ट किया। मैंने केवल एक जागृति पैदा करने के लिए ही यह संकल्प रखा था। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प को वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ने रखा है उसको वापिस लेने की उनको आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

(२) सदस्य विधान सभा व सरपंचों को पुलिस कस्टडी में व्यक्तियों के निरिक्षण के अधिकार सम्बन्धी संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : अब दूसरे संकल्प को ले रहे हैं जो कि श्री मदनसिंहजी (दांता रामगढ़ ने) प्रस्तुत किया है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा रिज़ोल्यूशन है वह मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं :

इस सदन की सम्मति है कि सदस्य विधान सभा, तहसील पंचायतों व ग्राम पंचायतों के सरपंचों को यह अधिकार दिया जाय कि जनता की शिकायत पर पुलिस कस्टडी में रहने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे ही यह संकल्प बहुत छोटा है पर यह राजस्थान के समस्त नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न है,

Page No 58

(श्री मदनसिंह)

उनकी सुरक्षा का प्रश्न है और साथ ही साथ सदस्यों से भी यह सम्बन्धित है। यह जो मैंने रिज़ोल्यूशन रखा है उसके पहले मुझे तीन जगहों से प्रेरणा हुई है और उसके बाद सोच विचार कर मैंने यह संकल्प रखा है। पहली प्रेरणा तो हुई मुझे राजस्थान सरकार से और दूसरी प्रेरणा हुई होम मिनिस्टर साहब से और तीसरी प्रेरणा हुई जनता पर पुलिस अत्याचार के तथ्यों से। इन तीन जगहों से मुझे प्रेरणा हुई है। राजस्थान सरकार से तो ऐसे प्रेरणा मिली कि राजस्थान में तीन सरकारें पलटीं। पहले शास्त्री जी की थी, फिर व्यासजी की हुई और बीच में टीकारामजी पालीवाल की हुई और फिर जाकर सुखाड़ियाजी की मिनिस्टरी हुई। तीन सरकारों में जो शक्ति थी उनकी शक्ति केंद्रित थी। लेकिन जब सुखाड़ियाजी ने सरकार फोर्म की तो उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की और उनकी यह घोषणा थी कि जितनी शक्ति है उसका विकेन्द्रीकरण होगा। इससे जनता में खुशी की लहर दौड़ी और प्रत्येक नागरिक ने खुशी मनाई कि राजस्थान में ऐसी सरकार बनी हैं जो शक्ति का विकेन्द्रीकरण करेगी। गांवों में मैं भी गया, लोगों से पूछा तो कहा कि अच्छा हुआ कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण होगा और प्रत्येक नागरिक को अच्छे अधिकार मिलने वाले हैं। मैंने उनको समझाया ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार सुखाड़ियाजी की सरकार ने शक्ति के विकेन्द्रीकरण की घोषणा की उससे राजस्थान में घबराहट हो सकती है। शक्ति जो थी वह इतनी उनके पास बढ़ गई थी कि उससे सरकार को बोझ लग रहा था कि उसकी जनता में घोषणा की, कि अब तैयारी है और हम उसका वितरण कर रहे हैं। लेकिन जनता को समझाया कि ऐसा नहीं है, इसके लिए इन लोगों को सोचना होगा कि इसका प्रजातंत्रीय ढंग होना चाहिये और तब जाकर शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो सकता है। मुझे यह प्रेरणा मिली कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण जनतन्त्रवाद में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही हो सकता है और इस आशय को लेकर कहूँगा कि पुलिस के अत्याचारों को देखें तो उसकी कैसे आशा रखी जा सकती है वह तो तब ही हो सकती है जब कि जनता के प्रतिनिधि यदि किसी को कस्टडी में लिया जावे पुलिस के द्वारा तो वे उनका वहां जाकर निरीक्षण करें। इस तरह से मुझे राजस्थान सरकार से प्रेरणा हुई। दूसरी जब पुलिस पर कट मोशन्स रखे गये तो होम मिनिस्टर साहब से मिली। पुलिस की मांग पर कट मोशन्स केवल विरोधी दल से ही नहीं किन्तु सत्तारूढ़ दल से भी माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये क्योंकि वे ८० प्रतिशत थे और उन को मालम था कि पुलिस द्वारा कैसे जनता पर अत्याचार किये जाते हैं। यह होम मिनिस्टर साहब को भी मालूम है। ८० प्रतिशत जो पुलिस द्वारा अत्याचार किये गये उन पर कट मोशन्स सदन में रखे गये। होम मिनिस्टर साहब ने इन जुल्मों से कुछ को मन्जूर भी किया था। सदन के सदस्यों ने भी पुलिस की आलोचना करते हुए इस बारे में प्रकाश भी डाला था उन्होंने यह बताया था कि विश्व के सारे गुन्डे मिल करके जितनी बदमाशियां या गुन्डागर्दी नहीं कर सकते उतनी केवल इस राजस्थान के पुलिस ने गुन्डागर्दी मचा रखी है। सदस्यों ने यहां तक कहा कि राजस्थान के अन्दर जहां सतियां हुआ करती थी जो अपने सतीत्व धर्म के लिये अग्नि में कूद कर मर जाती थी, उस

(श्री मदनसिंह)

राजस्थान के अन्दर बहिन, बेटियों की इज़्ज़त लूटना एक मामूली सी चीज़ रह गई। सदन के कांग्रेसी सदस्यों द्वारा भी ऐसे किस्से सुनाये गये जिनके अन्दर पुलिस की कस्टडी में आदमियों को रखा जाकर मारा गया, पीटा गया और अभद्र व्यवहार तक किया गया। यहां तक बच्चों के साथ अनैतिक व्यभिचार तक किया गया, इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती है। उस समय होम मिनिस्टर साहब ने अफ़सोस प्रकट किया उन्होंने यह भी कहा मैं अकेला क्या कर सकता हूं। मेरी अकेले की ताकत नहीं....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order sir. Whether this resolution satisfies all the conditions which a resolution presented to the House has to satisfy. I would draw your attention ..

श्री उपाध्यक्ष : Which is that Rule ?

श्री पी० के० चौधरी : Rule 146. "Subject to the provisions of the Constitution and of this rule, any member may move a resolution relating to a matter of general public interest.

Provided that no resolution shall be admissible which does not comply with the following conditions, namely:-

(a) it shall be clearly and precisely expressed, and shall raise substantially one definite issue."

There is no one definite issue here. Here it says that on the complaints of the people, but complaints regarding what ? That is not stated. If the people go and complain that so and so has been illegally detained or so and so has been detained under wrong warrant, than these are Judicial issues and should go to a Judicial court and not to a Sarpanch or a legislator. But if the people come and say that so and so have been beaten, then of course there is a definite issue that a public representative may go and have an inspection. But here in the resolution the issue is so wide and vague and I think it does not satisfy the requirements of the Rule.

Second thing, to allow the Sarpanch to interfere in the administration of jails and lock-ups, we will have to enact a law and the Panchayat Act will have to be amended and a Bill will have to be passed. It can not be done by a resolution.

So if this resolution satisfies these two conditions only then it becomes admissible and I hope you will give your ruling over it.

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : यह जो ओब्जेक्शन अभी पॉइन्ट आफ आर्डर द्वारा रेज़ किया है वह ठीक नहीं है। जब प्रस्ताव रेज़ किया है, रक्खा है, उन्होंने प्रस्ताव पेश कर दिया, उसको मूव कर दिया है। तो इसके बाद में....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : He has not moved it. He was giving a 'Bhashan' and then he had to move it.

श्री उपाध्यक्ष : But this is a legal position which can be raised at any stage of the resolution,

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है, मैं समझता हूं वह बिल्कुल निराधार है। जिस तरह की बात उन्होंने कही कि रूल १४६ के पार्ट एक के अनुसार इसमें लिखा है। "It shall be clearly and precisely expressed and shall raise substantially one definite issue." मैं समझता हूं कि यदि प्रस्ताव की भाषा उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ी होती तो इस निर्णय पर पहुंच सकते थे कि इस प्रस्ताव के द्वारा किसी डेफीनेट इश्यू पर विचार किया जाने वाला है। डेफीनेट इश्यू यह नहीं है कि उसको पीट दिया है। इसलिये उसका निरीक्षण किया जावे। डेफीनेट इश्यू यह नहीं है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है इसलिये उसका निरीक्षण किया जावे। पर यह है कि विधान सभा के सदस्य को इस बात का अधिकार दिया जावे कि वह पुलिस कस्टडी में जाकर जो कैदी हैं उसका निरीक्षण कर सके। यह डेफीनेट इश्यू है। अब कैसे कर सके, किसी की कम्प्लेन्ट पर करे, यहां पर इसमें उल्लेख है। जनता की कम्प्लेंन्ट पर। यह नहीं कि अपनी मर्जी से चला जावे, जनता की कम्प्लेन्ट पर जावे। कम्प्लेन्ट किस बात की हो सकती है। जो कम्प्लेन्ट की डेफीनेशन है उसमें कम्प्लेन्ट किस प्रकार की हो सकती है वह अपने आप इम्प्लाइड है। तो जनता की कम्प्लेन्ट होगी, उस पर एक पुलिस कस्टडी के अन्दर जो मुलजिम है उसको देखने का विधान सभा के सदस्य को अधिकार होगा। यह है डेफिनेट इश्यू। अब कोई यह चाहे कि सारी डिटेल में प्रस्ताव लिखा जावे मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है। जिस भाषा में लिखा गया है वह ठीक है और डेफीनेट इश्यू है। इस बारे में आपत्ति उठाई, इसमें किसी प्रकार का कोई सेंस नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : I thank...

श्री श्री भानसिंह : जो अभी माननीय सदस्य श्री माधोपुर से आये हैं उन्होंने यह कहा कि जो माननीय सदस्य फुलेरा से आये हैं उन्होंने जो पॉइन्ट उठाया वह निराधार है। मैं समझता हूँ जो उन्होंने अपने सपोर्ट में कहा वह पोइन्ट निराधार है। क्यों? डेफीनेट इश्यू यह नहीं कि सदस्य विधान का जावे। उसमें भी यह है कि विधान सभा के सदस्य ही नहीं, तहसील और ग्राम पंचायतों के सदस्य भी जावें। वे भी एग्ज़ामिन जाकर करें। तो मैं उन्हीं के इश्यू को लेता हूं। जनता की शिकायत पर पुलिस कस्टडी में मुलजिम को एग्ज़ामिन करे। क्या एग्ज़ामिन करे? एज ए मैडिकल एक्सपर्ट या कि एज ए जूडीशियल एक्सपर्ट या कि सांस्कृतिक या इकोनोमिक पोजीशन उसकी एग्ज़ामिन करे। क्या करे? यह चीज़ तो साफ होनी चाहिये। तो वैगनेस तो यहीं पर हो गई। क्या एग्ज़ामिन करे whether he is locked up or he is out side.

श्री भैरोंसिंह : Every thing is implied.

श्री श्रीभानसिंह : Every thing is implied. The second vagueness is that every thing on this earth is implied.

तो ऑल राउन्ड एग्ज़ामिन होना चाहिये।

तो तीसरी बात यह है हाईपोथिक्ली चीज़ रक्खी हैं और इसके लिये हाईपोथिक्ली एवरी थिंग इज़ इम्प्लॉईड।

इश्यू डेफीनेट यह था इसकी की जा सकती है शिकायत। पर इसमें भी एक वेगनेस आती है किसका किस पॉइन्ट से आप एग्ज़ामिन करेंगे मैडिकली, जूडीशियली, पोलिटिकली, सोशल और इकोनोमिकली किस नेचर का आपका एग्ज़ामिनेशन है। Regarding the fact of the custody, the fact is already there. The man is insside. For this somebody has complained, but what is the nature of complaint? तो बिगिनिंग से एण्ड तक इतनी वेगनैस है कि इसको अगर यह कहा जावे कि यह एटमोस्फीयरिक रेज़ोल्यूशन है जिसका न सिर है न पैर, क्लीयर पिक्चर नहीं आती। पर यह जिस प्रकार जो अगर आपको यह रेज़ोल्युशन लाना था तो This should have been more in the nature of legislation to amend the Panchayat Act, to amend the entire Act. यह पंचायत और इसके ग्राम पंचायत या तहसील पंचायत के पंच या सरपंच को स्टेचूटरी पॉवर डिफाइन्ड है। इनको अमेन्ड करने के लिये डेफीनेट एक्ट होना चाहिये था।

श्री महेन्द्रसिंह (अजमेर नगर पूर्व) : I would like to know from the Hon'ble Member whether it is prohibited by the rules of this House to move a resolution which necessitates legislative changes. It is a policy resolution, and if the policy is approved by the House, then if there is any law to be changed, it can be changed.

श्री श्रीभानसिंह : But it is the misfortune of this resolution that it contains no policy. It requests the Government for no policy changes. Therefore, under all these circumstances the point raised by the Hon'ble Member from Phulere is very pertinent and relevant and I request the House to reject the resolution on these points.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Member cannot just rise and sit down and rise again. There must be some point of order or anything.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, sir.—

यह जो अभी बताना से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री श्रीभानसिंह : Is it a new point of order or same ?

श्री उपाध्यक्ष : This is what I wanted to know.

Page No 62

श्री भैरोंसिंह : New point of order.

श्री श्रीभानसिंह : Then I would submit Sir that the point of order can only be raised if any procedural breach is committed by me and because I think I have not committed any procedural breach, the Hon'ble Member cannot raise any point of order.

श्री भैरोंसिंह : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर तो यह है। जो मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय कि...

श्री पी० के० चौधरी (बोलने के लिए खड़े हुए)।

श्री भैरोंसिंह : I am speaking on the point of order and I am in possession of the House and when I am speaking the Hon'ble Member should have patiene.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri P. K. Chaudhri. Please resume your seat.

श्री पी० के० चौधरी : My submission is Sir, that the Hon'ble Member cannot speak on the same point twice.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order ! Please ! Yes he will state definitely what is the point of order.

(श्री पी० के० चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री भैरोंसिंह : मैं डेफीनेटली अर्ज कर रहा हूं। I am in possession of the House.

श्री पी० के० चौधरी : I rise on a point of order Sir.

श्री भैरोंसिंह : The Hon' ble Member should be asked to sit down sir.

(श्री श्रीभानसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री भैरोंसिंह : Sir, this is a breach of privilege.

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : I will request both the Hon'ble Membersplease to resume their seats. Yes, Hon'ble Shri Bharion Singh. Please state that point of order which may be distinct from the one raised by Shri P. K. Chaudhri and it should be in brief.

श्री भैरोंसिंह : Let me explain.

श्री श्रीभानसिंह : I want to seek a direction and protection of the house if the Hon'ble Member can speak twice on the same issue.

श्री भैरोंसिंह : बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा . .

श्री श्रीभानसिंह : Sir, the Hon'ble Member cannot speak twice on the same issue.

(शोरगुल)

Page No 63

श्री उपाध्यक्ष : Order Order please. Hon'ble Members please. I am giving my observation. Hon'ble Member is not to speak twice on the same point but if there is a point of order which is distinct from the point of order raised by the Hon'ble Member from Phulera, I would like to hear him at this stage.

श्री भैरोंसिंह : Yes Sir,

श्री श्रीभानसिंह : But I am requesting the Chair that a point of order can only be raised if I have committed a breach of procedure...

श्री उपाध्यक्ष : Please let him have his say. Let me hear him to give any observations.

श्री पी० के० चौधरी : Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : There cannot be tow or three points of order at a time. I must dispose of the first before I take up another.

श्री पी० के० चौधरी : I want to rise because he is speaking on the same point of order.

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल नया पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री पी० के० चौधरी : It is expression on the same point of order.

श्री उपाध्यक्ष : You must believe him. He says that it is a new point of order. Let us hear him.

श्री पी० के० चौधरी : It is not a new point of order.

श्री भैरोंसिंह : It is a new point of order and it is not for you to decide whether it is a point of order or not.

श्री पी० के० चौधरी : But the Hon'ble Member should address the Chair.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने १४६ की तरफ ध्यान दिलाया है।

There is Rule 147 also. Speaker to dicide admissibility of resolutions.

श्री श्रीभानसिंह : I will request Sir...

श्री भैरोंसिंह : I have the authority to raise a point...

श्री श्रीभानसिंह : I will request Sir that the Hon'ble Member said...

(थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष : This is quite a separate point. If he is enlightening on Rule 147, I will allow him to speak. I take that point into consideration.

(थपथपाहट)

Page No 64

(श्री उपाध्यक्ष)

I hope the Hon'ble Members will not distumb the House unnecessarily.

श्री श्रीमानसिंह : The Hon'ble Member said he had the authority to raise. Has he an authority or a right to raise ?

श्री भैरोंसिंह : I have the right to raise a point of order and a point of order has to be given preference.

श्री श्रीमानसिंह : Yes you have the right but not authority.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि नियम 147. it says:-

"147. Speaker to decide admissibility of a resolution-(1). Th Speaker shall cide whether a resolution or a part thereof is not admissible under these rules and may disallow any resolution or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a resolution or calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules.

Provided that the Speaker may in his discretion amend the resolution in form or give the member concerned an opportunity of amending it.

(2) The Secretary shall give information to the member that his resolution has been admitted or admitted as amended or disallowed, as the case may be, and shall in case the resolution has been disallowed, also state the reason or reasons thereof."

उपाध्यक्ष महोदय, रेजोल्यूशन मूव करने का तरीका यह है कि मेम्बर जिस तारीख को रेजोल्यूशन लिया जाता है उसके पहले एक रेजोल्यूशन मूव करता है। अब जिस समय रेजोल्यूशन मूव किया जाता है उस समय अध्यक्ष के पास वे सब पेश होते हैं। उस समय अध्यक्ष ऐसा निर्णय देता है....

श्री उपाध्यक्ष : I think, Hon'ble Sir Bhairon Singh, it does not need any explanation so far as Rule 147 is concerned. I have rightly followed it.

श्री भैरोंसिंह : मैं इतना अर्ज कर रहा था। इसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में स्पीकर महोदय का निर्णय हो चुका है और बैलट में आया है और अब इसके बारे में कोई प्रसंग नहीं आ सकता एडमिसिबिलिटी के बारे में।

श्री श्रीमानसिंह : On a point of explanation Sir.

श्री भैरोंसिंह : There is no point of explanation.

श्री उपाध्यक्ष : Well this is a new point which needs explanation.

श्री श्रीमानसिंह : It is the sovereign right of this House to raise an objection to the admissibility of a

(श्री श्रीभानसिंह)

resolution at any stage on a point that may have escaped the notice of Hon' ble Speaker. उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने, हालां कि बहुत तजुर्बेकार लेजिस्लेटर हैं और उनके अनुभव की हाउस रेस्पेक्ट करता है पर उन्होंने यह नहीं समझाया कि स्पीकर ने या सेक्रेटेरियेट ने एडमिसिबिलिटी डिसाइड कर दी तो हाउस को भी पॉवर रहता है कि उसकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ कर सके। House still has the power. अगर एक दफा वहां पर रेज्योल्यूशन एड-मिट कर लिया तो हाउस में कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता एडमिसिबिलेटी के बारे में ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं कर सकता।

श्री श्रीभानसिंह : कैसे नहीं कर सकता। तो ऑफिस ने एडमिट कर लिया। The consest of the House has to be taken. और जब हाउस के पास रेज्योल्यूशन आता है तो the House is within its competence to object...

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य एक बात स्पष्ट कर दें कि हाउस की कन्सेन्ट लेने का कहां रूल है ?

श्री श्रीभानसिंह : Any Hon' ble member is within its competence to raise...

श्री उपाध्यक्ष : On the issue I am giving my own observations.

श्री पी० के० चौधरी : There are precedents in this House. He said a resolution can be put, and when once a resolution comes no objection can be raised, Ofcourse this submission that the Hon'ble Speaker has admitted it but there are instances when Bill have come in this House and objections have been raised in this house.So it cannot be raised that ..

श्री उपाध्यक्ष : I understand.

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : On a point of order Sir, मैं यह अर्ज करूंगा कि दांता से आने वाले माननीय सदस्य हैं और उन्होंने जो रेज्योल्यूशन मूव किया है उसके मूव करने से पहले किसी का चान्स था ऑब्सट्रक्ट करने के लिये या ऑर्डर रेज़ करने के लिए, तो वह पाइन्ट ऑफ ऑर्डर का वक्त था। अब कोई पॉइन्ट ऑफ़ ऑर्डर का वक्त रहा ही नहीं...

श्री श्रीभानसिंह : राम राज्य परिषद् का वक्त होता है ?

श्री अनोपसिंह : रामराज्य परिषद का नहीं है आपका मेरा और माननीय सदस्यों का है, सदन का है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि अगर आब्जेक्शन होता तो उस समय होता।

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Dy. Speaker is giving a Ruling on this point.

श्री उपाध्यक्ष : The question about its admissibility, when came before the Hon' ble Speaker, all these points

Page No 66

(श्री उपाध्यक्ष)

were considered and then this resolution was admitted. Secondly I find that the resolution is in order after having considered the position well. Therefore the point of order raised by Shri P. K. Chaudhary is not well taken and the debate will proceed.

श्री श्रीभानसिंह : I wish to challenge. This raises one issue in this House...

श्री भैरोंसिंह : किस पाइन्ट के ऊपर बोल रहे हैं ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : No Ruling can be challenged.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Yes, Please listen to him.

श्री श्रीभानसिंह : I just wish to submit sir.

श्री भैरोंसिंह : There is neither any point of order, nor any point of explanation or anything...

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble members will not be impatient.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : Is it a comment over the rulimg ?

श्री उपाध्यक्ष : Not at all. It is not a comment.

श्री श्रीभानसिंह : I am making comment when the Hon'ble members' Bill was sent back.

श्री जनार्दनराय नागर : I think heis making a comment.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble members will not disturb.

श्री जनार्दनराय नागर : But Sir, there has already been a Ruling.

श्री उपाध्यक्ष : There has been a ruling and the Hon'ble member is not going against it.

श्री श्रीभानसिंह : I assure the Hon'ble member, Sahitya Academy will not come up.

उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन था कि जो अमेन्डमेंट्स या बिल्स वगैरह असेम्बली सेक्रेटेरियट एडमिट कर लेता है और जब वह हाउस के सामने आते हैं तो हाउस के मेम्बर्स क्या कोई आब्जेक्शन रेज़ नहीं कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Shri Bhan Singh, the House can have a right to raise an objection These points were already considered by the Hon'ble Speaker and I have also considered all these circumstances and I therefore rule it out.

श्री श्रीभानसिंह : It means the House has taken that once admissibility has been discussed by the Hon'ble Speaker, and then its admissibility cannot be challenged in the House. What is the position ?

श्री उपाध्यक्ष : Besides the one referred there are other circumstances also. But an issue can be raised in the House. Mr. Madan Singh Danta.

श्री मदनसिंह : (जारी) तो मैं यह कह रहा था कि उस कटमेशन के टाइम पर जितने भी पुलिस के अत्याचार थे वह सभी सदस्यों ने होम मिनिस्टर साहब के सामने रखे और होम मिनिस्टर साहब ने उस समय बड़ी सद्भावना से फ़रमाया कि मैं अकेला हूं मैं क्या कर सकता हूं ? इसलिए सभी सदन के लोग और प्रजा के जितने भी नागरिक हैं वह मुझे मदद करें और जितने भी अत्याचार पुलिस के ज़रिये होते हैं उन पुलिस के अत्याचारों को अगर मुझे बतायें और सही रूप से बतायें तो मैं मदद करूंगा। इसी आशय को लेकर मैंने कहा था कि होम मिनिस्टर साहब के सामने इतनी बड़ी दिक्कत थी कि उनकी पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा जो भी जनता के ऊपर जुल्म होते हैं उसका मालूम नहीं होता है इसलिए मैंने कर्तव्य समझा कि ऐसा कौन सा तरिका हो सकता है कि जितने भी पुलिस के अत्याचार हैं वह सही ढंग से होम मिनिस्टर साहब के सामने या सरकार के सामने आ सकते हैं। अगर सब जनता के लिए इजाज़त मांगते तो पासीबल भी नहीं था। इसलिए जो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, वह असेम्बली के मेम्बर हैं और पंचायतों के पंच और सरपंच, तहसीलों के सरपंच इत्यादि यह तीन ऐसे हैं जो जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं और वही मौके पर जो पुलिस के अत्याचार हैं या पुलिस की ज्यादती होती हैं उन्हें सही रूप से पकड़ा जायें उसका निरीक्षण सरपंच करते हैं या असेम्बली के मेम्बर करते हैं तो सरकार को सही ढंग से मालूम हो जाता है। नहीं तो होम मिनिस्टर साहब से यह पोसीबल नहीं है....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I also want to raise a point of Order Sir. Rule 146 subrule (e)....

श्री भैरोंसिंह : Which Rule...

श्री सोहनलाल भटनागर : Rule 146 (e)—

"It shall not ordinarily relate to a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any Commission or Court of Enquiry appointed to enquire into or investigate any matter."

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रेज्योल्यूशन के अन्दर जो भावना निहित हैं वह क्रिमिनल प्रासीजर कोड में अमेन्डमेन्ट किए बिना नहीं हो सकता तो यह लॉ कमीशन पहले भारत सरकार ने मुकर्रर किया है और यह सब उसमें दिया हुआ है। इसलिए मैं जो मैटर लॉ कमीशन के सामने पेन्डिंग है उसके बारे में मेरे ख्याल से रेज्योल्यूशन नहीं आ सकता।

श्री उपाध्यक्ष : What is your first point ?

श्री सोहनलाल भटनागर : Without bringing an amendment to the Cr. P. C, the spirit of the resolution cannot be carried out.

श्री उपाध्यक्ष : In what way ?

श्री सोहनलाल भटनागर : we shall have to give rights to certain individuals, certain persons, but without any authority, or without any law, we cannot say that the legislators or the Sarpanches can be given....

श्री उपाध्यक्ष : This does not need any clarification. The resolution is in the form of recommendation and is a matter of policy. The point of Order is therefore not well taken.

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की आज बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्य जो शक्ति का विकेन्द्रीकरण करके पंचायतों को राज्य सौंपना चाहते थे वही आज अपोज़ीशन में खड़े होकर के कई कई दिक्कतें पेश कर रहे हैं। मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि आज जो मैंने रेज्योल्यूशन रखा है वह बिल्कुल प्रजातांत्रिक ढंग से है। अन्यथा जो आपको विकेन्द्रीकरण के साधन और रूल हैं उनमें अगर राजस्थान की जनता ने अपने हाथ में ताकत ले कर जो पुलिस के अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं वह दूर नहीं हुए तो राजस्थान की जनता यह भी शक्ति रखती है वह अपने हाथ में ताकत लेकर जहां भी पुलिस के अत्याचार और अन्याय होते हैं उनका उसी रूप में जवाब दे। इसलिए मैंने प्रजातांत्रिक ढंग से एक व्यक्ति को जो पॉवर्स मिल सकती हैं सैद्धांतिक दृष्टि से उसकी मन्शा को मद्देनजर रखते हुए इसको रखा था। और दूसरे होम मिनिस्टर साहब की रिक्वेस्ट थी कि आप लोग हमें किसी तरह से सही रूप में बतायें कि क्या २ अत्याचार हैं। होम मिनिस्टर साहब ने मुझे याद है कि यह फरमाया था कि जो पुलिस के अत्याचार की बातें सदन के सदस्यों ने रखी हैं वे ६० पर्सेन्ट सही नहीं है और ४० परसेंट सही हैं। तो मेरा सुझाव है कि ६० पर्सेंट ठीक कैसे हो सकती है ? आपका फर्माना ठीक है। मेरे रिजोल्यूशन की यह मन्शा है कि आज एक सदस्य किसी को मुकर्रर करें। पुलिस के कर्मचारियों के पास वहां उनकी कैद में एक व्यक्ति है तो उसका कैसे निरीक्षण कर सकते हैं ? कैसे सही खबर दे सकते हैं ? आज की पुलिस का कारावास और पुराने जमाने के राजाओं के रनिवास की एक ही हालत है। दोनों का पता नहीं चल सकता है कि वहां क्या क्या अन्याय हो सकते है। इसलिये इन चीजों को लेकर होम मिनिस्टर साहब की दिक्कतें और सरकार की दिक्कतें दूर हो सकती हैं मैंने यह प्रस्ताव रखा है। जनता के प्रतिनिधि सरपंच को मजिस्ट्रेट के अधिकार मिले हुए हैं यानि पंचायतों को मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, उनको अधिकार हों। मैंने कोई राज्य तो नहीं मांगा था केवल निरीक्षण करने का अधिकार मांगा था जिससे पुलिस के ऊपर नियन्त्रण रहे। जो अत्याचार हो उनका निरीक्षण करनेवाले हों। आज जिनसे हम वोट लेकर आये हैं उनके अधिकार का प्रश्न आता है तो ऐसे पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर की आड़ लेकर स्टॉप करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order. You will please not cast aspersions on the Hon'ble members. This is a right which an Hon'ble member of this House has...

Page No 69

श्री मदनसिंह : ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रेरणा दी। मुझे सुखाड़िया सरकार ने प्रेरणा दी। उन्होंने शक्ति के विकेन्द्रीकरण का प्रसाद बांटा था। दूसरी प्रेरणा होम मिनिस्टर साहब ने दी। कि किस तरह से पुलिस के अत्याचार क्षेत्र में आये उनकी दिक्कतों को सरल करने के लिए मैंने यह एक जरिया अच्छा समझा, यह प्रजातान्त्रिक जरिया था कि जो सरपंच गांव के अन्दर रहता हैं, गांव में अगर अत्याचार होते हैं तो सरपंच जाकर मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से निरीक्षण कर सकता है। होम मिनिस्टर साहब चाहते हैं तो उनके पास जाकर विचार प्रकट कर सकते हैं कि अमुक अमुक जगह यह अत्याचार हुए। यह यह अन्याय हुआ। इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है। होम मिनिस्टर साहब खुद भी चाहते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं और जनता के ऐसे तथ्य हैं मेरे पास। कई तथ्य आप के सामने रखूंगा। मैं समझता हूं कि होम मिनिस्टर साहब तथ्यों को सुन कर फरमायेंगे कि विरोधी दल के लोग पुलिस को गालियां निकालते हैं, पुलिस की गल्तियां निकालते हैं इसलिए पुलिस की तारीफ पहले कर देता हूं कि वह मौका नहीं मिले कि होम मिनिस्टर साहब टाईम वेस्ट करें। पुलिस बहुत अच्छी है। एक तारीफ यह है कि वह डाकू मारती है। इसलिये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा काम किया कि डाकू मारा। क्या, उपाध्यक्ष महोदय, इसका यह मतलब है कि डाकू मारकर हमारी बहिन बेटियों के साथ अत्याचार करें, क्या डाकू मारने से उनको यह प्रिविलेज मिलता है कि हाईकोर्ट के आन्दोलन में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों पर अत्याचार करें, हाईकोर्ट के आन्दोलन में घरों की स्त्रियों पर पुलिस के कर्मचारी बलात्कार करें। दूसरे उनके साथ में मजिस्ट्रेट खुद देखते हैं। मजिस्ट्रेट के रिमार्क्स हैं कि कई जगह वाकई में पुलिस की तरफ से अत्याचार हुआ है। अगर इस तरह से चला तो राजस्थान की जनता हिम्मत कर सकती है और वह दिन दूर नहीं है कि जब जनता अपने हाथ में शक्ति लेगी और जनता उसका जवाब देगी और ११६ सदस्य क्या सारे भारतवर्ष के १००० सदस्य भी मिल कर उसका विरोध करेंगे तो वह नहीं रुक सकती है, क्योंकि आज राजस्थान के अन्दर जिन सतियों ने अपना जीवन न्योछावर किया है, आज उन सतियों का इस तरह से सतीत्व लूटा जा रहा है। आज के ही पेपर 'राष्ट्रदूत' के अन्दर है। शायद आप कहेंगे कि मैं पुरानी मिसाल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : we will not refer to any paper.

श्री मदनसिंह : अगर कोई पुरानी मिसाल दूंगा तो मिनिस्टर साहब कहेंगे कि पुरानी मिसाल है। आज भी हमने पढ़ा है अखबार के अन्दर और लोगों से सुना है यह घटना इस प्रकार है कि एक अग्रवाल स्त्री पानी भरने गई थी तो उसको पुलिस के एक कर्मचारी शैतानसिंह ने पकड़ा और उसके साथ में बलात्कार करने की कोशिश की। उस वक्त जनता उस पर टूट गई और वह पकड़ा गया और पकड़ कर उस शैतानसिंह को पुलिस के हवाले किया तो २ या २॥ घन्टे के बाद पुलिसवालों ने उसको छोड़ दिया। आज वह अधिकार जनता में होता तो सरपंच या एम. एल. ए, जो कोई भी वहां

Page No 70

(श्री मदनसिंह)

होता जो कि जनता के चुने हुए हैं तो पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि वह शैतानसिंह को इस तरह से छोड़ दे। इसलिए इसी तथ्य को लेकर मैं समझता हूं कि सदन के अन्दर काफी बहस हुई है। सदन के अन्दर काफी चीजें ऐसी आई हैं जिन पर होम मिनिस्टिर साहब ने खुद ने फरमाया था कि ऐसी गल्तियां हो सकती हैं और अगर होम मिनिस्टर साहब ने यह चाहा तो होम मिनिस्टर साहब के सामने यह सिद्ध किया है कि फलां फलां घर के लड़के को पकड़ कर बैठा दिया गया है और जबरदस्ती ठोक पीट कर कहलाया गया है कि हमने यह कुकर्म किया है। अगर इसकी मन्शा हो तो मैं सदन के अन्दर कह सकता हूं। हमने देखा है और प्रूव किया है। होम मिनिस्टर साहब के सामने किया है। इसमें विधान सभा के सदस्यों ने साथ दिया, वे सदस्य यह कहते हैं कि ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मेरे आपके अधिकार के लिए यह प्रस्ताव किया था। अगर आप वाकई में ऐसे हैं कि जनता का आप पर भरोसा नहीं है, आप नाकाबिल हैं तो विधान सभा के सदस्य नहीं लें। मैं चाहता हूँ कि जनता के हाथ में इस तरह के पॉवर्स हों कि जहां सरपंच और तहसील सरपंच और विधान सभा के माननीय सदस्य अगर निरीक्षण करना चाहें तो वे कस्टडी में लेने के बाद में निरीक्षण करेंगे...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): On a point of submission Sir, I don't wish to disturb the Hon'ble Member in his speech but I think the Hon'ble member is rather not using in his zeal to put forth his resolution, Parliamentary language and that not to take power or to oppose it he used the word 'Nakabil'. He ma[illegible]e therefore jealous to put forward his resolution. But I will request him through you Sir, that he should use a sort of better language. This is only what I mean to say.

श्री उपाध्यक्ष : मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य जहां तक भाषा का सम्बन्ध है संयम से काम लेगें।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि रिजोल्यूशन को आप भी सपोर्ट करेंगे तो जो पार्लियामेन्ट्री बात नहीं थी, भाषा ढंग से नहीं बनाई गई थी उस वक्त मैं समझ लूंगा कि किस तरह से बोलूंगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उस वक्त पार्लियामेन्ट्री वर्ड्स का कोड बना लिया जावेगा।

श्री श्रीभानसिंह : Does this mean that the Chair is supporting the Resolution ?

श्री उपाध्यक्ष : शब्द 'नाकाबिल' सदस्यों के सम्बन्ध में उपयोग किया गया है अतः इस शब्द का उपयोग न करने की मैंने माननीय सदस्य को व्यवस्था दी है।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि जो वह अधिकार सदन के सदस्य नहीं लेना चाहते हैं और वे केपेबल नहीं हैं यह तो ठीक है न 'नाकाबिल' की जगह....

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी का है।

श्री मदनसिंह : अंग्रेजी के अन्दर सब चलता है। अंग्रेजी के अन्दर गाली' भी निकाली जाय तो उचित समझी जाती है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : On a point of order, Sir मैं समझता हूँ कि इस सदन के सदस्य किसी प्रकार के अधिकार लेने या देने के लिए पूरे केपेबल हैं और कम्पीटेन्ट हैं। यहां पर जो 'केपेबल' शब्द का प्रयोग किया गया है उसको वापिस लेना चाहिए।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, It is an aspersion on the abilities and capabilities of the Hon'ble Members of this House. The Hon'ble members may not like to taket hem for various reasons, but it does not mean that he is not capable. You may be capable to go to Bombay on foot and others may not. There can be so many reasons. But you cannot apply it....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर शहर-पूर्व) : Is it in the true sense....

श्री पी० के० चौधरी : I object to this word. It is a way of blackmailing the Hon'ble members.

श्री उपाध्यक्ष : I could understand the issue. मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया है कि जिस शब्द का पहले प्रयोग किया गया है वह भी सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है और अभी भी जो हिन्दी का अंग्रेजी में ट्रान्सलेशन किया गया है वह भी सदन के सदस्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न शब्द का है। शब्द कभी पार्लियामेन्टरी बनता है और कभी अनपार्लियामेन्टरी बन जाता है लेकिन भावना पर निर्भर करता है। "नाकाबिल" शब्द का किस भावना से उपयोग किया गया है, यह देखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय में जाना उपयुक्त नहीं समझूंगा, मैंने यह व्यवस्था दी है कि सदन की प्रतिष्ठा बनाये रखने के हेतु....

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि "नाकाबिल" शब्द अनपार्लियामेन्टरी है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : यदि सदन के माननीय सदस्यों से सम्बन्ध रखता है तो "नाकाबिल" शब्द अनपालियामेन्टरी है अन्यथा नहीं होगा।

श्री श्रीभानसिंह : He is challenging the ruling.

श्री भैरोंसिंह : "सदन नाकाबिल" नहीं है तो क्या यह भी अनपार्लियामेन्टरी होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : "नाकाबिल नहीं है" इसका अर्थ तो "काबिल" होने से हो जाता है।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ श्री श्रीभानसिंह-जी को कि कम से कम उन्होंने ऐसे मौके पर

(श्री मदनसिंह)

चैक किया कि मैं शायद आगे नहीं बढ़ता लेकिन आयन्दा के लिये कहता हूं कि इस तरह से डिस्टर्बेन्स करने की कोशिश न करें....

श्री श्रीभानसिंह : I will not disturb but I will try to improve him.

श्री भैरोंसिंह : But try to improve your self.

श्री श्रीभानसिंह : In that case I will not need your. ..

श्री भैरोंसिंह : Self praise is no praise.

श्री मदनसिंह : इसलिये मैंने यह निवेदन किया था, सुखाड़िया सरकार में पुलिस के अधिकार बताये और होम मिनिस्टर साहब से जो प्रेरणा मिली थी उसका तथ्य बताया और जनता से जो प्रेरणा मिली, पुलिस के अत्याचारों के बारे में जो तथ्य मालूम हुए वे होम मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि उनकी तरफ से जवाब यह मिलेगा कि डाकू मारे हैं इसलिये तारीफ करेंगे, इतने डाकू मार देते हैं तो कम से कम उनका पीछा तो न करें। आज पहले भी सदन के सामने माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने इतने इतने तथ्य सामने रखे थे, लेकिन उनकी जांच हुई हो ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन ऐसे तथ्य हमने पहले भी रखे थे और आज भी इसी तरह का दूसरा तथ्य यह है कि जोधपुर में 'राष्ट्रदूत' के संवाददाता को पुलिस ने केवल व्यक्तिगत अदावत से बाज़ार में हथकड़ियें और बेडियें डाल कर घुमाया और उसकी मान मर्यादा भंग की। आज के प्रजातंत्र के युग में अखबारवालों को ट्रीट करना इस तरह से, किसी भी राष्ट्र में ऐसी बात नहीं मिलेगी। लेकिन आज राजस्थान की पुलिस ने स्त्रियों को नहीं छोड़ा, राजस्थान की पुलिस ने संवाददाताओं के साथ जुल्म करना नहीं छोड़ा। व्यक्तिगत द्वेष के कारण एसेम्बली के मेम्बर्स के साथ द्वेष करना नहीं छोड़ा। आज राजस्थान की पुलिसवालों के हाथ से ऐसी हालत हो रही है। मुझे याद है कि श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने दो चार शब्द कहे वे जो अप्रिय लगे थे, बड़े बड़े लोगों ने सलाह दी कि ऐसे शब्दों की आपसे उम्मीद नहीं थी लेकिन सत्य बात है पुलिस के अत्याचार इतने बढ़ गये हैं, इसके बारे में मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार नहीं हुआ तो प्रजा अपने हाथ में अधिकार लेगी।....

श्री उपाध्यक्ष : आज भी प्रजा के हाथ में ही अधिकार हैं।

श्री मदनसिंह : आज पुलिस के हाथ में अधिकार हैं, नौकरशाही के हाथ में अधिकार हैं इसलिये होम मिनिस्टर साहब को कुछ करने में डर लगता है। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि आई० जी० पी० से लेकर सिपाहियों तक को निकालना पड़े ऐसी बदमाशी करने के कारण तो उनको निकालना चाहिये। यदि आपने यही चीज़ रखी तो महात्मा गान्धीजी का उपदेश कहां पूरा होता है? उधर विनोबाजी का भाषण होता है चूरू में कि पुलिस की जरूरत नहीं और इधर इस तरह की बातें होती हैं। यहां मामूली बात कही गई निरीक्षण की, इसके लिये न तो किस मेजिस्ट्रेट की जरूरत थी और न कोई

(श्री मदनसिंह)

ऐसी बात थी जिससे गवर्नमेन्ट के अधिकार लिये जाते हों, केवल एक सदस्य जाकर निरीक्षण करले और तथ्य का पता लगाले। इस पर भी यदि सरकार को आपत्ति होती है तो मैं यही कहूंगा कि सरकार की मंशा है कि पुलिस के ज़रिये राजस्थान की जनता को कुचला जाय, अच्छे सज्जनों को कुचला जाय और विरोधी दल को दबा कर ऐसा कर दिया जाय कि सरकार के खिलाफ वे आवाज़ नहीं उठावें। मैं होम मिनिस्टर साहब का लोसल के केस की ओर ध्यान दिलाऊंगा, यदि उनकी कृपा हो जाय तो काम हो जाय।

लोसल में ऐसा हुआ कि लोसल का रहनेवाला एक सेठ अपना मकान संभालने के लिये आया। जब उसने अपना घर संभाला तो उसके जेवर, सोने चांदी के बर्त्तन वगैरा गायब थे। सौभाग्य से मैं भी वहां मौजूद था। वह मेरे पास आया लेकिन उस ! कंठ रूक गया, आंखें निकल गईं और उसने कहा कि मुझे बचावो। मैंने कहा क्या हुआ? वहां पर कुछ नेता मौजूद थे, उनके सामने कुछ नहीं कहना चाहता था इसलिए इशारा किया थोड़ी देर ठहरिये। मैंने सबको अलग किया और उससे बात की तो कहा कि मेरे यहां ६० तोला सोना था, चांदी के बर्त्तन थे वे सब निकाल लिये। सिंगरावट के थानेदार जो एक संरदारजी थे उन्होंने और चार मित्रों ने मिल कर जेवर सोना गला कर आपस में बांट लिया और मुझे केवल ३० तोला सोना देकर यह कहा कि यदि शिकायत करोगे तो पीटे जावोगे और जितनी चीजें हैं वे भी छिन जायेगी। मैंने बात कही तो इसी सदन में होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि जांच पूरी होगी। लेकिन उस वादे पर पानी फिर गया, कुछ नहीं हुआ, सेठजी का ३० तोला सोना और बर्त्तन वगैरा चले गये। मैंने चोर से पूछा तो उसने कहा कि साफ बात तो यह है कि एक कांग्रेसी नेता हैं वे, पुलिस थानेदार और हम सबने मिल कर उसका बंटवारा कर लिया। खास खास चीजें तो उनके पास चली गईं मेरे पास तो पुराने जरी वगैरा के कपड़े रह गये आप चाहें तो मैं उसे वापिस दे सकता हूं। उनको जब पता लगा तो उसको यहां तक धमकाया गया कि तु १० दिन के अन्दर तहसील से पार हो जाओ अन्यथा मरवा देंगे।

आज आप कल्याणकारी राज्य की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में और सामन्तों के राज्य में अत्याचार होते थे। महात्मा गांधी का केवल सड़कें बनाने का और बिजली लगाने का ही लक्ष्य होता तो ये बातें वे अंग्रेजों से भी करवा सकते थे। लेकिन माहात्मा गांधी को भारत के लिये न्याय प्रिय था, जनता पर जो अत्याचार होता था और जो अन्याय होता था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। राजस्थान की जनता और हिन्दुस्तान की जनता चाहे भूखी रहे, चाहे उसको पहिनने को कपड़ा नहीं दें लेकिन जहां उसके चरित्र और मान मर्यादा की रक्षा का सवाल है वहां बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं समझता हूं आज तक क्यों नहीं किया, मैं जानता हूँ इस गवर्नमेंट को कहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं भी होम मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि जनता कोई एक्शन ले उससे पहले आप एक्शन लें न्यायपूर्ण तो अच्छा होगा वर्ना भारतवर्ष के नागरिकों को पूरा अधिकार है कि अपनी मां, बेटियों की रक्षा करें। राजस्थान ने पहले भी मां, बेटियों की रक्षा की है और अब भी करेगा।

Page No 74

(श्री मदनसिंह)

जहां बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है वहां सब कुछ कर सकते हैं। यहां पर चोरियां होती हैं, स्त्रियों की इज्जत लूटी जाती है, मर्डर केसेज़ होते हैं, मर्डर केस के बारे में अभी अभी रिपोर्ट आई है उसका उल्लेख करूंगा। ज़िला भरतपुर में एक महन्तजी हैं बसेड़ी तहसील के गांव अकासमा, वहां के उन महन्तजी का कत्ल हुआ और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने ८ हज़ार रुपये लेकर मौत पर पर्दा डाल दिया और केस नहीं पकड़ा गया। इसी तरह से एक पुजारी का कत्ल कर दिया। उसमें भी ठेकेदारी हुई और खास डि. सु. पुलिस हैं और डिप्टी एस. पी. हैं, वे हमारे गुमानसिंह, जो बहुत प्रिय और नेक और राजस्थान के अच्छे सुपरिन्टेन्डेन्ट माने जाते हैं, उनके भतीजे हैं, उनके पास ६ राईफल हैं, तीन जोधपुर की और तीन धौलपुर की, वे राईफलें नाजायज हैं, किसी की पकड़ी हुई राइफलें हैं, उनका वापिस लाईसेन्स कराके उनमें से आधी राईफल खुद रखी हैं और आधी वापिस दे दी हैं। इस तरह से पुलिस के लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत अच्छा होगा, मैंने बड़े प्रजातान्त्रिक ढंग से, सोच विचार करके यह प्रस्ताव रखा है। इसके अनुसार कोई अधिकार सरपंच को दे देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होनेवाला है, आपकी मिनिस्ट्री नहीं जानेवाली है, आपकी सदस्यता नहीं जानेवाली है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रजातान्त्रिक ढंग से मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसकी आप इज्जत करते हैं तो आप प्रजातन्त्र की इज्जत करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सामन्तशाही में पला हुआ हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा सामन्तशाही में हुई है। मेरा जीवन फ़ौज में व्यतीत हुआ है, मुझे प्रजातन्त्र की खूबसूरती दिखाई दी है, ८ साल में मैंने खूबसूरती देखा की है। अगर प्रजातान्त्रिक ढंग से राज्य करनेवाले हैं, वे इन सुझावों को और लक्ष्य को देखें। मैंने दो वर्ष पूर्व एक सुझाव एन्टी-करप्सन के लिए रखा था। आप घबरा रहे हैं तो एन्टी-करप्सन के काम को विरोधी दल के हाथ में दीजिये। अगर विरोधी दल असफल रहता है तो विरोधी दल बदनाम होगा। ठीक ढंग से काम कर सकता है तो विरोधी दल काम कर सकता है। आज सरकार ईमानदारी के साथ सही रूप में विचार करे और विरोधी दल के हाथ में आप एन्टी करप्सन दे दें। मैं विश्वास दिलाऊं कि छः महीने के अन्दर सिद्ध कर देंगे लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है। इतना मोरल होना चाहिए सरकार में कि वह आगे बढ़ कर इस चीज़ को कह सके। इसी आधार पर मेरा सेकिंड रिजोल्यूशन है जो कि महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन है। इसके आधार पर अगर पॉवर नहीं दी जाती है तो स्पष्ट होगा कि पुलिस और गवर्नमेंट मिली हुई है और मेल जोल करके आगे जो चुनाव आते हैं उनके लिए पुलिस के लोगों की खुशामद की जाती है, पुलिस के लोगों को सस्पेन्ड करके उनकी मदद की जाती है और उनको रीइन्स्टेट किया जाता है। इन हरकतों को देख कर अफसोस होता है। मैं समझता हूं कि माननीय होम मिनिस्टर को जो चीजें मैंने रखी हैं उन पर विश्वास होगा। मैं समझता हूं कि मैं असेम्बली में जब तक किसी चीज में कोई तथ्य नहीं होता है, वह नहीं रखता हूं। मेरी वह आदत नहीं है जैसी कि माननीय सदस्यों की है कि चांदपोल में

(श्री मदनसिंह)

नागां टकरा गया, कितने आदमी पकड़े गये ? ये असेम्बली के सवाल नहीं हैं ।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : This is again an aspersion.

श्री मदनसिंह : Sit down.

श्री श्रीभानसिंह : I will not sit down, I will make you to sit down.

श्री मदनसिंह : You are not to make me to sit down.

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order. You will kindly resume you seat.

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य के कहने से नहीं बैठूंगा । आप कहें तो बैठ सकता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order.

श्री श्रीभानसिंह: On a point of Order Sir, उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने कहा। It is again an aspersion on the Hon' ble members.

श्री उपाध्यक्ष : Let me refer to the proceedings first.

श्री मदनसिंह : मैं चुनाव में लड़ कर आया तब मैं समझ रहा था कि सुन्दर सुन्दर चीजें होंगी, लेजिस्लेचर की चीजें होंगी। दुनियारा में वह किसने बनाया, यह कोई प्रश्न हुआ ? चांद पोल का मुंह किधर है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अन्य माननीय सदस्यों....

श्री मदनसिंह : मैं कह रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please. मैं पुन: निवेदन करूंगा कि जहां तक माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है, उनके कार्यों का सम्बन्ध है, किस तरह बोलते हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं, इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश न डाला जाय ।

श्री मदनसिंह : मैंने कहा था, मैं लोगों के बोलने पर प्रकाश डाल रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ आपका समय खत्म हो रहा है ।

श्री श्रीभानसिंह : आपका बोलना आप पर प्रकाश डाल रहा है ।

श्री मदनसिंह : मैंने जो डाला है, आपने डाला है, वह ठीक है। मैंने जो डाला है, वह डल गया । मैं समझता हूं कि मैंने सदन के समक्ष बहुत अच्छे ढंग से, प्रजातांत्रिक ढंग से प्रस्ताव रखा है । इसको अगर आप मान्यता देते हैं तो ठीक है अन्यथा प्रजातन्त्र में रहनेवाले व्यक्ति जिस उद्देश्य और आशा को लेकर जनतन्त्र में रहेंगे, उस आशा की पूर्ति नहीं होगी और वह कायम रहेगी। अगर सदन के सदस्य इसको मान्यता देते हैं तो खुशी की बात है अन्यथा जनता का प्रतिनिधित्व लेकर यहां आये है, उनको इसकी चिन्ता है ।

(श्री मदनसिंह)

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य, जो दांता रामगढ़ से आनेवाले हैं, ने एक संकल्प रखा है, उसमें मेरा एक संशोधन है। संशोधन है, कि इस सदन की सम्मति है कि 'सदस्य विधान सभा' 'सदस्य विधान सभा' शब्दों के आगे 'सदस्य लोक सभा' शब्द जोड़े जायें।

जो संकल्प आया है, यह कितना महत्वपूर्ण है और कितना नहीं है यह केवल इसलिये सोचा जाय कि वास्तव में आज की सरकार को यह अधिकार इन व्यक्तियों को देना है या नहीं और यह किस स्टेज पर किसको दिया जाय इसके बारे में सोचने से पूर्व विचार किया जाय, तो यह देखा जाता है कि लोकतंत्र में हर आदमी यह चाहता है कि चुने हुए जितने व्यक्ति हैं इनको आज ज्यादा से ज्यादा पावर्स देने की, ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की बात कही जाती है, उन अधिकारों में यह अधिकार देना अच्छा है या बुरा। जहां तक यह चीज सोची जाय तो उसके बारे में कई चीजें सोची विचारी जा सकती हैं लेकिन इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये पावर्स किन किन व्यक्तियों को देने की बात कह रहे हैं, यह पावर्स कौन और किस प्रकार से काम में ले सकेगा। यह बात सामने आती है तो संकल्प का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाता है। केवल इस संकल्प में माननीय सदस्य ने यह चाहा है, यह मांग की है और उन लोगों के लिये मांग की है जो वास्तव में इसके लायक हैं कि इनको यह अधिकार दिया जाना चाहिए। मेरा जो संशोधन है कि इसमें 'सदस्य लोक सभा' जोड़ दिया जाय। जिस क्षेत्र से जितनी जनता पर लोक सभा का सदस्य चुना जाता है वह सब तरह से योग्य है, और अनुभवी है और हर प्रकार की जानकारी लेकर और हर प्रकार की चीजों में जो जनता के लिए अच्छी हो सकती है उनको सुधारने के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, कदम उठा सकता है ऐसी बात है। इसके साथ ही साथ विधान सभा के सदस्य की बात आती है और ऐसे लोग होते हैं जो तहसील पंचायत के सरपंच हैं या ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जिनके लिए इस अधिकार की मांग की गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो संकल्प माननीय सदस्य ने रखा है वह किस प्रकार बहुत उपयुक्त साबित नहीं होगा ? मैं समझता हूं यह बहुत उपयुक्त संकल्प है। जो इलेक्टेड मेम्बर्स हैं, चाहे वे तहसील पंचायत के सरपंच हों, चाहे ग्राम पंचायत के सरपंच हों, चाहे विधान सभा के सदस्य हों, चाहे लोक सभा के सदस्य हों, उनको पावर्स देने में सरकार क्यों हिचकिचाहट करती है ? कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अधिकार मिल जाता है, जिस आदमी को सहूलियत दी जाय, वह उस पॉवर को अच्छी तरह काम में ले सके तो वह पॉवर देनी चाहिए। उसे संकुचित विचारधारा को सामने रखते हुए रोकना अच्छा नहीं है। किसी लोक सभा के सदस्य को, विधान सभा के सदस्य को, तहसील पंचायत के सरपंच को और ग्राम पंचायत के सरपंच को सहूलियत या पॉवर्स देने की बात आती है, रेवेन्यू पॉवर्स देने की बात आती है, जुडिशियल पावर्स देने की बात आगे आ

(श्री रामकरणसिंह)

सकती है, अन्य चीज़ों को लेकर कोई चीज़ आती है, पुलिस कस्टडी में कोई आदमी है उसे किसी प्रकार देखने की बात आती है तो जनता चाहती है कि वास्तव में जो हमारे नुमाइन्दे हैं उनको यह अधिकार हो। अगर हमारे यहां पर दुःख आये, संकट हो तो पुलिस हमें तानाशाही के रूप में तंग नहीं कर सके और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा देखने में, निरीक्षण करने में कि क्या हालत है, कैसी हालत है और बातचीत करने में कोई रुकावट की जाय, यह समझ में नहीं आता। माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है वह बहुत सोच समझ कर और अच्छे रूप में रखा है कि आज किसी प्रकार लोकतंत्र किसी एक जगह पड़ा न रहे, एक जगह केन्द्रित न हो बल्कि हर एक आदमी जो किसी मकसद से चुना जाता है को ज्यादा से ज्यादा पावर्स दी जाय, अधिकार दिये जांय, जिससे वह सही रूप में अच्छी तरह उनका उपभोग कर सके। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का यह संकल्प आया है और जो मैंने उसके साथ में अपना संशोधन रखा है उसका वास्तव में ऐम क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस दृष्टिकोण से इस पर सब विचार करेंगे और किस प्रकार किस रूप में जो अधिकार इन सज्जनों को दिये जांय उनको कैसे कैसे और किस प्रकार से दिया जाय।

बजट सेशन पर बहस के समय कट मोशन्स दिये गये थे और पुलिस पर आरोप लगाये गये थे। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि किस प्रकार राजस्थान में पुलिस अत्याचार कर रही है. तो माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया था कि पुलिस डाकुओं का दमन कर रही है। माना कि पुलिस डाकुओं का दमन कर रही है पर माननीय सदस्य इत्तिला देते हैं कि इसके अलावा पुलिस के दूसरे कारनामें भी हैं। डाकुओं का सामना पुलिस करती है, इसके बारे मे मैं दूसरी राय नहीं समझता, अच्छा काम करती है पर पुलिस डाकुओं को मारती है तो मुकाबले में पुलिस के आदमी घायल हो जाते हैं या वहीं मृत्यु को पहुंच जाते हैं उनके घरवालों को राहत दी जानी चाहिए मगर यह चीज़ सरकार देने को कम तैयार होती है। किसी डाकू से मुठभेड़ में कोई पुलिसवाला घायल हो जाता है तो उसको किसी प्रकार की सहूलियत देने की बात सरकार नहीं करती। इस कारण दूसरे पुलिसवाले डाकुओं से मुठभेड़ करने में उत्साहित नहीं होने। इस तरह से जो घायल होते हैं उनको सरकार आगे कठोर से कठोर काम करने को देती है इससे पुलिसवालों पर बुरे से बुरा असर पड़ता है। इससे पुलिस के लोगों में यह भावना पैदा होती है कि अगर डाकुओं से लड़ते हुए मारे गये या घायल हो गये तो पीछे औरतों और बाल बच्चों को देखनेवाला कोई नहीं है। हांथ पैर अगर मुकाबले में बेकार हो गये तो किसी प्रकार की फेसेलिटिज़ सरकार देने को तैयार नहीं है।

तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो डाकुओं का सफाया करनेवाले अधिकारी हैं उनको हर प्रकार की सहूलियत, राहत और फेसिलिटिज दें, यह वास्तव में अच्छे कल्याणकारी राज्य के करने की बात है, वह करें ताकि पुलिसवाले और अधिक उत्साह के साथ डाकुओं को पकड़ने में काम करें।

पर जो पुलिस के कर्मचारी जिनकी

Page No 78

(श्री रामकरणसिंह)

नीयत ठीक नहीं है, बद नीयत से जनता को, आदमियों को पकड़ कर तंग करना चाहते हैं, उनकी देखरेख के लिए उन पर अंकुश रखने के लिए, जनता में किसी प्रकार का असंतोष, गुंडागर्दी फैलती है, एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, जो पुलिस-वाले जनता पर अत्याचार करते हैं उनकी जांच के लिए दातारामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो मांग रखी है, जो प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिये। एक साल पहले की बात है कि नोहर थाना, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में कत्ल होता है। इधर से जो लोग गये हुए थे उनको मुरब्बे दिये गये थे, उनमें से एक का कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला जक्खड़सिंह पकड़ा जाता है पर थोड़े ही दिनों बाद कोई काम ऐसा हुआ कि उसे सरकार जमानत पर छोड़ देती है...

श्री उपाध्यक्ष: जमानत पर सरकार नहीं छोड़ती अदालत छोड़ती है।

श्री रामकरणसिंह: अदालत जमानत पर छोड़ती है पर हमारे यहां अदालत में और सरकार में कितना फर्क है, यह कोई मुश्किल से ही बता सकता है। जक्खड़सिंह जिसने कि कत्ल किया था उसको छोड़ देते हैं और जिस शख्स ने जमानत दी थी वह जामिन भी गायब हो जाता है और वह मुलजिम भी गायब हो जाता है तो यह देखा जाना चाहिये कि किस केस में जमानत ली जाय किस में नहीं ली जाय।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): How does it relate with it ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): It is an aspersion on the Court, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: You will please not discuss which is subjudice.

श्री रामकरणसिंह: जो माननीय सदस्य ने मांग की है उस प्रकार का अधिकार दिया जाता है तो इस प्रकार के कातिल को बाकायदा कस्टडी में रखा जायगा....

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रकार में वह प्रकार नहीं आता है This is a question of judicial Act that he has been enlarged on bail.

श्री रामकरणसिंह: तो इस तरह मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है वह बिल्कुल उचित है और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि लोकतन्त्र में यह बिल्कुल उपयुक्त है।

तो प्रस्ताव में इस प्रकार के अधिकार देने की बात है उसका समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि उस प्रस्ताव को और मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार करें।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बोलने खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है, उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। पहली स्थिति इससे जो निकलती है वह

Page No 79

(श्री ज्वालाप्रसाद)

यह है कि हम बहुत बुरी तरह से प्रचार में लगे हुए हैं कि राजस्थान में हमारी सर्विसेज काम कर रही हैं उनमें अविश्वास की धारणा फैल जाय और इसकी वजह से जो सारे राजस्थान को खतरा पैदा होगा उससे सदन को बराबर जानकारी रखनी चाहिये। आज जो अपनी अपनी जगह पर शान्ति और व्यवस्था को कायम किये हुए हैं राजस्थान के लिये उनके बारे में बड़े हल्केपन से चर्चाएं होती हैं, उन पर अटेक किया जाता है, इस सब के लिये मैं अपनी कमजोर आवाज यहां ऊंची करना चाहता हूं। आज जिस तरफ से देखिये इस तरह से लाखों केसेज में जहां व्यवस्था को रखने के लिए सारे राजस्थान में पुलिस कार्य कर रही है उसके लिये एक लफ्ज भी अच्छा या शाबासी का कहनेवाला नहीं मिलता। जिधर से भ. आवाज आती है साल भर में लाखों केसेज होते हैं उनमें से एक दो केस को लेकर बातें की जाती हैं, बिना पूरी जानकारी के उनकी चर्चाएं यहां चलती हैं। इससे जो यहां दर्शक की हैसियत से मूक बैठे रहते हैं, जिन बेचारों को बोलने का अधिकार नहीं उनका नाम लेकर इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे उनके अन्दर एक अजीब तरह की हिचक पैदा हो रही है। आम जनता को जिस तरह का डर पैदा हो रहा है उससे भी हमें अवगत होना चाहिये। जहां तक सदन का ताल्लुक है मन्त्री महोदय सभी कार्यवाहियों के लिये, जहां तक हमारी नियमावली बनी हुई है उनको देखें तो उन पर निगाह रखने के कारण वे अधिकारी हैं न कि अधिकार मिल गये हैं सारे सदस्यों को सारी सर्विसेज पर, पुलिस पर। मिनिस्टर से तो डर लगता है लोबी में बात होती है तो खुशामद से होती है यह उनकी आंखों के सामने मिनिस्टर को कहने की जुरत नही रहती, कहा जाता है उनके नौकरों की ओर मुस्कराया जाता है। दो मकसद रहते हैं इसके पीछे एक तो यह कि हम आवें तो पुलिसवाले, सर्विसेजवाले हमको भी मिनिस्टर मानें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): यह डाईरेक्ट आरोप है माननीय सदस्य पर।

श्री ज्वालाप्रसाद: आप पर नहीं कह रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास: अभी कहा गया कि हंसते हैं और बातें करते हैं तो इस तरह से सदस्यों के ऊपर सीधा अटेक करना ठीक नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद: मैं चोर की डाढ़ी में तिनका की बात नहीं करता। मैं आंखों से देख रहा था कि उनकी तरफ देख देख कर मुस्करा रहे थे।

श्री मुरलीधर व्यास: किसी एक सदस्य का नाम ले सकते हैं सारे सदस्यों को नहीं कह सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद: सारे सदस्यों को नहीं आपको जानता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास: किसी को जानते हैं तो कहने की हिम्मत रखिये, किसी को गुमराह मत करिये।

श्री ज्वालाप्रसाद: मेरा सभी सदस्यों से मतलब नहीं, कुछ सदस्यों से है। मैं ऐसा

(श्री ज्वालाप्रसाद)

महसूस करता हूँ कि आज सर्विस क्लासेज के लिये विशेष कर पुलिस के लिये जो सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान का सिर ऊंचा करती है, छाती तान कर मेडल्स लेती है, डकुओं से मुकाबला करके जान पर खेलती है, उसके लिये एक भी लफ्ज तारीफ का इस सदन में नहीं कहते, यह बड़े शान्ति और सुव्यवस्था के लिए, बंदूक की गोली चलती है तो घरों में घुसती हुई जनता ने देखी होगी। पर ये लोग डाकुओं से मुकाबला करने के लिये जंगल जंगल घूमते हैं और जान पर खेल कर डाकुओं से मुकाबला करते हैं उनके लिए एक भी लफ्ज तारीफ का नहीं, यह कैसी बात है। रहम करो, खुदा के वास्ते, उनके लिए इस तरह के अहमाल पैदा न करें, इस तरह का रिवोल्यूशन पैदा न करें।

३ म० प०

जिससे सारे राजस्थान में हीन वृत्ति का प्रचार होगा और इससे जनता और सर्विसेज़के बीच में इस तरह की चीज़ पैदा करेंगे जिनसे पब्लिक का विश्वास सर्विस क्लास में न रहे। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह स्थिति विशेषतौर से राजस्थान में खतरनाक होगी।

इसके साथ साथ मैं यह भी नहीं कहता कि अगर कोई कसूर होता है तो उसको रियायत हो और उसकी जांच न होनी चाहिये। इसके लिए पूरी पूरी जांच होनी चाहिये। इसके लिए कमीशन कायम करना चाहिये. मैं माननीय मन्त्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि अगर कोई शिकायत पुलिस के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की आपके पास माननीय सदस्य के ज़रिये आवे या आपको सूचना पहुँचे तो उसकी जांच तुरन्त होनी चाहिये और वह जांच इस तरह से होनी चाहिये कि जिससे उस माननीय सदस्य को संतोष हो। इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिये कि जिससे माननीय सदस्य यह मानें कि कोई कार्यवाही नहीं होगी और न कोई जांच और सुनवाई होगी। इस तरह से जो माननीय सदस्यों में अविश्वास फैला हुआ है उसको दूर करना चाहिये। हमारे माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना है कि जो कुछ वे कहेंगे और माननीय मंत्री महोदय को बतावेंगे उसकी पूरी तरह से जांच होगी। पूरे स्टेटमेंट के साथ उनको संतोष कराना है। मगर माननीय सदस्यों को भी यह चाहिये कि वे किसी तरह से किसी भी सब-इन्सपेक्टर या किसी दूसरे पुलिस कर्मचारी से किसी तरह का एप्रोच न करें। अगर उनको किसी भी बात के लिए एप्रोच करना है तो उनको चाहिये कि वे सही तरीके से एप्रोच करें। हमने मिनिस्टरों को बनाया है। हमने पुलिस-वालों को नहीं बनाया है। ये सर्विस क्लास के लोग हैं। इनको किसी से किसी प्रकार का मतलब नहीं है। मैं यह भी मानता हूँ कि यह समझा जावे कि यहां पर कांग्रेस सरकार का नियंत्रण है लेकिन सर्विसवाले किसी पार्टी के लोग नहीं होते हैं। कभी इस प्रकार का दिन ईश्वर न दिखावे। अगर हो तो जनसंघ भी पॉवर में आ जावे। वे उनकी सर्विसेज़ में आवेंगे। मैं यह कहूंगा कि आप इस प्रकार की कार्यवाही करके सर्विस क्लास के पैर काट रहे हैं और मैं यह कहूंगा कि आप उनके पैर न काटें। हमें ऐसा करना चाहिये कि सर्विसेज इन्डिपेन्डेन्ट अपना काम कर सकें। अब आप कांग्रेस की बात कहते हैं। कांग्रेस ने बहुत चीजें पैदा कीं। आज कांग्रेस ने अंग्रेजों को यहां से हटाया और अंग्रेजों को हटा। मैं

(श्री ज्वालाप्रसाद)

जिन चीज़ों का उपयोग किया वही आज जन-संघ वाले काम में ले रहे हैं। वे नहीं समझते कि देश की जनता अपना प्रतिनिधि यहां पर भेजती है वे इन....

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : आपके साथ वही बर्ताव होगा जो....

श्री उपाध्यक्ष: Order, Order Please.

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं यह अर्ज कर रहा था कि ऐसा होना चाहिये जिससे सर्विसेज़ में विश्वास पैदा हो पब्लिक को और पब्लिक का विश्वास हो सर्विसेज़ में। कुछ ब्लेक शीप्स होती हैं और मैं समझता हूँ कि वे सभी जगह हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस में हो सकती हैं, जन संघ में हो सकती हैं, किसी जाति में हो सकती हैं, किसी बिरादरी में हो सकती हैं, सर्विसेज में हो सकती है। क्योंकि हमारे पास थर्मामीटर तो है नहीं जिससे नाप सकें कि कितने लोग सर्विसेज़वाले अच्छे हैं और कितने बुरे, कितने एम.एल.ए. ऐसे हैं जिनको थर्मामीटर से देख सकें कि जिससे उनकी ईमानदारी का भास होता है। इन सबके साथ वे भी न्याय के अधिकारी हैं। इस तरह से जितने भी सर्विसेज के लोग हैं चाहे वे पुलिस के हों, चाहें किसी दूसरी जगह के आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि कौन कैसा है। यदि इस प्रकार का अधिकार एम.एल.ए. को दे देते हैं तो मान लें कि जनसंघ के एम. एल.ए. और सरपंच हैं वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का और पंच कोई दूसरी पार्टी का है तो मैं यह कहूंगा कि जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टीवाले दोनों वहां जाकर हंगामा करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कांग्रेस वाले एम एल. ए. को साथ ले लें तो फिर हंगामा नहीं होगा ?

श्री ज्वालाप्रसाद : हंगामा करेंगे और..

श्री मदनसिंह : आपकी तो दृष्टि दिव्य है ....

श्री ज्वालाप्रसाद : दिव्य दृष्टि के लिए मैं यह कहूंगा कि कलियुग के राजऋषि ऐसी दृष्टि रखते हों, ऐसी बात नहीं है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमें हमारी हुकूमत और उसके कर्मचारियों में जनता का विश्वास पैदा करना है। मगर यह एक इस प्रकार की बात है कि किसी के नाक पर आकर एक मक्खी बैठी। उसने उस मक्खी से कहा कि मक्खी उड जा। मगर मक्खी तो फिर उड कर उसी नाक पर आकर बैठी। उसने मक्खी से कहा क्या तू अपनी जगह नहीं छोड़ेगी ? मक्खी ने जगह नहीं छोड़ी। उसने चाकू हाथ में लिया। मगर फिर भी मक्खी वहीं पर नाक पर बैठी। उसने चाकू मारा और नतीजा यह हुआ कि उसकी नाक कट गई। इसी तरह से आप सर्विसेज़ पर ऐसा करके नुकसान करना चाहते हैं। और उसका नुकसान करना चाहते हैं जिस पर देश की व्यवस्था कायम है। आपको चाहिये कि अगर कोई शिकायत हो तो आप मिनिस्टरों से कहिये। आपकी मिनिस्टरों से कहने की हिम्मत होनी चाहिये मगर आपकी हिम्मत नहीं होती। कितने ही सदस्य हुकूमत के सामने खड़े हैं क्यों ? समझ में आ सकता है क्यों ? नहीं समझ में आ सकता है तो

(अश्रव्य)

(हंसी)

श्री मदनसिंह (अश्रव्य) :

श्री ज्वालाप्रसाद : तो मैं यह कह रहा था कि तबके की बात कर लेंगे । कई दफे छातियों के सामने निकल चुके हैं और इसी तरह से चलते रहेंगे जहां तक पब्लिक का विश्वास हमें प्राप्त है । वे दिन गये । तो इस तरह से मैं यह कहता हूं कि अगर इस तरह से करेंगे तो क्योस क्रियेट होगा । पब्लिक में आज आपकी तरफ कोई देखनेवाला नहीं मिलता । पब्लिक में कहते हैं कि हम इस तरह का प्रस्ताव लाकर विचार पैदा करने की .

श्री मदनसिंह : On a point of Order Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please.

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से एक सदस्य पर इस प्रकार का लांछन लगाना कि जनता देखना नहीं चाहती, ये कितने अप-शब्द हैं । यह पार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, यह कि 'जनता देखना नहीं चाहती' जनता क्यों नहीं देखना चाहती ? क्या जनता के चोर हो गये हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद : दोनों के देखने का अन्तर है । आप मुझे बार बार डिस्टर्ब न करें ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, please resume your seat. You will not enter into direct conversation please.

श्री मदनसिंह : यहीं नहीं जगह जगह करूंगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद : तो इस तरह हालां कि इस पर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ हुआ है और हमको मौका दिया गया है कि हम अपने विचार प्रकट करें । मगर माननीय सदस्य जैक इन दी बॉक्स की तरह उटते बैठते हैं । मैं, उपाध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरी इस मामले में रक्षा करें ।

श्री मदनसिंह : अगर मेरे लिये...

श्री ज्वालाप्रसाद : एक खिलौना आपने देखा होगा जिसको बक्स में रखा जाता है और जिस समय बॉक्स को खोलते हैं तो वह उछलता है ।

श्री मदनसिंह : ऐसे दवा बांटनेवाले मैंने बहुत देखे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Please resume your seat.

श्री ज्वालाप्रसाद : एक दवा बांटनेवाला इन्होंने मेरे पास भी भेजा था । मैं अर्ज कर रहा था कि सदन में जो यह प्रस्ताव रखा है इसको रिजेक्ट करके सदन को पूरी ताकत से यह बता देना चाहिये कि पब्लिक का सर्विसेज़ में विश्वास है और सर्विसेज़ का पब्लिक में विश्वास है और जो सरकार कार्य चला रही है उस में विश्वास है और सरकार का पब्लिक में विश्वास है । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि किसी भी सदस्य को जो किसी मामले में शिकायत करता है उसके लिये यह तय हो जाना चाहिये और एक परम्परा हो जानी चाहिये कि उसके लिये इतनी चीजें लिख कर दे दी जानी चाहिये । आज हम करप्शन की बात हवा में ही करते हैं । मगर हमें चाहिये कि जहां पर हम करप्शन पर विचार करें वहां

Page No 83

(श्री ज्वालाप्रसाद)

जिस व्यक्ति ने उसके लिये शिकायत की है उसे चाहिये कि वह कॉन्फीडेन्शियल ढंग से सारी बातों को लिख कर दे जिससे उसके खिलाफ मिनिमम प्राइमाफेसी केस बन जावे। और ये सारी चीजें माननीय सदस्य को मिनिस्टर महोदय को जो सम्बन्धित हों उन्हें देनी चाहिये । मिनिस्टर कन्सर्न्ड को चाहिये कि उसको चेज करके तीन दिन में उसका जवाब सदस्य को दें। पार्लियामेंट में तीन घंटों में इसका जवाब दिया जाता है । इसमें हुकूमत को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये कि किसने किस प्रकार गलती की है उसको सजा दी जावे। सजा देने के लिये सरकार को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होना चाहिये। जिसने गलती की है उसको जरूर सजा देनी चाहिये । उससे आत्म विश्वास जनता का भी बनेगा, सर्विसेज का भी बनेगा। हम जाकर कहें कोतवाली में। जैसे कोतवाली में चले जा रहे हैं लेफ्ट राइट करते हुए। यह क्या तरीका है ? कैसे कोतवाली चलेगी ?

श्री मदनसिंह : कोतवाली में जाना नहीं तो पान की दूकान पर बैठना ...

श्री ज्वालाप्रसाद : आप पान की कहते हैं....

श्री गोकुलचन्द (लक्ष्मणगढ़) : इधर क्या हाथ करते हैं आप बार बार...

श्री ज्वालाप्रसाद : इधर भी हाथ करूंगा, उधर भी हाथ करूंगा और पूरा ही हाथ करूंगा।

(हंसी)

तो मेरी तो यह अर्ज थी कि इन सारी चीजों पर काबू पाना चाहते हैं और स्टेन्डर्ड कायम करना चाहते हैं तो मिनिस्टर भी इस पोजिशन में हों कि जो जांच कर सकें, जवाब दे सके। इतनी चीजें मोहैया हों तो सच्चाई की चीज़ आ सकती है।

मैं एक और मिसाल देकर खत्म करूंगा। यह विकृत दृष्टिकोण है। दो बहरे आदमी थे। दोनों ऐसी २ आंखवाले थे। चलते चलते दोनों ही आपस में भिड़ गये। एक ने कहा चलता तो उधर है और देखता इधर है तो दूसरे ने कहा कि चलता तो इधर है और देखता उधर है। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि जिधर देखो उधर ही चलो तो कभी न लड़ो। खुशी से चलो। इसलिए इसको विकृत दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये।

श्री मदनसिंह : नर्सिंग-होम में बच्चों के खस्सी की तरह न हो जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद : कमरे++++++++ ++++++

श्री मदनसिंह : असेम्बली हाउस के ++++ तो हो जाय।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर प्लीज़ !! ऑर्डर प्लीज़ !!!

श्री ज्वालाप्रसाद : कहीं भी++++++

++++++अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के शब्द माननीय सदस्य वापिस ले लें तो अच्छा है। मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि जो उन्होंने ये शब्द कहे हैं कि,XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX वे उनको वापिस लें क्योंकि उनको पार्लियामेन्ट का एक्स्पीरियेन्स है।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं बिल्कुल तैयार हूं भैरोंसिंहजी ने जो बातें कहीं उनके लिए। लेकिन उनकी तरफ से प्रोवोकेशन हुआ है। वे भी विड्रो करें।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के वर्ड्स चाहे इधर से कहे गये हों चाहे उधर से कहे गये हों प्रोसिडिंग्स में नहीं आने चाहिये और यदि रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वापिस लेने चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष : मै दोनों माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दोनों ही अपने शब्द वापिस लें।

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मै अपने शब्द वापिस लेता हूं।

श्री मदनसिंह : मैं भी अपने शब्द वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था देता हूं कि इन शब्दों को प्रोसिडिंग्स से एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद : तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारी परम्परायें ऐसी नहीं होनी चाहिये कि पुलिस सर्विसेज पर हमला करें। नामों का डिस्कशन करें बल्कि कन्सर्न्ड मिनिस्टर से कहना चाहिये कि तेरे यहां ऑफिशियल्स ऐसा करते हैं बशर्ते कि वह ईस तरह की बात करें, इस कन्वेन्शन को निभाना चाहिये। यह रिजोल्यूशन केयास पैदा करनेवाला है, कानून और डेमोक्रेसी का हनन करने वाला है, सत्यता को कायम रखनेवाला नहीं है और व्यवस्था को बिगाड़ने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

श्री शिवचरण दास : (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ से आने-वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था तब कुछ माननीय सदस्यों की ओर से आपत्तियां उठाई गई थी। उस वक्त उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि या तो इन माननीय सदस्यों ने किसी विचारधारा से आपत्ति उठाई है, चाहे कानूनी हो या दूसरी लेकिन मैं यह समझता हूं कि इन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव की भावना को समझने का ही प्रयत्न नहीं किया है। जहां तक प्रस्ताव की भावना का प्रश्न आता है, मैं समझता हूं, कि यह बिल्कुल प्रजातान्त्रिक ढंग से सच और स्वच्छ विचारों के साथ सदन में आया है। जैसा उन्होंने बोलते हुए अपने विचार बताये कि मैंने तो केवल इसी विचारधारा को लेकर यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है कि हमारे शासन की शक्ति का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण हो और जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का विशेष आवश्यक प्रश्न भी है जिसको सरकार चाहती

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री शिवचरणदास)

भी है और कहती भी हैं प्रजातन्त्रीय शासन का यह एक रिवाज भी है कि शासन शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता उपाध्यक्ष महोदय, कि फिर हमें इतनी क्यों आपत्ति इसको पारित करने में हो और जब हमने हमारे इस जनतन्त्र-वाद में इस प्रस्ताव में बतायी गई भावना को माना है, उसमें उन व्यक्तियों को अधिकार देने का प्रश्न है जिनको जनता ने प्रतिनिधि बनाया है ? एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में कन्सर्न्ड मिनिस्टर से जाकर विचार प्रकट करें, उनको शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं । बेशक यह उनका एक सुझाव हो सकता है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज जो पुलिस की ओर से रवैया है वह अनुचित है, अभद्र है, अवैध है, इस प्रकार का व्यवहार प्रत्येक नागरिक के साथ हो गया है उसको रोकने के लिए उसी भावना से माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है । छोटे २ मामले मिनिस्टर साहब के पास लाने से न तो उनको इतना अवकाश होगा और फिर जांच के लिए सम्बन्धित अधिकारी के पास भेजेंगे और उसी की अगर शिकायत होगी तो सही ढंग से चीज़ नहीं आ सकेगी । इसी भावना को लेकर माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है और उसके समर्थन में मैं अपने विचार प्रकट करूंगा । इससे पूर्व कि इस पर प्रकाश डालूं मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक कहानी कह कर कि जैसे मक्खी नाक पर बैठी तो उसने नाक को ही काट कर साफ़ कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझा कि उन्होंने किस विचारधारा से कहानी प्रस्तुत की । मुझे याद है कि सन् ५७ में जब चुनावों के बाद सदन की पहली बैठक हुई थी तब उन माननीय सदस्य और दूसरी जगह से आने वाले माननीय सदस्य के बीच खुल्लम-खुल्ला और गरमागरम बहस हुई थी और एक गरमागरम वातावरण हुआ था उस वक्त जिक्र आया उस वक्त इसलिए विश्वास कर लिया, मैं मानता हूं बात को सुन कर उत्तर दिया जाता, लेकिन उनकी ओर से स्पष्टीकरण न दिया जाना प्रकट करता है कि उस बात मे कोई सत्यता है अवश्य । वहां कहा गया था शराब पीकर....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य पहले वाले किसी वक्तव्य या किसी भाषण का ज़िक्र न करें ।

श्री शिवचरणदास: उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसका ज़िक्र इसलिये कर रहा हूं कि इस पुलिस....

श्री उपाध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मैं समझता हूं आज जो उन्होंने इसका विरोध किया वह शायद यह बात जानकर कि वह जेर पेन्डिंग मामला है या भय खाकर विरोध किया हो । मैं तो समझता हूं इसकी कोई गुंजाइश नहीं प्रजातंत्र के अन्दर कोई भी नागरिक इस प्रकार का प्रस्ताव लाये और जिस भावना से लाया गया है उसका विरोध करें । अब मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहूँगा पहले इसकी भाषा आपके सामने निवेदन कर दूं 'इस सदन की

(श्री शिवचरणदास)

समिति है कि सदस्य विधान सभा, तहसील पंचायतों व ग्राम पंचायतों के सरपंचों को यह अधिकार दिया जाये कि जनता की शिकायत पर पुलिस कस्टडी में रहने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण कर सकें।' पुलिस की इस बात की जांच नहीं कि उनमें कितना भ्रष्टाचार है जिसकी रात दिन हम चर्चा सुनते हैं उसकी जांच के लिये नहीं, बल्कि पुलिस की कस्टडी के अन्दर जो व्यक्ति होता है उनका निरीक्षण करने के लिए ये सदस्य जा सके ऐसी भावना इस प्रस्ताव की है। अब मैं आपके सामने उन बातों का निवेदन करूंगा जिसके कारण पुलिस कस्टडी के अन्दर साधारण नागरिक के साथ पुलिस किस प्रकार का अभद्र अनैतिक और अवैध व्यवहार करती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सदन मे कई बातें पहले भी कही गई हैं उनमें से खास तौर से हमारे इस विधान सभा के सदस्य मेजर फतहसिंह जी के साथ जो वर्ताव पुलिस कस्टडी के अन्दर हुआ उसका कई बार ज़िक्र हुआ उसके बारे में कई प्रस्ताव भी सामने आये हैं मैं उनका दुबारा जिक्र करना नही चाहता।

इसके अलावा सीकर से आने वाले माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रसाद जी के साथ जो अनैतिक व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया उसकी भी कोई जांच नहीं हुई।

श्री हरिदेव जोशी (घाटौल) : क्या अनैतिक व्यवहार हुआ स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : उनका मतलब क्रूर व्यवहार से है।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय मैं तो यह समझता हूं जो अभद्र और अवैध व्यवहार होता है उनको मैं तो अनैतिक मानता हूं। मैं तो समझता हूं कि जिस पुलिस में नैतिकता नहीं रही, जिस पुलिस का नैतिक पतन हो चुका है, वैसी हालत में जो अभद्र और अवैध व्यवहार उनकी तरफ़ से होता है उसको मैं अनैतिक ही मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने विश्वास दिलाया था वे इसकी जांच करेंगे और एक्शन लेंगे। लेकिन आज दिन तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब इस प्रकार से यहां वादा करके भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती कि जगदीशप्रसादजी के साथ कैसा व्यवहार पुलिस कस्टडी में किया गया। इसी के कारण इस प्रकार सुझाव रखा गया है कि अभद्र व्यवहार से बचाने के लिए इस किस्म का प्रस्ताव लाया गया है, पुलिस को अभद्र व्यवहार करने का मौका नहीं मिले इस को रोकने के लिए यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, रायपुर में एक मांगीलाल अहलमद का पुत्र इन्टर में पढ़ता था, वह वहां छुट्टी पर आया। पुलिस ने जब कि वह घूमने गया हुआ था वहां के हैड कान्स्टेबल ने उसको पकड़ा और पकड़ कर गगांपुर की मजिस्ट्रेटी के अन्दर जो वहां से ३२ मील पड़ता है उसको चलती हुई बस में बैठाकर गगांपुर ले जाया गया और २४ घंटे उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया।

इसी तरह से एक थाना करेड़ा के अन्दर विजयसिंह राजपूत हैं जिसको बहादुर सिंह थानेदार ने जो देवगढ़ थाने का सब इन्पेक्टर है उन पर केस लगाते हैं वह बड़ा

(श्री शिवचरणदास)

रोचक केस है। उनको यह कहा गया कि तुम्हारा बाप भैंसों की चोरी करता था उनकी की हुई चोरियां आप बताओ नहीं तो तुम्हारा चालान किया जायगा। इस तरह से उसको अरेस्ट किया जाता है अन्त में वह वहां से चला आता है और अपने घर से रुपये निकाल कर ले जाता है और उस थानेदार को देता है इसके गवाह भी मौजूद हैं। इस तरह से रिश्वत लेने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय हजरिया गूजर है उससे भी ५२५ रुपया लिया जाता है। उससे यह कहा गया कि तुम्हारा बाप चोरियां करता था, उसकी चोरियां बताओ। इस तरह से अनेकों किस्से हैं उपाध्यक्ष महोदय, कोई शिकायत लिखकर के देता है तो उसके सामने भी कई आपत्तियां आती हैं। एक तो रिश्वत का साबित करना ही बड़ा मुश्किल काम है। माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं जो एडवोकेट हैं वे भी जानते हैं जब रिश्वत के साबित करने का प्रश्न आता है, बड़ी कठिन समस्या है उसको साबित नहीं कर सकते। देहाती आदमी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना और उस व्यवहार को प्रमाणित करना उसके लिये तो बिल्कुल असंभव हो जाता है। आज उसकी आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर है उसके पास खाने तक के लिए अनाज नहीं खर्च करने को पैसा नहीं तो वैसी हालत में वह किस प्रकार वकील कर सकता है और किस प्रकार मन्त्री महोदय तक पहुंच सकता है यह उसके लिए असंभव सी चीज़ है। उन चीज़ों को ठीक और सही ढंग से जानकारी मिल सके इसीलिये माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है।

इस संबन्ध में मैं यह भी अर्ज करूं एक प्रश्न १२ मार्च को जिसकी क्रम संख्या ४६२ है अर्जनदास जी एम० एल० ए० की तरफ से पूछा गया था वह था सब डिवीज़न राजसमन्द के एक गांव का किस्सा है वहां के एक पीरुजी नागरिक हैं जिन पर धारा ३०२ का केस लगाया गया और वह केस पुलिस की तरफ से साबित भी किया गया। उसके सबूत में खून से भरी हुई छुरी और खून से रंगे हुए कपड़े भी बताये गये और फर्ज़ी शहादत भी बनायी गई और उसके इकबाली बयानात भी मजिस्ट्रेट के सामने कराये गये। लेकिन उसके कुछ अर्से के बाद सही मुलजिम गिरफ्तार होता है फिर उसका चालान किया जाता है। मैं सदन को यह बताकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव की जो भावना है आपको उस भावना को देखना चाहिये। केवल नज़ीरें देने से उसके खंडन मंडन करने के तो रास्ते हैं। यह ठीक है कि आप भी उसमें कम नहीं उतरेंगे तो विरोधी पक्ष भी इस मायने में कम नहीं उतरेगा। सदन के सामने जो प्रस्ताव है आपको उसकी भावना की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसी भावना को ध्यान में रखकर ही आप इस बात को सोचें। उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि बत्री गांव के पीरुजी नागरिक को जबरदस्ती उस केस में फंसाया गया। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं जिस समय उन पर केस लागू किया गया उस समय खून-लदी कपड़े खूनलदी छुरी कहां से लायी गई और फर्ज़ी शहादतें किस प्रकार से बनायी गई यह ठीक है कि उस शख्श ने मजिस्ट्रेट के सामने उसको इकबाल किया वह किस कारण से किया यह स्पष्ट है। जब पुलिस ने उस

(श्री शिवचरणदास)

व्यक्ति को पकड़ा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया होगा, अवैध व्यवहार किया गया होगा इसी कारण उसको इकबाली बयान देने पड़े हालांकि जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया उस समय मजिस्ट्रेट ने उसको कहा आप इस वक्त पुलिस कस्टडी में नहीं हैं आप जो भी कुछ बात है सही बात कहिये। इतने आश्वासन के बाद भी उन्होंने इकबाली बयान दिये। इसका मतलब साफ है कि पुलिस कस्टडी में उनको कितना पीटा गया होगा जिसके कारण एक बेगुनाह व्यक्ति गुनाह नहीं करते हुए भी गुनाह को कबूल किया। इन पुलिस वालों के अत्याचारों को बन्द करने के लिये ही उसी भावना को लेकर ही यह प्रस्ताव रखा गया है।

कहने को तो बहुत सी बातें हैं देवरिया गांव में दुःख के साथ कहना पड़ता है मुझे पता नहीं हमारे होम मिनिस्टर साहब बहरे हैं या उनका विभाग बहरा है हमारी सरकार बहरी या गूंगी है कि एक एक बात को पचासों बार कहने पर भी उन पर उसका असर नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, थाना रायपुर डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा के अन्दर देवरिया के हैड कान्स्टेबल ने रायपुर के एक विद्यार्थी को जब वह घर पर आता है तो उसको गिरफ्तार करते हैं और देवरिया थाने के अन्दर उसके साथ अप्राकृतिक व्यभिचार किया जाता है इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है इस राजस्थान सरकार के लिये। उसके साथ एक बार नहीं पचासों बार उसके साथ व्यवहार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यही एक किस्सा नहीं पचासों किस्से ऐसे हैं जिनको बताया जा सकता है उन्हीं बातों की जानकारी मिले सके इसी भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल के एक माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया। मैं उनकी बात कहना नहीं चाहता सन् ५७ के अन्दर माननीय सदस्य ने छात्रावास में जो कार्य किया उस बात को मैं यहां लाना नहीं चाहता मैं उस बात को नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा आप घबरावें नहीं। पर ये चीजें सदन में आती हैं तो यह शर्म की चीजें हैं इस सदन के लिये, इस देश के लिए और हमारे प्रान्त के लिये और मैं तो यह समझता हूँ कि माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय को यहां से+++ बजाय इसके कि वे यहां बैठे बैठे सुनें।

(कई सदस्यों द्वारा शोर करने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ आर्डर। मैंने कई बार निवेदन किया है माननीय सदस्यों से और आप से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी भाषा जो अप्रासांगिक हो, जो अन्-पार्लियामेन्टरी हो उसका उपयोग किया जाना उचित नहीं है।

श्री पुरुषोत्तलाल (किशनगढ़) : ये शब्द भी निकाल दिये जावें कि++

श्री उपाध्यक्ष : हां एक्सपन्ज कर दिये जावें।

श्री शिवचरणदास : पर सदन से मैं पूछ लेना चाहता हूं कि बार बार हमारे सामने ऐसी चीजें आती हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो आखिर यह

+अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री शिवचरणदास)

है क्या बात ? यह संसदीय भाषा नहीं, इसके लिये क्षमा चाहता हूं। आपकी आज्ञा से उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मेरी आत्मा नहीं मानती पर अनुशासन के नाते मानता हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करके मैं अपने इन शब्दों को भी वापिस ले सकता हूं पर साथ ही पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे पर इतना अनुशासन रक्खा जाता है पर इनकी कार्य-वाहियां पर अनुशासन नहीं। मैं माननीय सदस्यों से पूछता हूँ ये सारे कार्य कैसे कर रहे हैं, ये सारे कारनामे कैसे हो रहे हैं।

इसी तरह सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ ही अर्से पहले नज़ीर पेश की थी। आज पुलिस के सारे अधिकारियों से नहीं, सारे ही कर्मचारियों से नहीं पर विशेष अधिकारी विशेष कर्मचारी ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपके पास कौनसा ऐसा सुगम ज़रिया है जिससे इन सारी बातों को आप सुगम ढंग से दूर कर सकते हैं। आप राय दें। पर सिवाय खंडन के आप कुछ नहीं करते। मैं जानता हूं आप समझ रहे हैं आप बहुमत के बल पर यहां बैठे हैं। पर यह स्वप्न में भी ख्याल मत करो कि यह शास्वत है। यह प्रजातंत्र है। इसके अन्दर जैसे आपने स्वयं ने कबूल किया था वैसे हो सकता है जनसंघ का या और किसी पार्टी का शासन हो, उस वक्त आप क्या करेंगे ? मैं कह देना चाहता हूं, जोरदार शब्दों में कह देना चाहता हूं, कि यह जो लोग आज गन्दे वातावरण में, गन्दी राजनीति में शासन को चलाना चाहते हैं, यह पार्टी उसको मिटाने वाली हैं। जिस तरह आप इन कारनामों से बदनाम हो गये हो वैसे हम चाहते हैं कि हमें इन कामों के लिये जनता के सामने कलुषित नहीं होना पड़े। नीचा सिर करके ऐसी गलत बातें और अभद्र बातें नहीं सुननी पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये ये सारी चीजें होती हैं।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष चीज़ यह निवेदन कर देना चाहता हूं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं और माननीय मन्त्रीजी को फिर सूचित कर देना चाहता हूं कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का आज पुलिस का महकमा एक तरह का ऐसा गलत और ऐसा गुंडागिरी का महकमा बन गया है कि वहां की सारी बातें मैं कहने बैठूं तो मुझे इस के लिये दो दिन चाहिये। वहां की सारी बातें आपके सामने आई पर क्या किया आपने। वे तो सीधी सी चीजें हैं। वहां कांग्रेसियों का जमघट और अखाड़ा है, गुंडागिरी का अखाडा है। उन के सिर पर वरद हस्त है वहां के एस० पी० का।

श्री जयसिंह राणावत (आसीन्द) : माननीय सदस्य दर्पण में अपना मुंह देखें कि उन्होंने अपने गांव में एक किसान को हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद ज़मीन से बेदखल करने में कम साज़िश नहीं की है।

श्री शिवचरणदास : क्या है क्या नहीं इसका भी निवेदन करूंगा।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया है कि कांग्रेस गुंडा है।

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस शब्द अलग था। दोनों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं था।

Page No 90

श्री भैरोंसिंह : आप दोनों को मिलाने की कोशिश न करें तो अच्छा है।

श्री हरिदेव जोशी : आपके मिलने से मिलेंगे नहीं, अलग ही रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : पर ...

श्री उपाध्यक्ष : Yes, order plese order, yes.

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी कुछ अर्से पहले का किस्सा है कि एक सिन्धी कन्या और उसका भाई जो अजमेर से जा रहे थे रायला स्टेशन पर उतरना था, पर वहां न उतर सके रास्ते में नींद आ गई और वे भीलवाड़ा जाकर उतरे। वेटिंग रूम में वे उतरे। तो कुछ हमारे माननीय एस० पी० के ऐसे भी व्यक्ति हैं कि उन्होंने उनको अरेस्ट किया और एस० पी० के बंगले ले गये। बजाय कोतवाली या थाने ले जाने के वे उन्हें एस० पी० के बंगले ले गये। और वहां भाई को अलग बिठा दिया और कन्या को अन्दर ले जाने को उसके साथ खींचातानी की जाने लगी। वह चिल्लाई, हो हुल्लड किया, उसके भाई ने भी हो हल्ला किया, चिल्लाया आखिर अन्दर नहीं ले जाई जा सकी। और इस बात को बाद में दबा दिया गया। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि वास्तव में यदि सदन अपनी ज़िम्मेदारी के साथ इस बात को बारीकी से सोचे तो हमें ऐसी घटनाओं पर शर्म आनी चाहिये, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिये। पर वे चुप हैं। तो हमें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कुछ करना चाहिये। इसी इरादे से आज हमारी तरफ़ से विरोधी पक्ष की तरफ़ से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमारे एस. पी. तो बड़े कानूनी आदमी हैं, इन्साफ़ी आदमी हैं हर मामले की छान बीन करते हैं पर यह करते हैं उनकी जिनका जिक्र मैंने कट मोशन के वक्त भी किया था। उनकी छानबीन करते हैं कि जो फरार औरतों के मामले होते हैं। उन का उनसे सम्बन्ध नहीं है, आगे ट्रायल होकर जाने चाहिए ये मामले, पर बजाय इसके उन औरतों को डाइरेक्ट बंगले पर बुलाया जाता है और निरीक्षण होता है वहां। तो आज ये बातें और ये हालात हमारी पुलिस की हैं। तो इन सब बातों को मिटाने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

इसी तरह करेडे में एक अबला की हत्या हुई। इसका कट मोशन के वक्त भी जिक्र किया। यदि आज किसी भी वहां के एक जन प्रतिनिधि की बात सुनी जाती तो उसकी हत्या नहीं होती। उसकी हत्या हुई पुलिस के आदमी के लिये। थानेदार का लड़का बीमार है, लोगों ने कहा यह डायन है इसी के कारण बीमार है, इस पर उसको इतना पिटवाया गया, उसको इतना तंग किया गया कि वह तंग आकर कुंए में जाकर गिर पड़ी उसकी जांच के लिए बहुत कहा गया, पर कोई इसकी जांच कराने वाला नहीं, मरने वाला मर गया, कुटुम्ब वाले रोते रोते फिरे पर पूछने वाला कोई नहीं। हमारे दिल इस तरह से दर्द से भरे हुए हैं। उधर उन कारनामा करने वालों को तरक्की देते हैं।

इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा एक थाना फुलिया है। एक साल पहले का किस्सा है।

(श्री शिवचरणदास)

एक व्यक्ति को इसी तरह पीटने से थाने में मृत्यु हो गई। इस केस को भी दबा दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, दीगोद में एक भील की हत्या कर दी गई। इसका कुछ नहीं हुआ। एन्क्वायरी हुई तो पुलिस ने कह दिया डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी हो रही है और बाद में कह दिया कि वह पागल था मर गया। मुझे कहना पड़ेगा, मैं बार बार निवेदन कर देना चाहता हूं कि सारी पुलिस बुरी नहीं, कई कर्मचारी हैं जो ईमानदारी पर रहना पसन्द करते हैं। पर मैं उन भ्रष्टाचारियों पर और उन अत्याचारियों पर आरोप लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं जो इस तरह के कारनामे करते हैं। उस केस को दबा दिया गया। पागल करार दे दिया। जब कि चोरी के सिलसिले में उसे अरेस्ट किया जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर यदि बारीकी से देखें तो इस प्रस्ताव को पास करना जरूरी है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हम बजाय इसके कि विरोधी पक्ष और सत्तारूढ़ दल के पक्ष की भावना से काम लें, इस मामले पर एक साथ मिल कर बड़ी सद्भावना के साथ इस प्रस्ताव को पारित करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव श्री मदनसिंह जी ने रखा है और उसके ऊपर जो भाषण हुए हैं उनको सुन कर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ : क्योंकि दर असल में एक मनोवृत्ति का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है।

हम दर असल में जानते हैं कि इस प्रस्ताव कि मंशा क्या है इस प्रस्ताव के पीछे किस प्रकार की मनोभावना काम कर रही है, क्यों यह प्रस्ताव लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यहां पर कुछ बेग और पार्टी पोलिटिक्स की बातें नहीं कहीं जाती और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की दृष्टि से अगर इस पर चर्चा की जाती तो मुझे जरा भी संकोच नहीं था यह कहने में कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिन में वहां के जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के वे हों, चाहे दूसरे हों, उनकी ओर से ज्यादतियां बरती जाती हैं।

मगर जैसा कि मैं सुन रहा हूं और बाज़-वक्त हमने देखा है कि एक चीज़ को साधन बनाया जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ़ और किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ़, अमुक मिनिस्टर के खिलाफ़ वातावरण बनाने का। हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर कुछ साथी मिलकर के एक प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं और अमुक दृष्टिकोण से बनाना चाहते हैं। क्या प्रेस में वह उस दृष्टीकोण का उपयोग कर रहे हैं, क्या अपने सार्वजनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि विधान सभा का भी उपयोग इसी काम के लिए किया जा रहा है। मुझे अफ़सोस है यह कहते हुए कि जिन बातों की यहां कहने की आवश्यकता नही थी और सदन में उपयोग करने की उनका भी सदन में उपयोग किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान घटनाओं का केन्द्र रहा है। यहां आये दिन हर साल कोई न कोई आन्दोलन होता है और इन आन्दोलनों में आज जो साथी यहां पर हैं और जिन मित्रों ने यह प्रस्ताव रखा है वही आमतौर पर उन आन्दोलनों के अगवा होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, घटनाओं का एक

(श्री हरिदेव जोशी)

क्रम है। कांग्रेस आज शासन में है और वह लोग जो पहले शासन में थे वह आज विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं। मैं शायद भूल नहीं करता तो परिणाम यह है कि उन्हें उन बीते हुए दिनों की याद आती है कि वह किस प्रकार से क्या क्या गरीब जनता के साथ कर गुजरते थे और वह सब अब कांग्रेस के ऊपर डालने और कहने की कोशिश करते हैं। आज से दस वर्ष पहले के पन्द्रह वर्ष पहले के ज़माने को मेरे मित्र लोग याद करते तो उन्हें याद होता कि उन्होंने क्या क्या जनता के ऊपर गुज़ारा है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : मैंने तो ऐसी किया है कि वास्तव में जुल्म किया है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कहावत यह है कि सौ सौ चूहे खायके बिल्ली हज्ज को चली...

श्री मदनसिंह : आप तो हज्ज को भी नहीं जाते।

श्री हरिदेव जोशी : जिन्होंने जनता के बाल उखाड़ दिए और अपने रावलों के समय बाट रख छोड़ी थी खुले आम इस काम के लिए कि वह लोगों के पांव बांध कर उसमें रखेंगे वह आज दुहाई देते हैं कि जनता के ऊपर अन्याय होता है पुलिस अमुक कानून से अन्तर्गत कार्यवाही करती है उसका विरोध किया जाता है। हालत यह होती है कि हम गुनाह करते हैं शहर में १४४ धारा लगी हुई है और हमारे मित्र उस धारा को तोड़ते हैं और जब पुलिस लाठी चार्ज करती है गैर कानूनी मजलों को तोड़ने के लिए तो यह कहा जाता है कि पुलिस हाई हेन्डेडनैस बरतती है। कुछ लोग मिलकर के इस बात का षड़यंत्र करते हैं कि शासन नष्ट भ्रष्ट हो जाये और इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि इस विधान सभा ने जो कानून बनाये हैं उनको अमल में नहीं लाने दिया जाये। जागीर उन्मूलन की कार्यवाही हुई और हमने उपाध्यक्ष महोदय देखा है कि माननीय मित्र ने जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है उन्होंने आज तो वह इस तरफ बैठे हैं लेकिन एक ज़माना था उस समय आपने भूस्वामियों का नेतृत्व करके क्या क्या राजस्थान में करने की कोशिश की और चलती हुई मोटर गाड़ियों को रोका है, बसेज़ को रोका है, अदालतों में घुसने की कोशिश की और राज्य की कार्यवाहियों को रोकने की कोशिश की और जब पुलिस इन कार्यवाहियों को रोकने की कोशिश करती है तो कहा जाता है कि पुलिस ज्यादती करती है। शहर के अन्दर लोगों की बाजार में दुकानें लुटती हैं, लोगों के ऊपर हमला किया जाता है और पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है और जब पुलिस पिटती है तो उसके लिए कोई दुहाई नहीं है और कहा जाता है कि पुलिस की ज्यादती हो रही है। इसका साफ़ मतलब यह है कि इस प्रकार का वातावरण पैदा करने की चेष्टा की जा रही है कि पुलिस में इनएफिशियेन्सी आ गई है। राजस्थान की पुलिस में भी हिन्दुस्तान की आम पुलिस की बुराइयां हैं वह सारी की सारी मौजूद हैं। बहुत मुमकिन है कि एक दो प्रतिशत ऐसी चीज हो जो यहां पर ज्यादा हो लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप एक अमुक नीयत से निश्चित रूप से एक प्रोपेगन्डा जारी करें एक अमुक विभाग के खिलाफ़। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको

(श्री हरिदेव जोशी)

फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि एक निश्चित दृष्टिकोण से लेकर किन्हीं लोगों को नीचे गिराने के लिहाज़ से कुछ मित्र लोग इस सदन का उपयोग कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को जानते हैं या नहीं जानते हैं लेकिन क्योंकि यहां पर सदन के अन्दर किसी बात के कहने से कानूनी कार्यवाही नहीं होती है इसलिए इस सदन का उपयोग कर लिया जाये इस बात के लिए कि यहां यह होता है और वहां यह होता है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मेरे मित्र यहां पर बोले हैं अगर यहां की वरबेटिम रिपोर्ट को लेकर देखा जाये तो मालूम होगा कि उन्होंने क्या कहा है क्योंकि यह सब उन्होंने इसलिए कहा कि यहां सदन में जो कुछ कहा जायेगा उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए भी नामोशी की बात है कि जो कुछ यहां पर कहा जाता है उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिन व्यक्तियों का भी उदाहरण दिया गया है और अगर यह घटनायें हुई हैं तो उन अधिकारियों के साथ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो माननीय सदस्य की सारी बातों को जो उन्होंने कही हैं, उसे सदन के सामने रखा जाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि आप सदन से कुछ बड़े हैं, आप सदन से क्या जवाब लेना चाहते हैं? सदन आपकी या और किसी की कोई गिरवे रखी हुई नहीं है। यह तो एक सामूहिक सम्पत्ति है और उससे आप कहें कि मैं जवाब जानना चाहता हूं। आखिर आप क्या जवाब जानना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे भाषणों के अन्दर जो भी हम यहां दें उनमें डिकोरम होना चाहिए और उसको मेन्टेन किया जाना चाहिए था। मगर क्या तो राज्यपाल महोदय का भाषण हो, क्या बजट की स्पीच हो, चाहे नॉन ऑफिशियल रेज़ोल्यूशन्स हों उन सब के अन्दर एक अमुक प्रकार से दृष्टिकोण रखकर इसका उपयोग किया जाये कि हमें निश्चित रूप से एक प्रचार करना है किसानों के लिए या जनता के लिए तो उससे कोई उपयोग नहीं होने वाला है। यह प्रस्ताव जो है प्रचारात्मक वैल्यू का जरूर है लेकिन यह प्रेक्टिकल नहीं है कि जिससे इस प्रकार की प्रणाली अख्तियार की जा सके। क्या तो हिन्दुस्तान के अन्दर, हिन्दुस्तान के अन्दर भी को राज्य हैं उनके अन्दर सिवाय इसके कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या कानूनी जो दूसरे जरिये हैं उनके जरिये जितने भी साधन उपलब्ध हो सकते हैं वह आज भी उपलब्ध हैं। आज भी जो पुलिस की हिरासत में मुलज़िम हैं उन्हें वकील मिल सकते हैं, दूसरे लोग मिल सकते हैं। एक एम० एल० ए० को आज भी उतनी ही सुविधायें हैं। एम० एल० एज़० उसके अन्दर जा सकते हैं। लेकिन इसको पोलीटिकल शकल देकर और आज के दिन का उपयोग उसके लिए किया जाये तो यह ठीक नहीं है। अगर उनकी यह मन्शा है तो मैं कोई आक्षेप नहीं करता उनकी नीयत पर लेकिन जो कुछ मैंने सुना है और जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कई चीजें ऐसी कहीं जिनको वह नहीं कहते और सदन में उनको नहीं रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। बाकी दूसरी चीजों को देखा जाये तो उपाध्यक्ष महोदय सरकार की बात छोड़ दीजिए मैं उन व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने हाईकोर्ट के फैसलों को अमल में नहीं आने दिया है।

(श्री हरदेव जोशी)

इस सदन ने कानून पास किये हैं उन कानूनों को इसी सदन के सदस्य अमल में नहीं लाने देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां पर कोई कानून पास करें और उनका बाज़ार में विरोध करें तो यह दुनियां में कहीं नहीं मिलेगा। मगर हमारे यहां पर इस प्रकार की परम्परा चली आ रही है कि हां, पक्ष जीता हां, पक्ष जीता करके उसको पास कर देते हैं और बाज़ार में जाकर उसका विरोध करते हैं। इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह जो प्रस्ताव है....

श्री श्रीमानसिंह (बयाना): One thing is not clear. आपने कानून के विरोध को हां पक्ष से कैसे कर दिया, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह कहा है कि एक कानून यहां पर पास कर देते हैं और इसी सदन के सदस्य बाजार में जाकर उसका विरोध करते हैं।

अगर इस सदन की मर्यादाओं का ख्याल है तो इस सदन के सदस्यों के लिए यह लाज़िमी है कि इस सदन की मर्यादा के लिए और हम जो भी कानून यहां पर बहुमत से पास करते हैं और जब तक उस कानून को पास नहीं करते हैं तब तक तो यहां पर विरोध करने का उतना ही अधिकार है और बाहर विरोध करने का भी उतना ही अधिकार है पर जब हम किसी कानून को यहां पर पास कर देते हैं और फिर उसका विरोध जनता में जाकर करते हैं तो यह इस सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है और इस दृष्टि से उपाध्यक्ष महोदय मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम कई बार ऐसी चीजें महसूस करते हैं। ठीक हैं, विरोध करने के लिए हमारे पास हर प्रकार की चीज़ मौजूद है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम जैसी कि इस प्रस्ताव की भाषा है उसके अनुसार अगर हम इसे यह खुली छूट देते हैं कि विधान सभा के सदस्य, तहसील और ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंचों को यह अधिकार दिया जाय कि जनता की शिकायत पर पुलिस कस्टडी में कोई आदमी है तो उससे जाकर पूछे और देखे तो पुलिस जांच नहीं कर सकती है। इस तरह से एक नया एन्क्वायरी ऑफिस अथवा एन्क्वायरी ऑफिसर नये प्रकार के कायम हो जायेंगे। इस सदन के सदस्य वह तो हैं ही ग्राम पंचायतों के और तहसील पंचायतों के पंच और सरपंच भी सारे के सारे नॉन ऑफिशियल एन्क्वायरी आफिसर्स कायम हो जायेंगे, और हर थाने के अन्दर जाकर बैठेंगे और इस बात की जांच करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है। फिर जो हम सर्विस के द्वारा आशा करते हैं कि सर्विसेज़ इन्डिपेन्डेन्ट और इम्पार्शल किसी केस की एन्क्वायरी करें तो वह नामुमकिन हो जाने वाला है, और नीचे रोज़मर्रा हस्तक्षेप होगा। इसलिए यह मुमकिन नहीं है कि इस प्रकार से पुलिस के तहत में एन्क्वायरी है उसके अन्दर कोई नॉन ऑफिशियल किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें। आज हमारे यहां चाहे कितनी ही बुराइयां हैं लेकिन दुनियां के सभी मुल्क मानते हैं कि हिन्दुस्तान में न्याय विभाग है उसके अन्दर शासन की मर्ज़ी के खिलाफ फैसला देने का अधिकार है और वास्तव में कई बार वे वैसा करती भी हैं। आज वर्चस्व सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है और उसके दरवाजे किसी

Page No 95

(श्री हरिदेव जोशी)

भी विक्टिम के लिए खुले हुए हैं । कोई भी शोषित या पीड़ित जो है वह न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकता है । परन्तु जिस बात की शिकायत की जाती है उस बात की शिकायत नहीं है दर असल में कि कानून की तरफ से रिलीफ नहीं मिलता है । शिकायत परेशानी की यह है कि इस चीज़ को पोलिटिकल कलर दिया जाय । इस चीज़ को किस तरह से किया जाय ।

३. ५५ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति, पदासीन)

हमारी अदालतों के दरवाजे, हमारी हाई-कोर्ट के दरवाजे, इस देश की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले हुए हैं । और जो भी पीड़ित है उसके ज़रिये से पीड़ित व्यक्ति उस पीड़न के प्रति न्याय प्राप्त कर सकते हैं, मगर हम यह नहीं चाहते हैं । हम यह चाहते हैं कि जो पीड़ा देने वाले हैं सरकार उनको स्वयं दंड दे और जो कानूनी अधिकार हमें प्राप्त है उन कानूनी अधिकारों का उपयोग नहीं करें । सभापति महोदय, यह एक स्थिति है जिसको पकड़ कर चलना पड़ेगा । आज कानून ने इस बात की सुविधा दी है कि अगर कोई पीड़ित है वह पीड़ित अपना रिलीफ़ प्राप्त करने के लिए उसको जो कानूनी अधिकार प्राप्त हुए हैं उन हकों का उपयोग करें न कि उस चीज़ को टेकल करें जिससे कि एक दूसरे प्रकार का असर पैदा होता है । हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि अमुक कार्य में सरकार हस्तक्षेप करती है । पुलिस के कार्य के अन्दर यह दस्तन्दाज़ी करती है । इसके ऊपर नहीं होता है तो सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं । हस्तक्षेप करके सरकार पीड़ित को रिलीफ़ देती है तो बुरा नहीं मालूम होता है । अपने को जब रिलीफ मिलती है तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा किया सरकार ने लेकिन दूसरे के रिलीफ़ की बात आती है तो पक्षपात हो जाता है । यह खतरा बना हुआ है इस प्रस्ताव के अन्दर । इस प्रकार से खुली छूट दी जायगी, सब लोगों का छूट होगी और सब लोग जाकर पुलिस के अन्दर घसे और जाकर हरेक के लिए देखें कि उसके साथ में क्या हुआ और क्या नाजायज़ बात हुई और क्या बीती । तो इससे पुलिस का काम कुछ होने वाला नहीं है । एक राजनैतिक चीज़ जरूर खड़ी हो जायगी, और न्याय के अन्दर, शासन के अन्दर जो निश्चिन्तता पूर्वक कार्य किये जाने की गुन्जाइश है वह गुन्जाइश नहीं रहने वाली है । इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाय ।

श्री सभापति (कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) : श्री मुरली धर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया है उसके पक्ष और विपक्ष में कुछ दलीलें देकर बहुत सी बातें कही गई हैं । जहां तक प्रस्ताव का सवाल है और उसकी मन्शा का सवाल है वह तो स्पष्ट है और मैं समझता हूँ कि उसको अगर जनतान्त्रिक तरीके से हम देखें तो मैं नहीं समझता कि उसमें ऐसी चीज़ है कि जिसका विरोध किया जाय, और जहां सरकार की

(श्री मुरलीधर व्यास)

खुद की अपने आपकी मन्शा का सवाल है मैं देखता हूं कि ऐसे मामलों के अन्दर सरकार की ओर से कई मामलों के अन्दर ऐसी कमेटियां बनाई जाती हैं। हम देखते हैं कि जेलों के अन्दर में जो रहते हैं उनके लिए और पुलिस की कस्टडी में जो रहते है उनके लिए एक पब्लिक की कमेटी रहती हैं; और वह जाती है और उसको देख सकती है कि वहां के रहने वालों के साथ में क्या अन्याय होता है और क्या नहीं। तो किसी प्रकार जहां तक पुलिस स्टेशन का सवाल है तो यह एक पब्लिक प्लेस है तो एक पब्लिक प्लेस के ऊपर अगर इस प्रकार से कोई आदमी जाय और देखे, और एक पब्लिक के चुने हुए नुमायन्दे को वहां जाने का अधिकार मिल जाय तो आखिर कौनसी दिक्कत खड़ी हो जायगी। एक स्टेशन का सवाल है।

और दूसरी ओर हमें यह भी देखना है कि जो हमारे राजस्थान के अन्दर जो शासन व्यवस्था चल रही है, उस शासनव्यवस्था के अन्दर पुलिस और जनता के बीच में क्या सम्बन्ध है, और पुलिस के अधिकारियों को जो अधिकार दिये गये हैं उनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। अगर सरकार या इस पक्ष और उस पक्ष में बैठने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि जो अधिकार पुलिस को दिये गये हैं। उन अधिकारों का अधिकांश पुलिस कर्मचारी या कुछ कर्मचारी दुरुपयोग करते हैं और उससे नाजायज़ लाभ उठाते हैं तो आखिर उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम कौनसा रास्ता सोच सकते हैं। आज यह स्पष्ट बात हैं कि आप किसी भी गांव में चले जाइये, शहर में चले जाइये और अन्य स्थान में चले जाइये, मैं यह कहता हूं और खुले रूप से कहता हूँ, चाहे कोई माने या न माने, परन्तु मैं कहता हूं कि जो पुलिस के हाथ में अधिकार हैं, पुलिस के हाथ में हवालात के अधिकार दिये गये हैं, हथकड़ी के अधिकार दिये गये हैं और हण्टर के अधिकार दिये गये हैं। इन तीन अधिकारों का हण्टर, हवालात और हथकड़ी का हर आदमी पर बड़ा असर होता है, और इस अधिकार का वे हर प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। इन अधिकारों के बल पर घूस खोरी करते हैं। इसी अधिकार के बल पर अन्याय करते हैं। इसी अधिकार के बल पर किसी के घर घराने के अन्दर घुसकर बेइज्जती करते है। यह कहा जाय कि इसका उपयोग नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि हर मामले के अन्दर होता है। हथकड़ी का ही नहीं एक साधारण विसिल का उसे अधिकार दिया हुआ है। वह उस विसिल का दुरुपयोग करता है। पुलिस को विसिल बजाने की पॉवर दे रखी है तो उसको बजाकर किसी भी मोटर वाले या तांगे वाले का किस प्रकार से चालान करेगा और घूस लेकर छोड़ेगा। एक पॉवर दे रखी है विसिल की उसमें कितनी ताकत है। वह भ्रष्टाचार कर सकता है, बुराई कर सकता है। उसको पॉवर दिये हुए हैं ? उसमें इतनी ताकत है कि वह भ्रष्टाचार कर सकता है, बुराई कर सकता है। उसको पॉवर दिये हुए हैं कि हथकड़ी लेकर जाओ कैसे नहीं आता है। वह हथकड़ी ले कर घर पहुँच सकता है। हथकड़ी लेकर जब वह घर पहुँच जाता है तो आदमी घबराता है कि क्यों लेकर आया है। हथकड़ी के पीछे न जाने क्या क्या भ्रष्टाचार कर सकता है। आज साधारण आदमी की हैसियत क्या है, उसकी इज़्ज़त क्या है और हथकड़ी क्या है ? इसका

(श्री मुरलीधर व्यास)

उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है।

४ म० प०

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पॉवर्स आज पुलिस के हाथ में हैं और ये जो चार पॉवर्स है इन चारों के ज़रिये सारे राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है बुराइयां हो रही हैं और हर गांव से लेकर शहर तक इसका दुरूपयोग होता है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अतिशयोक्ति है। हर आदमी महसूस करता है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि सरकार चाहती है कि ऐसा हो या वह करवा रही है लेकिन जो अधिकार उनके पास हैं उनका दुरूपयोग होता है या नहीं, और यदि होता है तो उसको हटाने के लिये क्या रास्ता है जिससे हम बच सकते हैं। यह जो साधारण अधिकार पंच, सरपंच, एम. एल. ए. या किसी चुनंदा नुमायन्दे को अधिकार मिल जाय तो ठीक बात है। पुलिस कस्टडी में अगर किसी को लिया जाता है उसको पता चल जायगा क्योंकि गांव या कस्बों में जल्दी पता चल जाता है और वह वहां पहुँच जाय और जांच में बैठ जाय या जांच करे कि किस तरह से दुरूपयोग हुआ है। आप में से बहुतेरे यह कहेंगे कि जांच करनेवाला अगर मेल जोलवाला हुआ तो वैसा कर लेगा, उसका दुरूपयोग होगा। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि यदि इसका प्रभाव पड़ेगा तो अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का पड़ेगा और अगर पुलिस वाकई अच्छी है तो वह आदमी क्या प्रभाव डालदेगा और यदि आज पुलिस के हाथ में शक्ति और ताकत है उसके पीछे यदि चुने हुए नुमायन्दे बैठते है जांच करने को, जांच क्या करेंगे क्या नहीं, यह दूसरी बात है, लेकिन यदि वे वस्तुस्थिति को देखते हैं तो पुलिस अपनी पॉवर्स के ज़रिये जो भ्रष्टाचार करती है वह रूक सकता है और आम लोगों के ऊपर, साधारण आदमी के ऊपर, मैं उदाहरण नहीं देता लेकिन मैं मानता हूं कि इन अधिकारों के पीछे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, गांव में गरीब लोग पुलिस की वर्दी से घबराते है उनको डरा धमका कर अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हैं। मैं बीकानेर की दो तीन बातों के बारे में सोचता हूं कि इस प्रकार के यदि अधिकार होते तो यह घटना नहीं घटती। कुछ दिन पहले पुलिस की कस्टोडी में एक कुंभाराम जाट की मौत हो गई

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कौनसे कुंभाराम ?

श्री मुरलीधर व्यास : उस आदमी का नाम कुंभाराम जाट है, पुलिस कस्टेडी में उसकी मौत हो गई, बाज़ार के बीच में थाना था, लोगों को जब इसका पता लगा तो कुछ लोग वहां पहुँचना चाहते थे लेकिन उनको रोक दिया गया। दूसरे दिन सवेरे पता चला कि उसकी मौत हो गई थी। किसी प्रकार से तांगे में डाल कर उस मरे हुए को दबा दबू कर अस्पताल ले गये। यदि किसी आदमी को वहा पर इस तरह का अधिकार होता तो वह जानकारी होते ही वहां पहुँच जाता और वस्तुस्थिति की जानकारी कर लेता, उस समय तक वह आदमी मरा नहीं होता तो पूरी जानकारी कर लेता कि क्या बात थी। लेकिन घटना के बाद पुलिस ने यह बयान दिया कि सीढ़ियें आड़ी टेढी थी अंधेरे में पेशाब करने उतर रहा था कि गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार की एक घटना टोंक जेल में हुई। वहां पर १५, १६ साल के एक नवयुवक की मौत हो गई।

Page No 98

(श्री मुरलीधर व्यास)

जेल अधिकारियों का कहना था कि कहीं से वह कूदा और कूदने से हड्डी टूट गई और इस कारण से उसकी मौत हो गई, यह नहीं कहा कि उसको मारा या नहीं। जब उसकी लाश जलाने के लिए ले गए तो उसके शरीर पर निशान थे। उसको मार पड़ी यह निश्चित बात है डॉक्टर की रिपोर्ट है। इन्दरचन्द सुनार, बीकानेर में मरा उसके लिए भी यही दलील दी। मजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की और यह कह दिया कि इन्दरचन्द का दीवान से सर टकराया उससे हड्डी टूट गई और वह मर गया। इन घटनाओं के पीछे देखने का मौका मिलता। जिस प्रकार इन्दरचन्द सुनार को पुलिस कस्टेडी में मारा पीटा और बाद में अस्पताल ले गये और हथकड़ी में रखा गया, मैं वहां पर पहुँचा और मुझे उससे मिलने की इजाज़त मिलती तो मैं वहां पर पहुँच सकता था था मजिस्ट्रेट को लेकर और अन्य लोगों को लाकर बयान कराता, जब तक वह जिन्दा था उससे पूछ कर पता लगाता लेकिन अधिकार नहीं मिला, मुझे वहां नहीं जाने दिया। चार घंटे बाद उसकी मौत हुई। मजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की और यह निर्णय दिया कि हड्डी टूट गई इसलिये मरा, लेकिन दूसरा पेशेन्ट जो ४६ नंबर पर था उसने कहा कि रात भर यह कहता रहा कि सत्यानाश हो इन पुलिस वालों का जिन्होंने मुझे मार डाला। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यह मंत्रीजी मजिस्ट्रेट के बयान के सहारे भले ही कह दें कि ऐसा नहीं हुआ लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसकी मौत पुलिस कस्टडी में मार पीट से हुई। यदि पब्लिक कमेटी बैठाई जाय तो आप खुद कहेंगे कि यह बात सही है और यदि सही नहीं है तो मैं त्याग पत्र दूंगा वरना आप दें। इस प्रकार की दलील देते हैं तो उसका कोई रास्ता नहीं। कहने के बाद भी यह हालत है कि आप कुछ करते नहीं, कोई कदम नहीं उठाते। जिस लड़की के सिन्दूर की रक्षा के लिए बैठे हैं उसका सिन्दूर मिट जाय, राज्य सरकार के लिए राज्य की हर लड़की राज्य की लड़की मानी जाती है लेकिन इस प्रकार से उसका सिन्दूर मिट जाने के बाद हम उसकी समस्या को हल नहीं कर सकते. और उसके आदमी को मार कर उसका सिन्दूर मिटाया है उसकी रक्षा भी अगर हम नहीं कर सके तो कौन करेगा। इसके सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इन सब मुद्दों पर सरकार को गहराई से देखना पड़ेगा। जो घटनायें घटती हैं उसको रोकने का रास्ता निकालना पड़ेगा। एक गांव में चुना हुआ पंच या और कोई खास व्यक्ति है यदि पुलिस को मालूम हो जाय कि हम जो कुछ करते हैं उसको देखने का उस व्यक्ति को अधिकार है तो पुलिस जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है उनका दुरुपयोग करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। इस प्रकार का अन्याय और भ्रष्टाचार इससे रुकेगा और गांव के लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। यदि पुलिस ऐसा करती है तो हमारे आदमी जो वहां बैठे हैं वे सरकार को लिख सकते हैं और आखिर सरकार को महत्व देगी तो चुने हुए या नामजद पब्लिक के आदमी की राय को ज्यादा महत्व देगी, पुलिस वाले राज्य कर्मचारी हैं, उनमें से कोई अच्छा काम करते हैं लेकिन यदि चुने हुए या नामजद आदमी को अधिकार मिलता है तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि बुरा काम करे तो मेरा जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार यदि आपने अधिकार दिया और जो आजकल चल रहा

(श्री मुरलीधर व्यास)

है उस वस्तु स्थिति को देखा जाय तो उससे गांव में साधारण आदमी के अंदर भी ताकत पैदा होगी और उसका भय निकलेगा। चुनिन्दा नुमाइन्दे ताकत वाले हैं और गांव में यदि कोई दिक्कत पैदा होती है तो वे उसको देख सकते हैं। आज की स्थिति में पुलिस के साधारण सिपाही भी गांव में जायेंगे तो कोई उनके लिए घी लायेंगे, कोई आटा लायेंगे और वे जो कुछ मांगेंगे वह उनको मिलेगा। वहां से आज उसकी व्यवस्था करें। मैं नहीं कहता कि पुराने जमाने में अन्याय हुआ या नहीं। मैं मानता हूं कि पुराने जमाने में अन्याय हुआ लेकिन कोई यह दलील दे कि पुराने जमाने में अन्याय किया गया, इसलिए यह चलता रहेगा। पुराने जमाने में भी अच्छे लोग हुए हैं। जहां तक स्त्री की रक्षा का सवाल है, गंगासिंह जी के लड़के विजयसिंह जी थे। विजयसिंहजी ने किसी लड़की की तरफ देखा। गंगासिंह को मालुम हो गया कि विजयसिंह ने लड़की को तरफ देखा। गंगासिंह को मालूम हो गया तो विजयसिंह ने अपने कमरे में जाकर पिस्तोल से अपनी मौत कर दी। यह स्थिति थी कि कोई आदमी किसी लड़की की तरफ नहीं देख सकता था। यह कहा जाय कि कोई आदमी बुरा हो गया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने अपने ज़माने में हर प्रकार के आदमी हुए हैं। इस राज्य के अन्दर भी अनेक लोग मिलेंगे, आप उनकी तरफ गौर करें। इस राज्य में भी बहुत आदमी अच्छे हैं। पुराने वाले समय में क्या हुआ, उसके कई उदाहरण दिये, लेकिन मैं जनमत की बात कहता हूँ, आप जनमत को जानने की कोशिश करें। आज भी अनेक इलाके ऐसे मिलेंगे, जहां यह कहा जाता है, मैं आपको शर्म के साथ कहना चाहता हूँ कि यह बुरी चीज़ है, पर वे कहते हैं कि आज के इस राज्य से राजाओं का राज्य अच्छा था, आज अन्याय ज्यादा होता है, ज्यादा सताया जाता है। यह वाकई आज जनमत है। आप लोग चुन कर आये हैं तो आपको सुनना चाहिये कि आखिर क्या कहा जाता है। जो जनता का विचार है, मैं नहीं कहता कि वह अच्छा है और अगर आज कोई कहे कि राजाओं का राज्य वापिस आ जाय, तो मैं अपने खून को बहा कर कोशिश करूंगा कि वह राज्य नहीं आय। लेकिन आज दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो गांवों में रहने वाले हैं, वहां हर घर से आवाज आती है कि इस राज्य से राजाओं का राज्य अच्छा था। इसका कारण यह है कि हम लोग जो बातें आपके सामने रखते हैं तो आप चुने हुए लोगों की तरफ न जाकर बातों पर विचार न करके नौकरशाही की तरफ जाते हैं और नौकरशाही हमेशा अपना स्वार्थ देखती है। मैं किसी कर्मचारी की, किसी विशेष कर्मचारी की बात नहीं कहता लेकिन जो व्यवस्था है, जिस तरीके से चल रही है वह नौकरशाही के तरीके की है आप नौकरशाही की तरफ देखते हैं, जनता की तरफ नहीं देखते। मैं समझता हूँ यदि आप नौकरशाही से जनतंत्र को कायम करना चाहते हैं, तो नौकरशाही हावी हो जायगी और जनतंत्र सफल नहीं हो सकेगा। (घंटी) इसलिए इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सोचने का एक तरीका हमारा होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इससे किसी सम्मानीय सदस्य को किसी प्रकार की कोई चोट पहुँचे, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वस्तु स्थिति है, वह वस्तु स्थिति यह है कि पुलिस राज्य आज किस

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रकार से चल रहा है, पुलिस के प्रति आज जनता का विचार कैसा है, पुलिस अपने अधिकारों का किस प्रकार का दुरुपयोग करती है इसका भय आज राज्य के कौने कौने में है। अगर आप चाहते हैं कि इसका हल आपको निकालना चाहिए तो हल का दृष्टिकोण यह है, जिस प्रकार प्रस्ताव में लिखा है, इस प्रकार के अधिकार दिये जाय। ये अधिकार आपने दिये हैं, जेल के अन्दर बैठने वालों के लिए वह अधिकार आप दे दें, यह अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया जाय तो पुलिस जो अधिकारों का दुरुपयोग करती है, वह नहीं कर सकेगी, इसका परिणाम अच्छा निकलेगा। इस दृष्टिकोण से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

श्रीपुरुषोत्तम लाल शर्मा: (किशनगढ़) माननीय सभापति महोदय, जो सदन के सामने प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव भावना के तरीके से बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छा है। जो जो बातें सदन के सामने बताई गई हैं, उनसे मैं इतफ़ाक करता हूँ कि पुलिस में अत्याचार हैं, पुलिस में घूसखोरी है, पुलिस में दुराचारी व्यक्ति भी हैं लेकिन हमें यह देखना है कि क्या इस विधान सभा के द्वारा इस प्रस्ताव को पास कर देने से सब बुराई मिट जायेगी। अगर इस प्रस्ताव को पास कर देने से यह सब बुराई मिट जाती हैं, तो मैं उसका सहर्ष स्वागत करूंगा, समर्थन करूंगा किन्तु इस प्रस्ताव को पढ़ने से विदित होता है कि यह प्रस्ताव हमारी किसी भी समस्या को हल नहीं करेगा बल्कि हमारे लिए और दुविधायें पैदा करेगा। इसका कारण आप देखेंगे कि इसमें लिखा है कि राजस्थान की विधान सभा के सदस्य को अधिकार दिया जाय। अब मैं निवेदन करूं कि विधान सभा एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, यह कानून बनाती है और जो एक्जीक्यूटिव बाडी है, वह अलग है, जो शासन चलाती है और तीसरी है जुडिशियरी, वह न्याय करती है। आप इधर बैठ कर एक कानून बनाते हैं और उधर आप उनमें इनवल्व होते हैं तो क्या आप गवाह बन कर कटघरे में खड़े होने की उम्मीद करते हैं, क्या आप हर अदालत में गवाह के रूप में जायेंगे। आप यह सोचें और समझें। आप किसी मुलजिम का पुलिस कस्टडी में निरीक्षण किया है मुलजिम ने गवाह करार दे दिया, पुलिस ने आपको गवाह करार दे दिया, तो क्या आप कोर्ट में जायेंगे। यह नहीं हो सकता कि आप गवाहियां देते फिरें....

श्री मदनसिंह: आप महाराजा हैं, आपको किशनगढ़ के बजाय कहीं नही जाना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: शांतिपूर्वक सुनने की कृपा करें। मैंने भी शांति से आपके विचार सुने।

दूसरी बात आपने बताई कि सरपंच को निरीक्षण का अधिकार दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि जो जुडीसियरी वर्क करता है, जो पच फैसला करता है, जो यह देखता है कि न्याय हुआ या नहीं, आज बहुत से जुर्म सुनने के अधिकार पुलिस दस्तन्दाजी के पंचायतों को दिये गये हैं, क्या वे निरीक्षण करने बैठेंगे और फिर वह गवाह होकर खुद न्याय करेंगे।

श्री मदन सिंह : पुलिस के केस उनके पास नहीं जाते हैं ।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा: मुझे मालूम है, मैं भी वकील हूं और वकालत करता हूं ।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : मालूम है तो कहने की तकलीफ न करें ।

श्री मदनसिंह: आप तहसील के वकील होंगे ।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा : मैं तहसील का वकील हूँ या क्या हूं आप मेरे पास मुकद्दमा लायें, तब बताऊंगा । माननीय सभापति महोदय, मेरे लायक मित्र को बहुत ही जोश आ रहा है क्योंकि मैं उनके प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं । वे मुझे क्षमा करें ।

श्री भैरोंसिंह: (श्री माधोपुर) बिल्कुल नहीं ।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा: मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव क्या है । प्रस्ताव की भाषा देखेंगे कि उसमें लिखा है कि निरीक्षण कर सकेंगे अब मैं बताऊं कि निरीक्षण भी करेंगे जनता की शिकायत आने पर, आप खुद नहीं जा सकते । शिकायत आवे तो आप निरीक्षण करें । अब आप निरीक्षण करने गये पुलिस के पास, वहां आप कटघरे में देख लीजिये मुलजिम को पर यह हक नहीं है इस प्रस्ताव से कि आप जांच कर सकें, आप डाक्टर नहीं कि आप चोटों का फैसला कर सकें, आप वहां बैठ कर पूछें या जांच कर सकें । आप केवल निरीक्षण कर सकते हैं । देखिये, विधान सभा कानून बनाती है । जो आप कानून बनाते हैं, उसके शब्दों की व्याख्या जुडीशियरी करती है । ऐसी स्थिति में जो प्रस्ताव सामने आया है, उस पर आपको विचार करना है । आपकी भावना कुछ भी हो, भावना से काम नहीं चलता है, प्रस्ताव के शब्दों से काम चलने वाला है....

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): अमेंडमेंट कर दें ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: अमेंडमेंट तो आया नहीं है । एक अमेंडमेंट आया है कि लोक सभा सदस्य भी सम्मिलित कर दिया जाय ...

श्री मदनसिंह: मन में तो खुद भी चाहते हैं कि ऐसी चीज़ मिले लेकिन विपसर्व हो गया है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: माननीय सभापति महोदय, इन सब बातों को देखते हुए मैं यह बताऊंगा कि इन सब बातों से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि एक विवादास्पद स्थिति हमारे सामने पैदा हो जायगी और हम लोग जो लेजिस्लेटर्स हैं व सरपंच हैं कहां कहां गवाह के रूप में जाते फिरेंगे । इसे प्रस्ताव से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है । अब मैं यह निवेदन करूं कि आज आप जो प्रस्ताव पेश करते हैं, तो जो सेन्ट्रल का कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसमें अमेंडमेंड करने की पॉवर क्या हमें प्राप्त है । जो सेन्टर का लेजिस्लेशन है, उस सेन्ट्रल लेजिस्लेशन में जब तक लोकसभा अमेंडमेंट नहीं करती है, आपकी यह विधान सभा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट कर सकती या नहीं, यह भी हमें सोचना है ।

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

कानून की दृष्टि से हम सब बातों को सोचें। इसकी जो भाषा है, उसमें लिखा गया है कि पुलिस कस्टडी में जो मुलजिम हो, उसका निरीक्षण कर सकें। इस सम्बन्ध में जो भी उदाहरण बताये गये, वे बताये गये कि फलां के साथ पुलिस वाले ने व्यभिचार किया उसको पीटा गया। क्या आप निरीक्षण करके उसको पकड़ या मिटा सकते हैं। आपने कहा कि एक आदमी जिसके यहां चोरी हो गई, उसको पुलिस ने बुलाया, और उसे २० तोले सोना देकर भगा दिया। उसमें आप निरीक्षण क्या करोगे, आप वह बतायें। इस प्रस्ताव से यह बात मालूम होती कि इन चीजों को बन्द करने के लिए कोई सुझाव है तो मैं आपका समर्थन करता और ऐसे प्रस्ताव का स्वागत करता....

श्री मदनसिंह: पुलिस की कस्टडी में महिने महिने तक पीटा जाता है, उसका निरीक्षण कर सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा: प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव रखते हुए इसके लिए कुछ नहीं कहा। अब मान लीजिये कि मार पिटाई होती है,मैं निवेदन करूं कि इसप्रस्ताव में कहीं भी कि नहीं है जिससे कि बदन का निरीक्षण किया जा सकता है, बदन की जांच की जा सकती है। अलावा फिर आप कोई डाक्टर हैं, या मेडीकल प्रेक्टीशनर हैं, जो आप जांच कर सकेंगे ? आपके बयान की क्या वकत हो सकती है, जुडीशियल कोर्ट में, यह आप सोचें और समझें अगर आपको किसी आदमी ने कहा कि फलां आदमी को पुलिस मार रही है तो आप मजिस्ट्रेट को इतल्ला दे दीजिये और कह दीजिये कि डाक्टर को साथ ले जाइये और देखिये कि फलां आदमी को पुलिस मार रही है तो वह डाक्टर को लेकर वहां पहुँच जायेगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस प्रकार की व्यवस्था है

श्री मदनसिंह : सारी सारी रात मजिस्ट्रेट के द्वार पर पड़े रहे हैं और उनसे कहा है कि चलिये देखिये पर उन्होंने कहा है नहीं चलते, यहां के माननीय सदस्य हमारे साथ थे, वे साक्षी हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : माननीय सदस्य को बहुत जोश है, उनकी भावना की मैं कद्र करता हूं पर यह लेजिस्लेशन का मामला है, इसमें यह तो सोचना ही होगा कि इस प्रकार का कानून अगस्त में पास कर दें तो उससे क्या नतीजा होता है। मैं प्रस्तावक की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता और पुलिस गैर कानूनी काम नहीं करती है, अत्याचार नहीं करती है यह भी मैं नहीं कहता, देश का जैसा कलेवर है जनता का जैसा कलेवर है वैसी ही पुलिस है, यह कहें कि हमारे यहीं की पुलिस खराब है और प्रदेशों की अच्छी है, यह बात नही है। आज जितने भी प्रदेश हैं उनके कानूनों में क्या कहीं पर भी लेजिस्लेचर्स को अधिकार हैं कि वे पुलिस के कामों में दस्तंदाज़ी करें, भारत में या और कहीं पर इस प्रकार के अधिकार नही दिये हुए हैं, वह राजस्थान में लेना चाहते हैं, यह कहां तक ठीक है ?

श्री मदनसिंह : हमने तो संत विनोबा भावे से सुन लिया इस लिये यह कर लिया।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मुझे सख्त अफ़सोस है कि संत विनोबा की वाणी सुन

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

करके भी आप यहां बैठे हैं, संत विनोबाजी के साथ ही आपको चला जाना चाहिये था।

श्री सभापति : Let us not enter in to that controversy.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है वह किसी भी तरह से विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और विधान सभा इसे पास कर दे तो भी वह सदुपयोग में नहीं आ सकता और इससे विधान सभा के और पंचायतों के सदस्यों को बिना मतलब की परेशानी और दिक्कत में पड़ना पड़ेगा। तो जो बातें माननीय सदस्य ने बताई, उनको मिटाने के और और कानूनी तरीके हैं। पर इस संकल्प को रख कर हम कोई जनता का फायदा नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि पुलिस पर अपना रौब गांठ दें, वैसे भी आप लेजिस्लेटर्स हैं, पुलिस आपको मानती है, फिर केवल मुल्ज़िम का हिरासत में फोटो देखने से हमारा उद्धार या फायदा नहीं होने वाला है। इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय चेअरमैन महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने है उसके सम्बन्ध में मैंने इस सदन में माननीय सदस्यों के विचारों को सुना, प्रस्तावक महोदय के विचारों को सुना, उनकी पार्टी के माननीय सदस्यों के विचारों को सुना। जहां तक इस प्रस्ताव की भाषा का सम्बन्ध है माननीय सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक सीधी सी भावना काम कर रही है। अच्छा यह होता कि जिन माननीय सदस्यों की तरफ से यह प्रस्ताव पेश किया गया है वे अपनी भावना उदाहरण किस्से कहानी न कह कर नीति की बात पेश करते कि ऐसा इस लिये होना चाहिये। इस प्रस्ताव के पीछे एक सीधी भावना है, वह यह है कि हमारे यहां जब कि वर्तमान जनतान्त्रिक शासन प्रणाली है, उसमें पुलिस के कर्त्तव्य क्या होने चाहिये। पुराने ज़माने में जागीरदारों और राजाओं के ज़माने में पुलिस जनता के साथ व्यवहार करती थी उस तरह का व्यवहार आज का नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुल्ज़िम का पता लगाने के लिये जनता पर, निर्दोष व्यक्तियों पर पुलिस का थानेदार जुल्म करता है उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है, यह इस युग में कभी सहन नहीं किया जा सकता। आज के ज़माने में मुल्ज़िम का पता लगाने का यह तरीका अनुचित है यह तरीका आज की जनतान्त्रिक प्रणाली के साथ मेल नहीं खाता। आज के दिन हमें सोचना होगा कि पुलिस के नौकरशाही के कर्मचारी हैं, उनके दिमाग में जो नौकरशाही की बू है, उसको निकालने के लिये पुलिस के कर्मचारी है उनमें इस प्रकार की भावना भरनी पड़ेगी जो इस युग के अनुकूल है। मुल्ज़िमों का पता लगाने के लिये मनोवैज्ञानिक ढंग से काम करना पड़ेगा। आज जिस तरह पुलिस मुल्ज़िमों का पता चलाती है उसमें लोगों को तंग किया जाता है, हैरेस किया जाता है उन पर जुल्म और अत्याचार किये जाते हैं उनको बुरी तरह पीटा जाता है, इस पर सोचना

(श्री गिरधारीलाल)

होगा कि यह आज के समय के अनुकूल नहीं है और किस तरह इनको आज के समय के अनुकूल बनाया जाय।

पुराने ज़माने में जागीरदार होते थे और अपने आपको भगवान् का और खुदा का बेटा समझ कर पब्लिक पर मन माने ढंग से अत्याचार करते थे, वे आज नहीं रहे पर हमारी शासन प्रणाली को एक वर्ग से खतरा है, वह वर्ग है नौकरशाही, इससे खतरा है। हमें जन संघ से खतरा नहीं, दूसरी पार्टियों से खतरा नहीं पर आज की नौकरशाही जिसका तरीका पुराना है काम करने का, उस तरीके को बदलना होगा, वह आज के तरीके के अनुकूल नहीं होगा, मेल नहीं खायेगा और इसका परिणाम यह होगा कि या तो नौकरशाही जनतन्त्र को खायेगी या इस नौकरशाही की भावना को बदलना पड़ेगा, यह किसका कर्त्तव्य है ? नौकरशाही को खत्म करने का यह प्रस्ताव है वह पूरी तरह नौकरशाही को खत्म कर दें ऐसी बात नहीं है। पर जो नौकरशाही की प्रणाली चल रही है उसको कुछ हद तक खत्म करने में हम कुछ हद तक आगे बढ़ते हैं। आज की नौकरशाही की प्रणाली दूषित प्रणाली है। गांवों में थानेदार जाता है तो जितनी उसकी इज्जत होती है उतनी हमारे गृह मंत्रीजी अगर गांवों में जायं और पुलिस को साथ नहीं ले जायं, तो गांव वाले उनकी इतनी इज़्ज़त नहीं करेंगे। इसका कारण है कि हमने उसको पावर दे रखी है और वह चाहे जिसको बुला सकता है। इस प्रणाली को हमें खत्म करना पड़ेगा। अगर जनतन्त्र को जिन्दा रखना है, आज के दिन शासन में भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसको खत्म करना है तो सबसे पहले नौकरशाही पर लात मारनी पड़ेगी। नहीं तो अंग्रेजों के ज़माने में मनमाने ढंग से नौकर काम करते थे, उसी तरह होगा।

मैं भिन्न भिन्न जगहों के उदाहरण नहीं दूंगा जैसा कि माननीय सदस्य ने शंकाएं प्रकट की हैं कि पुलिस का बर्ताव जनता के साथ ठीक नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपनी शंकाएं प्रकट की हैं कि पुलिस का बर्ताव पब्लिक के साथ ठीक नहीं है माननीय सभापति महोदय मैं आपको बीकानेर की बात कहता हूं। बीकानेर की बात है वहा पर लोगों को यह शंका है कि वहां के एक दो थाने के लोगों ने और दो थानेदारों ने दो व्यक्तियों को मारा था। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से दूसरी मिसालें भी मिल सकती हैं पुलिस किसी भी व्यक्ति को मारते मारते उसकी जान ले सकती है। आपके कल्याणकारी राज्य में जिसमें आप समाजवाद का नारा लगाते हैं, उस कल्याणकारी राज में नारे बाज़ी से जनता के जीवन को क्या आप बदलना चाहते हैं मैं कहूंगा कि आप नहीं बदल सकते। एक पुलिस का थानेदार जांच करते वक्त उसको शराब पिला कर पीटता है और पीटते पीटते उसकी जान ले लेता है। चाहे उस बात को छुपाया जा सकता है। उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। एक बीकानेर के थानेदार ने एक ब्राह्मण को बहुत बुरी तरह से मारा, ऐसा लोग कहते हैं, माननीय सभापति महोदय, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लोगों का इस प्रकार का विश्वास है कि उस व्यक्ति को मार कर तालाब में गिरा दिया और दूसरे रोज सुबह पुलिस खुद उसको लाती है और उसका एग्ज़ामिनेशन होता है। इसके

(श्री गिरधारीलाल)

लिए पब्लिक के पास कोई रेकार्ड नहीं की पुलिस के कर्मचारियों ने उनको पीटा है। लोगों में इस प्रकार की भावना फैली हुई है कि इस प्रकार पुलिस हम लोगों पर अत्याचार कर सकती है। जैसा कि अभी एग्जेम्पल दिया ! पुलिस किसी एम.एल. ए. के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर सकती है। जब एम.एल.ए के हाथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर सकती हैं तो नगर के लोगों के साथ तो आसानी से ही वह दुर्व्यवहार कर सकती है। उनकी शंकाओं का समाधन करने के लिये माननीय सदस्य दांता रामगढ़ से आनेवालों ने संकल्प रखा है। मैं उसका समर्थन करता हूं और इसके साथ मैं यह भी कहूँगा कि पंचायतों के पचों को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वे पुलिस कस्टडी में जिनको लिया जाता है और उनके साथ अत्याचार होते हैं उनको देखें और जो यह प्रस्ताव आज पुलिस का जो रवैया है उसको बदलने के लिये हैं मैं समझता हूं कि यह उचित हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सभापति महोदय, दांता रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। आज हम लोगों को भली भांती मालूम है कि पुलिस की क्या हरकत है। वे छोटी सी बात को लेकर हरकतें करते हैं। इतनी छोटी २ बातों को लेकर, अगर किसी ने उनका स्वागत ठीक तरह से नहीं किया, किसी ने उनके खाने पीने का ठीक ढंग से प्रबन्ध नहीं किया, गांव में देने लेने कीबात नहीं हुई या गांव के मुखिया ने किसी थानेदार के लेन देन में किसी प्रकार का रोडा अटकाया तो उस थानेदार की यही टेन्डेन्सी रहेगी कि उसको किसी प्रकार से तंग किया जाए। ऐसा अमुमन होता रहता है कि किसी को भी धांधली में पकड़ कर ले जाते हैं। आप कहते हैं कि आप शिकायत करें। शिकायत होती है वह शिकायत ऑफिसरों के पास ही जाती है और ऑफिसरों की यही टेन्डेन्सी होती है कि वे उसकी कोई परवाह नहीं करते और वे जानते हैं कि आज इसकी शिकायत होती है तो कल उनकी भी शिकायत हो सकती है। उनके रिलेशन ऐसे होते है कि वे उनको उनके खिलाफ कार्यवाही करने के विपरीत उनको हैल्प करने की कोशिश करते हैं ! इस प्रकार के रेजोल्यूशन का मतलब यह होगा कि जो भी एम० एल० ए० या पंच होगा उसको पब्लिक की बात को सुनना होगा क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधि होगा। वास्तव में किसी प्रकार की हरकत यदि पुलिस विभाग में की जाती है तो पुलिस के खिलाफ कोई शहादत देने नहीं आ सकता है। यदि थानेदारजी किसी की पिटाई करते हैं तो कर सकते है। अगर मार भी दे तो उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। क्योंकि ऑफिसर तो आपस में एक दूसरे से मिले रहते हैं। अगर पब्लिक के प्रतिनिधि के सामने इस प्रकार की कोई शिकायत होगी तो वह उसी वक्त मौके पर पहुँचगा, जावेगा और देखेगा कि पुलिस ने उस व्यक्ति को किस तरह से परेशान किया है। और क्यों बिठा रखा है। मैं आपको यह कह सकता हूँ पुलिस बिना किसी जुर्म के और बिना रोज़नामचे में लिखे आदमियों को पुलिस कस्टडी में बिठा लेते हैं। और जब उनसे पूछते हैं कि क्यों बिठाया जाता है तो उसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। अमुमन हम देखते हैं कि यह कहा जाता है कि उसने किसी

(श्री लक्ष्मीचन्द)

थानेदार को पैसा देने में रोड़ा अटकाया है। इसलिये उसको पकड़ कर रखा गया। जब शिकायत की जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस कर्मचारियों की इस प्रकार की हरकतों को रोकने के लिये जनता के प्रतिनिधि वहां जाने चाहिये। इसलिये जब जनता के प्रतिनिधि होंगे तो वे वहां पर जावेंगे और उनसे पूछेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ हो रहा है। वे कुछ नहीं कर सकते लेकिन लिख तो सकते हैं और उनकी शहादत वज़न जरूर रखेगी। उनको पुलिस के रेकार्ड को नहीं देखना है, उनको उनके चालान केसेज़ को नहीं देखना है, उनकी डायरी को नहीं देखना है। उनको तो उनकी हरकतों को देखना है।

अब यह कहा जाता है कि उनको शहादत में आना पड़ेगा। मैं यह कहूंगा कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता की तकलीफ को स्वयं की तकलीफ महसूस करेंगे और एविडेन्स के लिये क्यों नहीं जावेंगे। यदि जनता की तकलीफ में वे नहीं जावेंगे और उसको अपनी तकलीफ़ नहीं मानेंगे तो मैं यही कहूंगा कि वे सही माने में प्रतिनिधि नहीं हैं। उनको जनता के दुःख में अपना दुःख मानना चाहिये। आप जानते हैं कि लोगों की जेलों में पिटाई होती है। उनकी चोटें देखने में नहीं दिखाई देती हैं उनको डूलों से, लातों से और मुक्कों से पीटा जाता है और माचा चढ़ा कर पीटा जाता है। जिस समय इस प्रकार की हरकत होती है तो वह पंच को इत्तिला करें और जब पंच को इत्तिला मिल जावे तो उसका यह फर्ज होता है कि वह वहां पर जाकर देख सकता है। इसमें एविडेन्स मिल सकती है क्योंकि दूसरा तो कोई उसके खिलाफ़ एविडेन्स नहीं देता। इस लिये एविडेन्स तो मिल सकती है। मैं समझता हूं कि वह एविडेन्स इस प्रकार का काम कर सकती है जिस प्रकार डाकुओं को मारने के लिये पिस्तौल काम देती है। वह काम पब्लिक के सरपंच या पंच को सुपुर्द कर दिया जावे तो उचित होगा। पुलिस वाले हरकतें करें और कोई उनके खिलाफ़ शहादत न दें। आज हम देखते हैं कि लोगों में इस जमाने में इतनी शिक्षा नहीं है और वे यह भी जानते हैं कि सरकार की मशीनरी किस प्रकार से योग्य नहीं है। वह इसकी जांच नहीं कर सकती है। स्वयं आप जाकर उस व्यक्ति से मिल नहीं सकते। लेकिन अगर जांच करने के लिए कोई एम. एल. ए. या सरपंच या तहसील पंचायत का पंच जावेगा, तो ऐसी हालत में सरकार भी यह नहीं कह सकती कि उस व्यक्ति की शिकायत मानने के योग्य नहीं है। जिस व्यक्ति को पब्लिक ने चुन कर भेजा है उसकी राय को और उसकी बात को क्यों न मानेंगे। दूसरों के लिये तो यह कहा जा सकता है कि यह मानने योग्य नहीं है। लेकिन जहां पब्लिक के प्रतिनिधि देखेंगे कि लोगों की इस प्रकार की हालत पुलिस कस्टडी में होती है तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि पुलिस के कर्मचारियों को डर होगा कि सरपंच यहां पर है अगर जुल्म करेंगे तो लोग उसको ला कर दिखा सकते हैं। इस प्रकार उसके सर पर एक तलवार हर वक्त लटकती हुई रहेगी कि पंच और सरपंच आया हुआ है या एम. एल. ए. यहां पर आया हुआ है इसलिये किसी के साथ किसी प्रकार की हरकत न करें। और अगर करते है तो पब्लिक उसके पास जा कर उसको ला सकती है और दिखा

(श्री लक्ष्मीचन्द)

सकती है और पुलिस की हरकतों को बता सकती हैं और वह गवर्नमेंट को बता सकता है और लिख सकता है और गवर्नमेंट को उसको मानना पड़ेगा। पब्लिक का पुलिस ऑफिस के निरीक्षण का यह मतलब नहीं कि उसके ऑफिस के रेकार्ड को देखा जावे लेकिन उनकी उन हरकतों को चैक किया जावे जो गैर कानूनी तरीके से की जा रही है। उनको रोकने के लिए उन पर इस तरह की लटकती हुई तलवार होगी कि उनको डर होगा कि न जाने कब जनता के आदमी आकर हमारी हरकतों को देख लेगें। उनको आप अपनी मेजोरिटी के बल पर मंजूर करे या नहीं और मुझे तो यह विश्वास है कि आप अपनी मेजोरेटी के बल पर इसको मंजूर नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हमारा आपको बताने का काम है। जिस जनता की पुलिस रक्षा नहीं कर सकती है, जब कि जनता के प्रतिनिधि आपके सम्मुख सुझाव देते हैं तो सरकार को उस सुझाव को मान लेना चाहिये। विरोधी ही ऐसा कहता है इसलिए इसको स्वीकार न करें यह बात नहीं होनी चाहिये किन्तु आपको उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। हर समय सरकार हम को यह कहती रहती है कि कोई बात बताओ हम उसको ठीक करेंगे लेकिन जब कहते हैं तो सरकार उसको स्वीकार नहीं करती। हमेशा सदन में यह बात आती रहती है कि पुलिस वालों ने ऐसा किया वैसा किया, रोज की दांता कच्ची होती रहती है इसलिए इन सब को व्यवस्थित करने के लिए सरकार को चाहिये कि इसको सहर्ष स्वीकार करे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसको पास करें।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय सभापति महोदय, जो संकल्प दाता रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूँ जो संकल्प यहां पर रखा गया है उसके विषय में अनेक प्रकार के विचार सामने आये हैं और कम से कम उन लोगों के विचारों को देख कर मुझे दुःख हुआ जिन्होंने इस संकल्प की विशुद्ध भावना को समझने में कुछ कमी की है। इस संकल्प के पीछे जिस प्रकार का उद्देश्य कार्य कर रहा है वह उद्देश्य यह नहीं है जिस प्रकार का बताया गया कि केवल कुछ लोग, दल के लोग, मिल कर यहां ऐसा वातावरण का निर्माण कर देना चाहते हैं जिससे कि शासन के प्रति सर्विसेज के प्रति घृणा पैदा हो जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शासन तंत्र की एक्जीक्यूटिव सर्विसेज की जितनी जिम्मेदारी है उतनी लेजिस्लेटिव की जिम्मेदारी है। जहां लेजिस्लेचर के मेम्बर्स अपना कर्तव्य कायम रखने के लिए वहां ऐसी कल्पना की जाय कि कुछ व्यक्ति मिलकर घृणा पैदा करना चाहते हैं, शान्ति को भंग करना चाहते हैं उनकी बुद्धि पर तरस आये बिना नहीं रहेगा। जिस पुलिस के हाथ में शासन दिया है, सत्ता सौंपी है, अपनी बन्दुक और लकड़ी के डंडे से शक्ति बनाये रखेंगे, उनके हाथ में यदि एक्स्ट्रा ताकत आजाती है तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि उसका दुरुपयोग होगा और जब उसके ऊपर संकेत किया गया है तो माननीय सदस्यों का जो उद्देश्य है उस पर शंका करना न्यायोचित नहीं होगा। जिस तरह से इस संकल्प को विरोधी दल के लोग रख कर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं, ट्रेजरी बैंचज़ के लोग भी इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, इसके पीछे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जो महान भावना छिपी हुई है शान्ति और व्यवस्था कायम रखने की ओर उसमें लेजिस्लेचर की ओर से भी जो योगदान दिये जाने की आवश्यकता है उस पर विचार करेंगे।

आज संकल्प इस बात का रखा है कि जो लेजिस्लेटिव के मेम्बर्स हैं, विधान सभा के सदस्य हैं, ग्रामपंचायतों और तहसील पंचायतों के सरपंच हैं उनको यह अधिकार दिया जाय कि अगर, किसी प्रकार उनके क्षेत्र में उनके पास शिकायत आती है कि पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, पुलिस की ओर से उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, उसको नाजायज़ तरीके से कस्टडी में रखा गया है, तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको कम से कम यह अधिकार देना चाहिये कि वे घटना स्थल पर पहुंच सके, कारण पूछ सकें और जो पुलिस के द्वारा अन्याय हो रहा है उससे उस व्यक्ति को सान्त्वना दे सके। इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार जो पुलिस की कस्टडी में रहते हैं उनसे मिलने नहीं दिया जाता, मिलने जरूर दिया जाता है। उसके लिए कलेक्टर से इज़ाजत लेनी पड़ती है, बड़े शहरों में सी० एम० से इज़ाजत लेनी पड़ती है। इस प्रकार की इज़ाजत लेने में इतना समय लग जाता है कि समय पर घटना स्थल पर पहुंच कर वास्तविक स्थिति का अवलोकन करना चाहते हैं, जो इस प्रकार के अत्याचार को रोकना चाहते हैं वे रोक नहीं सकते और इस प्रकार का जो बन्धन रखा गया है कि सी. एम. से पूछ कर या एस. डी. ओ. से या कलेक्टर से पूछ कर इज़ाजत ले ली जाय और फिर मिल सकते हैं तो जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में हैं उससे तो पूछना मात्र ही हो सकता है और जो उस पर अत्याचार हो रहे थे उनको रुकावने में कोई योगदान नहीं हो सकता है। अब यह प्रश्न आकर खड़ा होता है कि यदि विधान सभा के सदस्यों ग्राम पंचायत और तहसील पंचायत के सरपंचों जैसे जनता के प्रतिनिधियों को अगर छूट दे कि कोतवाली में पहुंच कर उन व्यक्तियोंसे जो कि पुलिस की हिरासत में हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको देख सकते हैं तो कौनसा आसमान टूट कर पड़ जाता है। शंकायें की जाती हैं कि इससे अव्यवस्था हो जायगी, ये शंकायें निर्मूल हैं और मैं समझता हूं अव्यवस्था कोई नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण दूंगा और बताना चाहूंगा कि किस प्रकार व न्यायोचित है। बारां में एक पत्रकार हैं देवीदत्त, लुहाड़िया। उनको पुलिस कस्टडी में इसलिए रखा कि विकास से रुपया लिया था और समय पर रकम नहीं पहुंची थी वापिस। लेकिन उनका तहसीलदार से झगड़ा था। १०० के बराबर की रकम थी, उनके ब्रदर ने कहा कि वह रकम मुझे से ले लीजिये, उससे भी न लेकर उसके खिलाफ बड़ा भारी केस बनाया। उसकी डिटेल्स में न जाकर उनके खिलाफ जो षडयन्त्र किया गया वह मैं बताना चाहूंगा। वे संवाददाता हैं कुछ पत्रों के, और वे अपने संवादों के ज़रिये तहसील के जितने अधिकारी थे, तहसीलदार, एस. डी. ओ. आदि उनकी खुली आलोचना करते थे. उनके कारनामों का वे भन्डा फोड़ करते थे उनके संवादों के द्वारा, इस कारण से वे अधिकारी उनसे नाराज़ थे। तो इस रकम को लेकर उनके खिलाफ कुर्की करने का

(श्री दयाकृष्ण विजय)

षडयन्त्र किया गया। जब रेलवे स्टेशन पर गये हुये थे, इसलिए जाते हैं कि वे पत्रकार हैं, इस बात को लेकर कुर्सी से भागने का एक षडयन्त्र किया गया, पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस वाले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसी को भी उनसे नहीं मिलने दिया जाता। कार्यकर्ता सीधे मेरे पास पहुंचे। मैं गया। मैंने भी उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन मुझे भी कहा गया कि एस. डी. ओ. से इज़ाजत लेकर आवो। एस. डी. ओ. आखिर नट नहीं सकता था, मैंने उनसे वार्तालाप किया। मैं वहां पहुँचा तो मैं क्या देखता हूं कि पुलिस वालों ने सारा ही वातावरण बदल दिया। उनको सुनकर बारां पहुंचा। घर वालों तक को उनसे नहीं मिलने दिया गया था। तीन दिन तक उनकी जमानत तक नहीं ली और उनको हरेस करके रखा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति से इस प्रकार से अवगत नहीं होने दिया जाता। यदि विधान सभा का सदस्य जानकारी करना चाहता है तो पहले एस. डी. ओ. के पास जाय इस के बजाय यदि वह जाकर कहे कि मैं विधान सभा का मेम्बर हूं तो उसको जाने देना चाहिये। जब पुलिस वाले नहीं मिलने देते हैं तो इस प्रकार से जनता में वातावरण फैलता है कि वाकई अत्याचार होते हैं। एक उदाहरण मैं आपको शाहबाद तहसील के गांव डिगोद का दूंगा। एस. आई. गोविन्द लाल ने एक आदमी को कस्टडी में लिया। किसी आदमी से उस व्यक्ति ने कर्ज़ा लिया उस पैसा लेना वाले आदमी ने कह दिया कि मैं फलां आदमी का नौकर हूं मज़दूर हूं, फलां मेरा मालिक है और उसके यहां मज़दूरी करता हूं। मेरे पास सोना है, पैसा है किसी दिन लाकर दे दूंगा। उस कर्ज देने वाले व्यक्ति ने जाकर कह दिया कि फलां के पास सोना है। हालांकि उस ऋणदाता के समक्ष उससे छूटने के लिए एक बहाना मात्र किया था। उस व्यक्ति ने कह दिया कि उसके पास सोना है और उसको पकड़ लेना चाहिये। उस गरीब के पास खाने पीने को भी नहीं है तो सोने की कल्पना करना ही हो सकता है। आखिर उसको गोविन्दलाल सब इन्सपेक्टर पकड़ता है। उसकी पिटाई की जाती है। पिटाई इस बुरी तरह से की जाती है कि उसका आधा जीवन जैसा रह जाता है आखिर डर के मारे और पुलिस से पिन्ड छुड़ाने के लिये कहता है कि फलां जगह सोना है और जाकर देखो। उसको वहां ले जाता है और एस० आई० गोविन्दलाल उस जगह को खुदवाता है। आखिर हो तो मिले, कुछ नहीं मिलता है। फिर उसको थाने में लाया जाता है, वह कहता है कि मैंने छूटने के लिए ऐसा कहा था। लेकिन उसकी फिर बुरी तरह से पिटाई की जाती है। उसको नंगा किया जाता है और उसी गांव में उसको नंगा ले जाया जाता है और उसकी पत्नी को बुलाया जाता है उसको नंगा हुए को, उसकी पत्नी के सामने खड़ा किया जाता है और पत्नी से कहा जाता है कि इसके बाल नोचो। घटनास्थल पर उसी समय

(विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम की आवाज)

गांव के लोग इकट्ठे हो गये। लोग पुलिस के आतंक से घबरा कर चले गये, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति श्री गौरीशंकर शर्मा ने आगे होकर कहा कि सब-इन्सपेक्टर जितना चाहे जुल्म कर सकता है....

Page No 110

(श्री दयाकृष्ण विजय)

परेशान कर सकते हैं उसको बताना चाहिये। लेकिन कम से कम जो नृशंस कार्य आप करवा रहे हैं अमानवीय और अनैतिक कार्य करवा रहे हैं उसके लिये आपको शर्म आनी चाहिये यह न करवाइये। इस प्रकार के विरोध के बावजूद पुलिस वाले वहां घबराये और उसी प्रकार की स्थिति में उस आदमी को छोड़ा गया। इस प्रकार के कांड पुलिस कस्टडी में होते हैं उसी कारण इस प्रकार की मांग करनी पड़ती है पंचायतों के पंचों और सरपंचों को अधिकार दिया जाता है तो वह जाकर सारी स्थिति को देख सकते हैं उससे क्या होगा कि जो इस प्रकार के अनैतिक कार्य होते हैं वे रुक सकते हैं।

गुढ़ाजीत थाने का एक किस्सा है वहां एक आदमी को गिरफ्तार किया जाता है और रात को थाने में उसको इस बुरी तरह से पीटा जाता है कि सुबह जब वह टट्टी के बहाने जाता है पुलिस से आंख चुराकर भाग निकलता है। पुलिस वाले उसका पीछा न कर ले इस डर से उसने रास्ते में चारा पड़ा हुआ मिला उसको दांतों के नीचे दबाकर एक व्यक्ति से जो उसको रास्ते में मिल जाता है उससे प्रार्थना करता है कि मुझे चले जाने दो नहीं तो पुलिस वाले मेरी जान ले लेंगे इस प्रकार से पुलिस वाले परेशान करते हैं आखिर हिरासत में होता क्या है पीटाई की जाती है।

सभापति महोदय मैं बड़ोद तहसील के मंडावडा गांव में गया था। मंडवरा चौकी के अन्दर मैं क्या देखता हूं एक आदमी को वहां के पुलिस वालों ने सामने बैठा रखा है और उस आदमी की अंगुलियों के बीच न मालूम कौन सी चीज दाब रखी थी जिसके कारण उस आदमी को असह्य वेदना हो रही थी और वह चिल्ला रहा था उसको मुर्गा बनाया गया था और उसको बुरी तरह से पीटा गया उसकी और मेरी निगाह मिली लेकिन मैं क्या कर सकता था मैंने सोचा मैं इसके बीच में हस्तक्षेप किस अधिकार से कर सकता हूं अगर मैं इससे कुछ कहूं तो यह मुझे कह सकते हैं आप कौन हैं आप चले जाइये हम उस कार्य को पब्लिक मिटिंग में बता सकते हैं इसके अलावा कर क्या सकते हैं। आज हमारे सामने कोई साधन नहीं कि इस प्रकार से पुलिस वालों की तरफ से जो जुल्म होते हैं हिरासत में रखकर जो लोगों की पीटाई की जाती है उसको रोक सके। एक विधान सभा के सदस्य के नाते केवल हम यह कर सकते हैं कि विधान सभा में उसका उल्लेख कर सकते हैं लेकिन उसका कहने का कोई अर्थ नहीं। हमारी सरकार हमें कहती है कि विरोधी दल शान्ति व्यवस्था के अन्दर योग नहीं देता केवल विरोधी लोग शासन को बदनाम करते हैं केवल आलोचना के लिये आलोचना करते हैं आज हम इस प्रकार का योग आगे होकर दे रहे हैं आप हमें अधिकार तो दीजिये कि जो अत्याचार पुलिस वाले जनता पर कर रहे हैं उसको जाकर हम देख सकें। हमारे इतने देखने मात्र से आप को पता चल जायगा इसमें कितनी ही कमी हो जायगी। पुलिस के पास अधिकार है, हन्टर, हथकड़ी और हवालात का उसके पास डर है। यह सही है कि बस में जब ओवर क्राउडेड भीड़ होती है उस समय पुलिस वालों को देखिये कितनी भीड़ क्यों न हो उसको तो बैठने के लिये स्थान मिल ही जायगा क्योंकि उसके पास सिटी है विसिल है वह मोटर को आगे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जाने से रोक सकता है इस तरह से आज पुलिस के हाथ में सत्ता आगई है उसका दुरूपयोग हो रहा है।

इसके लिए यह भी कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की पुलिस का जो स्तर है वही स्तर तो हमारा भी रहेगा। मेरी समझ में यह नहीं आता कि राजस्थान में रह कर हम अन्य प्रदेशों का अनुकरण करें और यह सोचें कि वहां जैसी स्थिति है वैसी हमारे यहां भी होगी यह दलील समझ में आने वाली दलील नहीं है। यह भी कहा गया है कि राजा महाराजाओं के ज़माने में अत्याचार होते थे अब अत्याचार होते हैं तो कौनसी बात है। सभापति महोदय, हमने राजा महाराजाओं के खिलाफ़ संघर्ष किया इसी लिये कि वे एक प्रकार मध्यस्थ थे जनता के प्रतिनिधि नहीं थे वे अपने पैतृक संस्कार समझ कर गद्दी पर बैठे रहना चाहते थे इसीलिये उनके अत्याचारों के खिलाफ़ संघर्ष किया लेकिन आज जनतन्त्र के निर्माण हो जाने के बाद भी वे ही अत्याचार हमें फिर से दिखाई दे रहे हैं वैसी स्थिति इस जनतन्त्र में रहती है मैं समझता हूँ जनतन्त्र का बनना बिल्कुल बेकार है। जैसा कि हम आज़ादी का इतिहास लिखवाना चाहते हैं हमारी कुर्बानियां हम चाहते हैं कि इतिहास में आये तो इस प्रकार के कार्य यदि इस जनतन्त्र के समय में होते हैं तो क्या यह हमारे लिये लज्जा की बात नहीं है ? आज आज हम उन्हीं कार्यों को दोहरायें जो राजा महाराजाओं के ज़माने में होते थे तो यह हमारे लिये कितनी लज्जा की बात है। आज हम राजस्थान में बैठे हुए हैं यहां की शान्ति व्यवस्था की ज़िम्मेदारी हम लोगों पर है किसी व्यक्ति के साथ चाहे पुलिस वाले कैसा व्यवहार करते हों हिरासत के अन्दर किस प्रकार के अत्याचार होते हैं, अभद्र व्यवहार होता है उसको रुकवाना हमारा कर्तव्य है। इसी भावना के साथ माननीय सदस्य ने उसके निरीक्षण करने की बात को रखा है। निरीक्षण शब्द के अर्थ को बड़ा व्यापक लिया जाना चाहिये। शिक्षा विभाग में निरीक्षक नियुक्त किये जाते हैं उनका केवल यही काम नहीं होता कि वे केवल वहां जाकर स्कूल को देखकर ही आयें। निरीक्षक का बड़ा व्यापक अर्थ होता है उसी भावना को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव में यह निरीक्षण का शब्द रखा गया है। केवल इसी शब्द का एक माननीय सदस्य ने विरोध भी किया था, उनका विरोध केवल विरोध के लिये किया गया था। संकल्प में जो निरीक्षण शब्द रखा गया है वह बहुत सोच समझ कर रखा गया है मैं उसका समर्थन करते हुए बताना चाहता हूं कि पुलिस की जो व्यवस्था आज चल रही है पुलिस के हाथ में जिस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं उससे जनता को किसी भी प्रकार से हो राहत देनी पड़ेगी, उन पर होने वाले अत्याचारों से उन्हें बचाना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत के सरपंच तहसील पन्चायत के सरपन्चों और विधान सभा के सदस्यों को यह अधिकार देने के लिये कहा गया है इसका मतलब इतना ही है कि आज जो हथकड़ी, हन्टर और हवालात का डर पुलिस वाले बताते हैं और उसी के बल पर जनता को त्रस्त किया जाता है उस डर को हमें जनता से भगाना होगा। उनको यह भी अधिकार हो कि पुलिस द्वारा किसी आदमी को पीटा गया

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हो तो वे डॉक्टर को लाकर उसका मेडीकल एग्ज़ामिनेशन करा सकता है इस प्रकार के अधिकार भी इन सारे व्यक्तियों को होना चाहिये, जिस प्रकार से लोगों को हवालात में रखा जाता है चाहे जायज़ तौर पर रखा जाता हो या नाजायज तौर पर हो सकता है आप किसी व्यक्ति को माकूल कारण होने के कारण ही पकड़ते हैं लेकिन पकड़ने के बाद भी आप कम से कम उसके साथ यह व्यवहार न कीजिये जो एक तरह से अमानवीय है। एक सज्जन द्वारा मुझे यह भी जानकारी मिली है कि बम्बई के अन्दर इस प्रकार से मारपीट करने का पुलिस वालों को कतई अधिकार नहीं है। सुनने को मिलता है कि इस प्रकार के कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ बहुत सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है आखिर तुमने पीटाई क्यों की। कहा यह जा सकता है कि हमारे राजस्थान के अन्दर सजा देने का दोष प्रगट करवाने का यही रास्ता है सभापति महोदय आज इस वैज्ञानिक युग में जब कि इस प्रकार के यन्त्र निकल चुके है जिससे लोगों के मन की बात तक जानी जा सकती है वैसी हालत में मुर्गे बनाना और अन्य प्रकार की यातनायें देकर दोष का कबूल करवाना यह उचित नहीं है इसको हम मनोवैज्ञानिक ढंग नहीं कह सकते यह तो अमानवीय ढंग है। आज हिन्दुस्तान के एक प्रदेश ने जब इस प्रकार की पीटाई आदि के तरीके बन्द कर दिये हैं तो क्या हम राजस्थान में बन्द नहीं कर सकते।

श्री पी. के. चौधरी : Time is over Sir.

श्री दयाकृष्ण विजय : जब इस प्रकार के यन्त्र निकल चुके हैं कि इसके मन में क्या बात है इस बात की जानकारी मशीनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है वैसी हालत में मारकर पीटकर किसी जुल्म को कबूल करवाने का जो दृष्टिकोण है उसको हमें बदलना पड़ेगा। हम एक और कहते हैं हमारे प्रधान मन्त्री महोदय कहते हैं हम विज्ञान की ओर बढ रहे हैं हमें हर चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से सोचनी चाहिये....

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : The time is already over Sir.

श्री दयाकृष्ण विजय : सभापति महोदय...

श्री सभापति : आप जल्दी कन्क्लूड कर दीजिये आधे मिनिट में।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन वैज्ञानिक तरीकों की वे दाद देते हैं तो उनको छोडकर उन दकियानूसी राजा महाराजाओं के पुराने सामन्ती तरीकों पर ही वे आज भी स्टिक क्यों करना चाहते हैं। यह आश्चर्य की बात है।

आप पंचशील की बात करते हैं, लोगों के सामने शान्ति, सह–अस्तित्व और सहकार की बातें करते हैं पर जनता के साथ आप किस प्रकार का नादिरशाही, सामन्ती, व्यवहार करते हैं, आपकी पुलिस किस निर्दयता और अत्याचारी तरीकों से व्यवहार करती है, किस प्रकार उनके साथ अनैतिक और अप्राकृतिक व्यवहार करती है उनको देख सुन कर शर्म के मारे सिर नीचे झुक जाते हैं।

Page No 113

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तो इस प्रस्ताव का विषद् भावना को समझते हुए, यह नहीं समझ कर कि यह विरोधी पक्ष की ओर से रक्खा गया है इसलिये इस पर कोई ध्यान न दिया जावे, इस प्रस्ताव को एक मत से स्वीकार करेंगे, इस आशा के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बज कर २ मिनिट पर सोमवार दिनांक ६ अप्रेल, १६५६ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई !)

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, ३ अप्रैल, ५६)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

कुचामन सिटी के हरिजनों का चढ़ा हुआ वेतन ।

तहसील उनियारा में लगान की वसूली ।

नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री को बिना नोटिस बन्द किया जाना

भू-प्रबन्ध विभाग के अमीनों का एब्जार्पशन ।

कमिश्नर व असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर के दौरे ।

हाड़ोती खादी ग्रामोद्योग संघ कोटा ।

ग्राम धनवा, तहसील बड़ौद में खाते की ज़मीन का सेटिलमेंट अधिकारियों द्वारा पड़त में निकालने के सम्बन्ध में ।

हीगोटा पंचायत के सरपंच का चुनाव ।

ग्राम दासपा, ज़िला जालोर के पटवारी के खिलाफ़ रिश्वत की शिकायत ।

गांव जानवी तहसील सांचोर का औषधालय ।

पटवारियों द्वारा इन्स्पेक्शन दूर

स्तम्भ

५६४३ की पचायतोंको सूचना ।

कोटा की एक फ़र्म पर दफ़ा ४२० का मुकदमा ।

चांडवास का उत्तराधिकारी ।

ज़िला जयपुर के टेम्परेरी नायब तहसीलदार ।

नोखा के हरिजनों की ज़मीन खरीदने के प्रार्थनापत्र ।

ग्राम पंचायत जसरासर का चुनाव ।

ज़िला पाली के भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों की नियुक्ति ।

नोहर भादरा, हनुमानगढ़ तहसील की पंचायतों के चुनाव ।

फोटवाड़ा में औषधालय व डिस्पेन्सरी का अभाव ।

तहसील जसवन्तपुरा में हरिजनों व आदिवासियों को मकान बनाने हेतु दी गई धनराशी ।

देवली तहसील में नल व बिजली लगाने की योजना ।

टोंक सबडिवीजन में नाजायज तरीके से पेड़ काटने के मामले ।

पंचायत बिरांटियां खुर्द के कुछ

पंचों को पंचायत की मिटिंग्स में सम्मिलित होने से रोकने के सम्बन्ध में ।

तहसील कोटपूतली में लगान के साथ बट्टे की वसूली ।

जयपुर शहर में कूड़ा डालने की व्यवस्था ।

ग्राम बरवाड़ा तहसील गोविन्द-गढ़ में शरणार्थी परिवारों का बसाना तथा उनको भूमि का अलॉटमेंट ।

तहसील पंचायत सीकर द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग ।

गैर सरकारी संकल्प ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक २७ फरवरी, १९५९ को प्रस्तुत निम्नांकित संकल्प को, वाद-विवाद के पश्चात्, आज वापस ले लिया गया:—

"सदन की सम्मति है कि राज-स्थान में व्याप्त अस्पृश्यता को दूर करने हेतु प्रत्येक ज़िले में सात प्रतिष्ठत व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाय जिसके एम. एल. ए. भी सदस्य हों । यह समिति हर तीसरे माह में जांच कर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें कि अपने अपने ज़िले में इस संबंध में क्या प्रगति हुई ।"

तदुपरान्त श्री मदनसिंह, सदस्य विधान सभा ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

'इस सदन की समिति है कि सदस्य विधान सभा व तहसील पंचायतों व ग्राम पंचायतों के सरपंचों को यह अधिकार दिया जावे कि वे जनता की शिकायत पर पुलिस कस्टीड में होने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण कर सकें ।'

श्री रामकरणसिंह ने उपरोक्त संकल्प पर अपना संशोधन प्रस्तुत किया । इस संकल्प पर की गई बहस में जिन सदस्यों ने भाग लिया उनके नाम इस प्रकार हैं:-

(१) श्री ज्वाला प्रसाद

(२) श्री शिवचरण दास

(३) श्री हरिदेव जोशी

(४) श्री मुरलीधर व्यास

(५) श्री पुरुषोत्तमलाल

(६) श्री गिरधारीलाल

(७) श्री लक्ष्मीचन्द

(८) श्री दयाकृष्ण विजय

सोमवार, दिनांक ६ अप्रैल, ५९ की कार्य-सूची

स्थगन प्रस्ताव

(अ) कतिपय राजकीय विभागों द्वारा ३१ मार्च, ५९ के पूर्व बिना सामान की प्राप्ति के उसकी कीमत का भुगतान किया जाने

Page No 116

स्कन्भ

संबंधी, श्री भैरोंसिंहजी (१४) ने एक स्थगन प्रस्ताव रखा।

(ब) राजस्थान औद्योगिक न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति अतीत (Ultra vires) करार दिये जाने आदि से

स्कम्भ

सम्बन्धित श्री पी. के. चौधरी एवं श्री मोहरसिंह (चूरू) ने अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

२. राजस्थान नगरपालिका विधेयक, ५७ (खंडशः विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ८७० का उत्तर दीजिये)

पुनर्नियुक्त अमीनों की सूची

क्रम संख्या	नाम	नियुक्ति की तिथि
१.	श्री पृथ्वीसिंह	४–१–५५
२.	,, बोलसिंह	,,
३.	,, लक्ष्मण सिंह	,,
४.	,, लखसिंह	,,
५.	,, चाम्पूसिंह	,,
६.	,, छैलसिंह	,,
७.	,, भवानीसिंह	,,
८.	,, डूंगरसिंह	,,
९.	,, अनोपसिंह	,,
१०.	,, चैनसिंह	,,
११.	,, सांवलसिंह	,,
१२.	,, सरदारसिंह	,,
१३.	,, हुकमसिंह	
१४.	,, चन्दनसिंह	,,
१५.	,, ओंकारसिंह	,,
१६.	,, घमन्डीराम	,,
१७,	बंकतअली	
१८.	,, भूरसिंह	,,
१९.	,, सज्जनसिंह	,,
२०.	,, किस्तूरचन्द	११–१–५५
२१.	,, धर्मदत्त	,,
२२.	,, जयदेवसिंह	१३–१–५५
३२.	,, जेठमल	१७–१–५५

Page No 118

१	२	३
२४.	,, पृथ्वीदान	१२–२–५५
२५.	,, फतेहसिंह	१८–२–५५
२६.	,, पाबूदानसिह	२०–४–५५
२७.	,, प्रेमदान	,,
२८.	,, नारायणदास	२१–७–५५
२९.	,, शंकरदान	२–८–५५
३०.	,, हरनाथसिंह	३–८–५५
३१.	,, जबलसिंह	४–८–५५
३२.	,, उम्मेदसिंह	६–८–५५
३३.	,, रामचन्द्र	१३–८–५५
३४.	,, शम्भूसिंह	१९–८–५५
३५.	,, सवाईसिंह	,,
३६.	,, उम्मेदसिंह	६–८–५५
३७.	,, सरदारसिंह	२३–८–५५
३८.	,, प्रभूदान	२८–८–५५
३९.	,, अर्जुनसिंह	१६–१२–५५
४०.	,, घेवरचन्द	१२–१–५६
४१.	,, गनपतसिंह	२७–१–५६
४२.	,, परबतसिंह	२८–१–५६
४३.	,, उदयराम	१–२–५६
४४.	,, शौकत अली	,,
४५.	,, प्रेमकुमार	१०–२–५६
४६.	,, किशोरचन्द	१४–२–५६
४७.	,, रहमतखां	३–४–५६
४८.	,, पूसाराम	,,
४९.	,, हंसराम व्यास	४–४–५६
५०.	,, रणजीतसिंह	१२–९–५६

Page No 119

१	२	३
५१.	,, हिम्मतसिंह	,,
५२.	,, घीसालाल	१४–६–५६
५३.	,, पदमसिंह	,,
५४.	,, शम्भूसिंह	,,
५५.	,, कानमल	३१–१०–५६
५६.	,, फतेहमोहम्मद	६–११–५६
५७.	,, समर्थराज	१६–१२–५६
५८.	,, कीरतसिंह	२–६–५७
५९.	,, पारसमल	१८–२–५७
६०.	,, हरकचन्द	३–८–५७
६१.	,, अजीमल	,,
६२.	,, गुलाबसिंह	६–४–५८
६३.	,, भगवानसिंह	,,
६४.	,, पृथ्वीसिंह	३–८–५७
६५.	,, जीवसिंह	१–१२–५७
६६.	,, तखतसिंह	४–१–५५
६७.	,, कल्याणसिंह	,,
६८.	,, पालमसिंह	,,
६९.	,, हरीसिंह	६–८–५५

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८७१ का उत्तर देखिये)

नोट

राजस्थान के श्रम कमिश्नर तथा दो सहायक श्रम कमिश्नरों द्वारा जनवरी ५७ से अगस्त १६५८ तक (कुल २० माह) के किये गये दौरों का विवरण, मय कारण के दिया गया है। इन अधिकारियों के टी० ए० पर इस समय में कुल निम्न रकम व्यय हुई :–

श्रम कमिश्नर	४६१६. १२
सहायक श्रम कमिश्नर (प्रशासन)	२७६३. २५
सहायक श्रम कमिश्नर (वेलफेयर)	२६४५. ६४

श्रम विभाग के मुख्य कार्यालय के लिए सन् १६५७-५८ तथा ५८-५६ में १५५६४ रु० तथा १७०००रू० रकम क्रमशः टी० ए० के लिए स्वीकृत है।

स्वीकृत रकम से अधिक व्यय नहीं किया गया।

————

श्री चन्द्रधर ईस्सर,लेबर कमिश्नर (के दौरों का विवरण)

माह १	स्थान जहां दौरा किया २	कारण ३	रकम ४
जनवरी ५७	जयपुर से धन्यवाद और वापसी	कोल माइन्स वेलफेअर फंड की मीटिंग में शामिल होने व केन्द्रीय सचिवालय में वार्तालाप संबंधी	३०२.२५
फरवरी ५७	जयपुर से देहली व वापसी	टेकनीकल ट्रेनिंग सेंटर की मीटिंग में शामिल होने व पथ श्रमिकों के निरीक्षण	१४२.५०
,,	जयपुर से अजमेर व वापसी	मीनिमम वेजेज़ एडवाइज़री बोर्ड की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए।	२६.८७
मई ५७	जयपुर से टौंक व वापसी	लेबर वेलफेयर सेंटर टौंक का निरीक्षण करने तथा कलेक्टर से वार्तालाप।	५८.७५
मई, जून जुलाई ५७	जयपुर से बीकानेर जयपुर से किशनगढ़ किशनगढ़ से अजमेर अजमेर से जयपुर जयपुर से अजमेर	वेलफेयर सेंटर का निरीक्षण तथा कम्पेनसेशन केस की सुनवाई के सम्बन्ध में बीकानेर गये। माईका मॉइन्स के निरीक्षण हेतु किशनगढ़ गए। मिनिमम वेजेज़ एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग के संबंध में अजमेर गये तथा विजयनगर में होने वाली स्ट्राइक के सम्बन्ध में कलेक्टर से वार्तालाप करने के लिए पुनः अजमेर गये।	२४५.२५
जुलाई ५७	जयपुर से अलवर अलवर से देहली देहली से जयपुर	इन्डियन लेबर कान्फ्रेंस के संबंध में देहली गये व पथ श्रमिकों का निरीक्षण। कलेक्टर अजमेर से	२३०,२५

Page No 122

१	२	३	४
	जयपुर से अजमेर अजमेर से जयपुर	म्युनिसिपल मजदूर स्ट्राइक के सम्बन्ध में वार्तालाप ।	
जुलाई व अगस्त ५७	जयपुर से देहली देहली से जयपुर जयपुर से देहली देहली से जयपुर	एडवाइजरी कौन्सिल एक्टीविटीज आफ डाइरेक्ट्रेटरआफ एम्पलायमेंट की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में होने वाली मीटिंग में सम्मिलित होने ।	१८४.००
सितम्बर ५७	जयपुर से कोटा कोटा से दरा दरा से सांथलखेरी साथलखोरी से बूंदी बूंदी से कोटा कोटा से जयपुर	उम्मीदवारों के साक्षातकार हेतु तथा वर्कमैन कम्पनसेशन केश की सुनवाई हेतु एवं श्रमकल्याण केन्द्र के निरीक्षण हेतु ।	७२.७८
अक्टूबर ५७	जयपुर से देहली देहली से जयपुर	लेबर मिनिस्टर्स कांफ्रेन्स में सम्मिलित होने ।	११४.६४
नवम्बर ५७	जयपुर से भरतपुर भरतपुर से धौलपुर धौलपुर से भरतपुर भरतपुर से जयपुर जयपुर से कोटा कोटा से जयपुर	वेलफेयर सेंटर धौलपुर के भवन के सम्बन्ध मे । अतिरिक्त ज़िलाधीश से बातचीत करने हेतु तथा ग्लास फैक्ट्री धौलपुर तथा वेलफेयर सेंटर के निरक्षणार्थ एस० डी० एम० भरतपुर से वार्तालाप । सड़कें बनाने के लिए नियुक्त की गई लेबर के निरीक्षणार्थ तथा कम्पनसेशन केस की सुनवाई तथा प्रोजेक्ट इन्चार्ज कोटा के सम्बन्ध में की गई मीटिंग में सम्मिलित होने ।	२३१.११

१	२	३	४
सितम्बर ५७	जयपुर से बीकानेर बीकानेर से जयपुर	वर्कमेंट्न्स कम्पनसेशन की सुन-वाई	६१.३७
,, ,,	जयपुर से देहली देहली से जयपुर	डवेलपमेंट स्कीम की मीटिंग में सम्मिलित होने ।	११६.८२
जनवरी ५८	जयपुर से अलवर अलवर से देहली देहली से धौलपुर धौलपुर से भरतपुर भरतपुर से जयपुर	एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का निरक्षण व इन्टर स्टेट कमेटी की मीटिंग में सम्मिलित होने । लेबर वेलफेयर सेंटर का निरीक्षण करने व एस.डी.एम से धौलपुर से सेंटर की बिल्डिंग के सम्बन्ध में बातचीत करने ।	२३३.५०
फरवरी ५८	जयपुर से किशनगढ़ किशनगढ़ से अजमेर अजमेर से जयपुर जयपुर से टोंक टोंक से जयपुर	माइका माइन्स वेलफेयर फंड की डिस्पेन्सरी के निरक्षणार्थ । तीन कम्पनसेशन केश का फैसला करने व कलेक्टर एव कमिश्नर से मिलने । लेबर वेलफेयर सेंटर का निरिक्षण ।	११७.२५
,,	जयपुर से बीकानेर बीकानेर से जयपुर	वर्कमैंस कम्पनसेशन केश के सम्बन्ध में ।	८६.८७
,,	जयपुर से अलवर अलवर से देहली देहली से भरतपुर भरतपुर से महुवा महुवा से जयपुर	एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की जांच तथा डी० जी० आर० ई० की मीटिंग में शामिल होने हेतु दिल्ली तथा भरतपुर व महुवा में कम्पन-सेशन केसों की सुनवाई हेतु ।	२३१.१२
मार्च ५८	जयपुर से अजमेर अजमेर से भीलवाड़ा	निरीक्षण लेबर वेलफेयर सेंटर अजमेर तथा भीलवाड़ा में होने	१७५.७५

Page No 124

१	२	३	४
	भीलवाड़ा से विजयनगर विजयनगर से अजमेर अजमेर से जयपुर	वाले टूर्नामेंट्स में सम्मिलित होने एवं विजयनगर वेलफेयर सेंटर का निरीक्षण व मिल का मालिक एवं यूनियन के सेक्रेटरी से स्ट्राइक के सम्बन्ध में वार्तालाप। अजमेर में होने वाली मीटिंग में सम्मिलित होने। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज अजमेर का निरीक्षण करने। प्रिन्सिपल ट्रेनिंग सेंटर के वार्तालाप करने हेतु।	
अप्रेल ५८	जयपुर से देहली देहली से जयपुर	इन्टर स्टेट कमेटी की मीटिंग जो कि मिनिमम रेट्स व वेजेज़ के संबंध में हुई उसमें सम्मिलित होने के लिये गये।	१७६.००
,,	जयपुर से अजमेर अजमेर से भीलवाड़ा भीलवाड़ा से कोटा कोटा से गांधीनगर गांधीनगर से कोटा कोटा से टौंक टौंक से जयपुर	श्रमिकों के झगड़ों का समझौता करवाने। अजमेर मे कम्पनसेशन केश की सुनवाई। भीलवाड़ा में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल में स्ट्राइक के सम्बन्ध में ज़िलाधीश से वार्ता व चम्बल पर स्ट्राइक के सम्बन्ध में।	२१२.५४
मई ५८	जयपुर से काठगोदाम काठगोदाम से नैनीताल नैनीताल से काठगोदाम काठगोदाम से मथुरा मथुरा से जयपुर	लेबर मिनिस्टर कांफ्रेन्स में सम्मिलित होने।	१८६.४१

Page No 125

१	२	३	४
जून ५८	जयपुर विजयनगर विजयनगर से अजमेर अजमेर से केकड़ी केकड़ी से टौंक टौंक से जयपुर	माइका माइन्स डिस्पेन्सरी एम्प्ला-यमेंट एक्सचेंज श्रम कल्याण केन्द्रों तथा इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर का निरिक्षण करने को व श्रम कल्याण केन्द्र टौंक का निरिक्षण ।	१२१.७५
जुलाई ५८	जयपुर से टौंक टौंक से देवली देवली से जयपुर जयपुर से कोटा कोटा से जयपुर	१) श्रमकल्याण केन्द्र टौंक का निरीक्षण । २) दुकानों का निरीक्षण तथा कुछ केसों की सुनवाई के लिए । ३) वर्कमैन्स कम्पनसेशन केसेज़ के सम्बन्ध में तथा इन्डस्ट्रियल सेंटर के निरक्षणार्थ ।	३७१.८३
,,	जयपुर से अलवर अलवर से जयपुर जयपुर से किशनगढ किशनगढ़ से अजमेर अजमेर से भीलवाड़ा भीलवाड़ा से अजमेर अजमेर से जयपुर	कामदिलाऊ (FFr) दफ्तर अलवर का निरीक्षण । माइका माइन्स डिस्पेन्सरी किशनगढ़ का अकस्मात निरीक्षण व भीलवाड़ा में कम्पनसेशन केस की सुनवाई हेतु माइका माइन्स लेबर वेलफेयर डिस्पेन्सरी अजमेर का निरीक्षण ।	
अगस्त ५८	जयपुर से देहली देहली से जयपुर जयपुर से ब्यावर ब्यावर से जयपुर जयपुर से हनुमानगढ़	रीसैटलमैंट के सम्बन्ध में डिप्टी सेक्रेटरी लेबर मिनिस्टर तथा अन्य अफ़सरों से बात चीत करने । १६—८—५८ को होने वाले कार्यक्रम जो कि मुख्य मन्त्री की	३००.२१

१	२	३	४
	हनुमानगढ़ से जयपुर	अध्यक्षता में होने वाला था	
		उसकी जांच करने गये।	
		वर्कमैन्स कम्पनसेशन केश की	
		सुनवाई के लिए।	
अगस्त ५८	जयपुर से ब्यावर	श्रम कल्याण केन्द्र के उद्घाटन के	५७७.००
	ब्यावर से पाली	उत्सव में सम्मिलित होने।	
	पाली से जोधपुर	ई० एस० आई० डिस्पेन्सरी का	
	जोधपुर से बीकानेर	निरीक्षण।	
	बीकानेर से जोधपुर....	कम्पनसेशन केश की सुनवाई	
	जोधपुर से पाली	(डा०, डी० एन० राय के साथ)	
	पाली से ब्यावर	श्रम कल्याण केन्द्र का निरीक्षण	
	ब्यावर से जयपुर	करने।	
	जयपुर से देहली	देहली में होने वाली माइका	
	देहली से भोपाल	माइन्स की मीटिंग में सम्मिलित	
	भोपाल से देहली	होने तथा भोपाल में होने वाली	
	देहली से जयपुर	कोल फंड सब कमेटी की मीटिंग में	
		सम्मिलित होने।	
		कुल योग :	४६१६.१२

———

श्री नरेन्द्रकुमार जोशी सहायक श्रम आयुक्त प्रसाशन के दौरों का विवरण

माह	स्थान जहां दौरा किया २	कारण ३	रकम ४
जनवरी ५७	जयपुर से कोटा वापिस	मजदूरो की स्ट्राइक सम्बन्ध में	१३०.८७
फरवरी ५७	जयपुर से जोधपुर जोधपुर से पाली पाली से जयपुर जयपुर से ब्यावर ब्यावर से अजमेर अजमेर से जयपुर	हाईकोर्ट रिट केस में व कृष्णा मिल्स में होनेवाली स्ट्राइक के सम्बन्ध में।	११३.८१
फरवरी ५७	जयपुर से अजमेर व वापिस	मिनिमम वेजेज एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग के सम्बन्ध मे।	२६.६२
मार्च ५७	जयपुर से जोधपुर व वापिस	हाई कोर्ट मे चल रहे रिट केस के सम्बन्ध में,	५६.००
अप्रेल ५७	जयपुर से किशनगढ किशनगढ से जयपुर जयपुर से भीलवाडा भीलवाड़ा से जयपुर जयपुर से जोधपुर जोधपुर से जयपुर	केस के पेशी के लिए कोर्ट भीलवाड़ा किशनगढ़ एवं जोधपुर मे हाज़िर होने।	१३१.००
मई ५७	जयपुर से ब्यावर व वापिस	लेबर आफिसर के कृष्णा मिल्स ब्यावर में काम करने के सम्बन्ध में रेकार्ड की जांच करने हेतु।	३६.१२
जून और जुलाई ५७	जयपुर से ब्यावर ब्यावर से जयपुर जयपुर से अजमेर अजमेर से जयपुर	स्ट्राइक नोटिस व समझौता करने की दिशा में प्रयत्न करने हेतु। चीफ इंसपेक्टर आफ बायल की	३१५.६२

	२	३	४
	जयपुर से बीकानेर बीकानेर से जयपुर जयपुर से आबूरोड आबरोड से माउन्ट आबू माउन्ट आबू से आबू रोड आबूरोड से जयपुर जयपुर से आबूरोड आबूरोड से माउन्ट आबू माउन्ट आबू से आबू रोड आबूरोड से जयपुर।	कान्फ्रेंस में ठहरने का प्रबन्ध हेतू	३१५.६८
जुलाई ५७	जयपुर से भीलवाड़ा व वापिस	कोर्ट केस की पेशी में हाज़िर होने हेतू।	५६.४६
	जयपुर से अजमेर व वापिस	म्युनिसिपल मज़दूरों की स्ट्राइक के सम्बन्ध में।	२१,०८
सितम्बर ५७	जयपुर से भीलवाड़ा व वापिस।	कोर्ट केस की पेशी में हाज़िर होने हेतू।	५१,५८
अक्टूबर ५७	जयपुर से हावड़ा हावडा से टून्डला जंक्सन टून्डला जंक्सन से आगरा सीटी आगरा से जयपुर जयपुर से बीकानेर बीकानेर जयपुर	आल इंडिया कान्फ्रेंस लेबर एन्ड लेबर वेलफेयर आफीसर्स कलकत्ता में शामिल होने एवं निरीक्षणार्थ के हेतू बीकानेर	३६१.४६
नवम्बर ५७	जयपुर से देहली देहली से जयपुर जयपुर से देहली देहली से जयपुर	आई०एल०ओ० एशिया रीजनल कांफ्रेन्स में सम्मिलित होने।	१६७.३०

१	२	३	४
दिसम्बर ५७	जयपुर से कोटा कोटा से रामगंजमंडी रामगंजमंडी से साथल खेरी सथलखेरी से रामगंजमंडी रामगंजमंडी से कोटा कोटा से जयपुर जयपुर से देहली देहली से जयपुर जयपुर से ब्यावर ब्यावर से अजमेर अजमेर से जयपुर	ब्रांच आफिस-सेज की जांच हेतू । प्लान फाइनेलाइजेशन स्कीम की कान्फ्रेंस में शामिल होने ।	१५८.२७
जनवरी एवं फरवरी ५८	जयपुर से देहली देहली से जयपुर जयपुर से धनवाद धनवाद से टून्डला टून्डला से धौलपुर धौलपुर से आगरा आगरा से जयपुर	लेबर मेनेजमेन्ट कारपोरेशन से मीनार की मीटिंग में एवं कोले माइन्स लेबर वेलफेयर फन्ड एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में सम्मलित होने हेतू व धौलपुर वेलफेयर सेंटर के निरीक्षणार्थ ।	३०५.६७
फरवरी ५८	जयपुर से कोटा कोटा से जयपुर जयपुर से बीकानेर बीकानेर से जयपुर जयपुर से जोधपुर जोधपुर से जयपुर	जांच हेतू व आर० ए० एस० ट्रेनिंग कालेज में लेकचर हेतू ।	१६६.०६
अप्रेल ५८	जयपुर से भीलवाड़ा भीलवाड़ा से कोटा	श्रमिकों के समझौते हेतू । एवं निरीक्षणार्थ एवं इन्टरव्यु ।	१०५.०३

१	२	३	४
	कोटा से गांधी सागर		
	गांधीसागर से कोटा		
	कोटा से टौंक		
	टौंक से जयपुर		
	जयपुर से कोटा		
	कोटा से जयपुर		
मई ५८	जयपुर से नैनीताल नैनीताल से काठगोदाम काठगोदाम से कोटा कोटा से जयपुर	लेबर मिनिस्टरस कांफ्रेंस में सम्मलित होने तथा लेबर आफिस कोटा चम्बल बांध के केन्द्र के निरिक्षणार्थ एवं सलेक्शन आफ गेम्स सुपरवाइजर व लेडी टेलर के सम्बन्ध में	१८६.६३
जून ५८	जयपुर से अजमेर व वापिस		३०.६०
अगस्त ५८	जपुर से ब्यावर ब्यावर से अजमेर अजमेर से विजयनगर विजयनगर से जयपुर जयपुर से सवाईमाधोपुर सवाईमाधोपुर से आगरा आगरा से धौलपुर धौलपुर से आगरा आगरा से जयपुर जयपुर से अजमेर अजमेर से केकड़ी केकड़ी से अजमेर अजमेर से पाली पाली से जोधपुर जोधपुर से जयपुर	लेबर वेलफेयर सैन्टर्स के कार्यों की जांच व उनमें सुधार के तरीकों की खोज के हेतू ।	२६३.१४
	जयपुर से ब्यावर ब्यावर से जयपुर	कृष्णा मिल्स ब्यावर के श्रमिकों के समझौते हेतू ।	

कुल योग २७५३–२५

परिशिष्ट

श्री टीकमचन्द जैन, सहायक श्रम आयुक्त (श्रम कल्याण) के दौरा की विवरण

माह १	स्थान जहाँ दौरा किया २	कारण ३	रकम ४
फरवरी ५७	जयपुर से अजमेर अजमेर से जयपुर जयपुर से पाली पाली से अजमेर अजमेर से जयपुर जयपुर से भीलवाड़ा भीलवाड़ा से उदयपुर उदयपुर से जयपुर	ओ० एन शर्मा को सहायक आयुक्त का कार्यभार सम्भलाने। हाउसिंग स्कीम सम्बन्ध में वार्तालाप करने तथा पाली भीलवाड़ा व उदयपुर के वेलफेयर सैंटर्स से निरीक्षण के लिए।	१८३. ८७
अप्रैल ५७	जयपुर से टौंक टौंक से जयपुर जयपुर से ब्यावर ब्यावर से अजमेर व वापस जयपुर से लाखेरी लाखेरी से कोटा कोटा से रामगंजमंडी रामगंजमंडी से कोटा कोटा से जयपुर जयपुर से बीकानेर बीकानेर से जोधपुर जोधपुर से पाली पाली से मकराना मकराना से जयपुर जयपुर से धौलपुर व वापिस	वैलफेयर सैंटर्स का निरीक्षण तथा मकराना में नया सैंटर खोलने के लिए प्रबन्ध करने।	२६६. ६२

१	२	३	४
मई व जून ५७	जयपुर से बीकानेर बीकानेर व गंगानगर अजमेर—केकड़ी अजमेर—अजमेर— विजयनगर भीलवाड़ा—बून्दी व सवाईमाधोपुर	वैलफेयर सैंटर्स का निरीक्षण। अजमेर और केकड़ी में नये सैंटर खोलने के सम्बन्ध में। अजमेर सैंटर्स की बिलडिंग का तय करने व विजयनगर में उत्सव में सम्मलित होने व अन्य सेंटरों का का निरीक्षण करने।	२०४. ४१
जुलाई ५७	जयपुर से जोधपुर जोधपुर पाली पाली से मकराना मकराना से जयपुर जयपुर से अजमेर अजमेर से भीलवाड़ा भीलवाड़ा से जयपुर	लेबर आफिसर से मकराना सेंटर के सम्बन्ध में बात करने, पाली में मकान वैगराह देने व मकराना में नया सैंटर खोलने तथा अन्य सैंटरों का निरीक्षण आदि।	१३३. ८७
जून ५७	जयपुर से अजमेर जयपुर से टौंक	सेंटर खोलने के लिए भवन देखने तथा केन्द्रों का अचानक निरीक्षण करने।	३५. ३३
अगस्त ५७	जयपुर से रामगंजमडी रामगंजमंडी से कोटा कोटा से लाखरी लाखेरी से जयपुर जयपुर से ब्यावर ब्यावर से पाली पाली से जयपुर	लेबर वैलफेयर सेंटर्स का निरीक्षण करने तथा पिछले ऑडिट आब्जेक्शनस से सम्बन्ध में ज़िलाधीश पाली से बातचीत करने।	१३८. ४४
सितम्बर ५७	जयपुर से अजमेर अजमेर से केकड़ी केकडी से अजमेर		१७७. ४५

१	२	३	४
	अजमेर से जयपुर		
	जयपुर से भीलवाड़ा		
	भीलवाड़ा से विजयनगर		
	विजयनगर से अजमेर		
	अजमेर से जयपुर		
	जयपुर से आगरा		
	आगरा से धौलपुर		
	धौलपुर से कोटा		
	कोटा से रामगँजमंडी	लेबर वैलफेयर सैंटर्स का निरीक्षण	
	रामगंजमंडी से सवाई	करने ।	
	माधोपुर		
	सवाईमाधोपुर से जयपुर		
दिसम्बर ५७	जयपुर से कलकत्ता	एडल्ट एज्युकेशन की आठवीं	
	कलकत्ता से जयपुर	राष्ट्रीय गोष्टी में तथा वर्क्स एजू-	
		केशन सेमीनार में शामिल होने ।	३५३. ८५
जनवरी ५८	जयपुर से अजमेर	लेबर वैलफेयर सैंटर्स का निरीक्षण	१७३. ४४
	अजमेर से ब्यावर	करने तथा विभागीय जांच के	
	ब्यावर से अजमेर	लिए ।	
	अजमेर से जयपुर		
	जयपुर से भूपालनगर	चीनी उद्योग संबंधी सर्वे के लिए ।	
	भूपालनगर से उदयपुर		
	उदयपुर से जावरमान्इस	लेबर वैलफेयर सैंटर का प्रारंभ	
	जावरमाइन्स से उदयपुर	तथा इन्डस्ट्रीयल हाउसिंग स्कीम	
	उदयपुर से भीलवाड़ा	का सर्वे करने के लिए उदयपुर	
	भीलवाड़ा से जयपुर	श्रम कल्याण केन्द्र का निरीक्षण	
		तथा इन्डस्ट्रीयल हाउसिंग स्कीम	
		के सम्बन्ध में पॉवर हाउस कर्म-	

Page No 134

१	२	३	४
		चारी संघ से बातचीत करने।	१७३. ४४
फरवरी व मार्च ५८	जयपुर से अजमेर अजमेर से जयपुर जयपुर से टोंक टोंक से जयपुर जयपुर से कोटा कोटा से बून्दी बून्दी से कोटा कोटा से लाखेरी लाखेरी से कोटा कोटा से रामगंजमंडी रामगंजमंडी से कोटा कोटा से सवाईमाधोपुर सवाईमाधोपुर से जयपुर	एम० डब्लू० आई० अजमेर के विरुद्ध विभागीय जांच के लिए तथा वेलफेयर सैंटर्स का निरीक्षण करने के लिए।	१४७. २१
मार्च ५८	जयपुर से भीलवाड़ा भीलवाड़ा से विजयनगर विजयनगर से जयपुर जयपुर से भीलवाड़ा भीलवाड़ा से अजमेर अजमेर से जयपुर	टूर्नामेन्ट के सम्बन्ध में प्रारंभिक प्रबन्ध करने तथा लेबर वैलफेयर सैंटर का निरीक्षण करने। टूर्नामेन्ट के सम्बन्ध में तथा अजमेर में मिटिंग में सम्मिलित होने।	१०१. ४१
अप्रैल ५८	जयपुर से बीकानेर बीकानेर से श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर से जयपुर जयपुर से अजमेर अजमेर से ब्यावर ब्यावर से अजमेर अजमेर से जयपुर	श्रम कल्याण केन्द्रों का निरीक्षण तथा उपकेन्द्र के उद्घाटन के लिए। श्रम कल्याण केन्द्रों के निरीक्षण हेतु।	१२१. ५८

१	२	३	४
मई ५८	जयपुर से भीलवाड़ा भीलवाड़ा से जयपुर जयपुर से पाली पाली से जोधपुर जोधपुर से जयपुर	लेबर स्ट्राइक के सम्बन्ध में हाउसिंग स्कीम में सम्बन्ध में होने वाली मीटिंग में शामिल होने।	१३६.५४
जुन–जुलाई ५८	जयपुर से किशनगढ़ किशनगढ़ से अजमेर अजमेर से केकड़ी केकड़ी से टोंक टोंक से जयपुर जयपुर स कोटा कोटा से रामगंजमंडी रामगंज मंडी से कोटा कोटा से सवाईमाधोपुर सवाईमाधोपुर से जयपुर जयपुर से भीलवाड़ा भीलवाड़ा से अजमेर अजमेर से जयपुर	श्रम कल्याण केन्द्रों का निरीक्षण तथा इन्डस्ट्रीयल हाउसिंग स्कीम के के सम्बन्ध में होने वाली मीटिंग में शरीक होने।	१३८.१६
जुलाई ५८	जयपुर से भरतपुर भरतपुर से जयपुर जयपुर से जोधपुर जोधपुर से पाली पाली से जयपुर	एक नया श्रम कल्याण केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में। सूरसागर में एक उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में इन्डस्ट्रीयल हाउसिंग स्कीम की मीटिंग में शामिल होने।	११०.१७
अगस्त ५८	जयपुर अजमेर अजमेर से ब्यावर ब्यावर से अजमेर अजमेर से विजयनगर	सहायक श्रम आयुक्त (एडमिनिस्ट्रेशन) के साथ केन्द्रों की जांच के लिए।	३५४.१५

Page No 136

१	२	३	४
	विजयनगर से जयपुर		
	जयपुर से ब्यावर	श्रम कल्याण केन्द्र ब्यावर के भवन	
	ब्यावर से जयपुर	के उद्घाटन की तैयारी देखने जो	
	जयपुर से ब्यावर	मुख्य मन्त्री द्वारा किया जाने वाला	
	ब्यावर से पाली	था उपरोक्त उद्घाटन में सम्मलित	
	पाली से जयपुर	होने व श्रम आयुक्त द्वारा इन्डस्ट्री-	
		यल हाउसिंग का निरीक्षण करने ।	
	जयपुर से सवाईमाधोपुर	सहायक श्रम आयुक्त (एडमि-	
	सवाईमाधोपुर से आगरा	निस्ट्रेशन) के साथ श्रम कल्याण	
	आगरा से धौलपुर	केन्द्रों की जांच के लिए ।	
	धौलपुर से आगरा		
	आगरा से जयपुर		
	जयपुर से भीलवाड़ा	पाली में तथा इन्डस्ट्रीयल हाउसिंग	
	भीलवाड़ा से अजमेर	स्कीम के सम्बन्ध में होने वाली	
	अजमेर से केकरी	मीटिंग में शामिल होने ।	
	केकरी से अजमेर		
	अजमेर से पाली		
	पाली से जयपुर		
	जोधपुर के जयपुर		
		कुल योग	२६४५.६४

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ का उत्तर देखिये)

KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD JAIPUR-

Funds disbursed to Hadoti Khadi Sangh Baran.

S. No.	Date	Name of the Industry & purposes	Loan	Subsidy	Total
1956-57					
1.	6-4-56	Oil Industry-Stocking	40,000/-	-	40,000/-
2.	23-6-56	Leather Ind-Flaying Centre	3,720/-	3,000/-	5,720/-
		Model Tennory	9,500/-	7,500/-	17,000/-
		Bone crushing.	2,150/-	1,150/-	3,300/-
3.	4-7-56	Oil Industry-Model Centre (without shed)	-	1,500/-	1,500/-
4.	22-10-56	Pottery Ind,-Common workshed.	4,500/-	4,500/-	9,000/-
5.	12-11-56	Oil Industry-Wood stock	5'000/-	-	5,000/-
		10 Ghanis.	1,500/-	-	1,500/-

1	2	3	4	5	6
6.	28-2-57	Pottery-Ind-Working capital.	5,000/-	-	5,000/-
7.	28-2-57	Fibre Ind. Training unit.	-	1,100/-	1,100/-
8.	28-2-57	Oil Indu-Ghani Manfg. centre	1,750/-	1'750/-	3,500/-
9.	11-1-57	Ambar-Hire purchase.	6,000/-	-	6,000/-
		Working capital	5,000/-	-	5,000/-
		Imperest money.	6,700/-	-	6,700/-
		Tuition fees	-	4.500/-	4,500/-
		Stipend.	-	2,000/-	2,000/-
	Total		90,820/-	27,000/-	1,17,8[illegible]
1957-58 10.	7-6-57	Ambar-Hire purchase	6,000/-	-	6,000/-
		Tuition fees	-	4,500/-	4,500/-
		Stipend,	-	2,000/-	2,000/-
11.	7-6-57	Leather-Tennory (land purchase)	250/-	750/-	1,000/-
12.		Oil Rebate	-	7,075-23	7,075-23
		Management charges.	-	3,840/-	3,840/-
		Total	6,250/-	18,165-23	24,415-23

1	2	3	4	5	6
1958-59.					
13.	8-8-58.	Oil Rebate	-	541-44	541-44
		Management charges.	-	640/-	640/-
14.	30-1-59	Ambar-Tuition fee	-	4,500/-	4,500/-
		Stipend	-	2,000/-	2,000/-
		2 Supervisors salary	-	600/-	600/-
		Total	-	8,281-44	8,281-44
		Ground Total	97,070/-	53,446-67	1,50,516-67

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ का उत्तर देखिये)

जसवन्तपुरा के भील परीवारोंकी सूची

१. श्री मांगा	पुत्र	श्री सूखा
२. श्री वाजाराम	,,	श्री चन्दा
३. श्री थाना	,,	श्री चन्दा
४. श्री परमा	,,	श्री तोला
५. श्री गुलाबा	,,	श्री धोरा
६. श्री सूखा	,,	श्री धोरा
७. श्री तोला	,,	श्री रुपा
८. श्री वागा	,,	श्री तोला
६. श्री रामिंग	,,	श्री जामा
१०. श्री भीखा	..	श्री रामा

१	२	३	४
६३५१	अन्तिम से ११	रोजमर्र्रा	रोज़मर्रा
६३६१	३	चीड	चीज
६३७३	१	रेगी	रहेंगी
६३७८	२०	संत्वना	सांत्वना
६३९४	१	स्कन्भ	स्कम्भ
६३९४	४	औधोगिक	औद्योगिक
६३९९	११	(वेलफीयर)	(वैलफेयर)
६४०५	३	केश	केस
६४०८	अन्तिम	नीरक्षणार्थ	निरिक्षणार्थ

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक शनिवार, ४ अप्रैल, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
६१६९	५	tnem	them
,,	१८	of the shift on the ?	of the shift on the
६१७०		September	September
६१७०	१	श्री पी० के० चौधरी	(श्री ब्रद्रीप्रसाद गुप्ता)
	१६	but the called	but he called
६१७६	१८	निकाल है	निकाला है
६१९६	१४	श्री मदनसिंह	८७९ श्री मदनसिंह
६२३६	अन्तिमसे७-८	हिदादत	हिदायत
६२५६	१	(श्री तुरुषोत्तमलाल शर्मा)	(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
६२६१	१	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह
६२८४	१८	insside	inside
६२८८	२१	tow or thrcee	two or three
६२८९	१६	to dicide	decide
६२९०	१७	Th	The
६२९०	१८	cide	decide
६२९२	२०	The conserst	The consent
६२९५	१	think heis	think he is
६२९७	५	lule	Rule
६३००	३	प्र`रणा	प्रेरणा
६३०२	अन्तिम से ६	(बयाका)	(बयाना
६३०२	अन्तिम से ४	sprech	Speach
६३०३	३	He ma	He may
६३०४	१४	taket them	take them
६३०६	३	डिस्टरेन्स	डिस्टरबेन्स
६३०६	६	wlll	will
६३३९	अन्तिम से ८	श्री पुरुषोत्तलाल	श्री पुरुषोत्तमलाल
६३४०	१	(श्री शियचरणदास)	(श्री शिवचरणदास)
६३४१	अन्तिम से ९	श्री शिवचरणदाम	श्री शिवचरणदास
६३४२	६	plese	Please